

2023-24

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा



झारखण्ड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड

सीसीएल, इरकॉन और जीओजे की एक संयुक्त उद्यम कंपनी

CIN: U45201JH2015G01003139

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा - 2023-24



पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाऊस,
मुख्य बिल्डिंग,
राँची-834029

झारखण्ड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड

सीसीएल, इरकॉन और जीओजे की एक संयुक्त उद्यम कंपनी

CIN: U45201JH2015GO1003139

विषय सूची

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ सं
क.	संदर्भ सूचना	1
ख.	बैंक और लेखापरीक्षक	3
ग.	वार्षिक आम बैठक की सूचना	4
घ.	अध्यक्ष का संदेश	10
ङ.	निदेशक प्रोफ़ाइल	13
च.	प्रबंधन समूह प्रोफ़ाइल	17
छ.	निदेशक प्रतिवेदन	19
ज.	निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले अनुलग्नक	56
झ.	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	71
ट.	समेकित वित्तीय विवरण	85



झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

संदर्भ सूचना

(31.03.2024 तक)

निदेशक मंडल

श्री पवन कुमार मिश्रा (जेसीआरएल)	अध्यक्ष	(19.12.2022 से प्रभावी)
श्री हरीश कुमार दुहान	निदेशक	(14.03.2024 से प्रभावी)
श्री शशांक शेखर झा	निदेशक	(15.06.2018 से प्रभावी)
श्री प्रिया रंजन परही	निदेशक	(09.05.2022 से प्रभावी)
श्री पराग वर्मा	निदेशक	(11.10.2022 से प्रभावी)
श्रीमती रागिनी आडवाणी	निदेशक	(01.06.2022 से प्रभावी)
श्री प्रवीण कुमार प्रकाश	निदेशक	(18.03.2024 से प्रभावी)

निदेशक मंडल

(दौरान 2023-24)

अध्यक्ष

श्री पवन कुमार मिश्रा	(14.03.2024 से प्रभावी)
श्री बी. साईराम, निदेशक (टी/पी एवं पी), सीसीएल	(14.03.2024 तक)

निदेशकों

श्री शशांक शेखर झा, सीनियर मैनेजर (सिविल), सीसीएल	(15.06.2018 से प्रभावी)
श्री प्रिया रंजन परही, रेलवे बोर्ड	(09.05.2022 से प्रभावी)
श्री हरीश कुमार दुहान, सीसीएल	(19.12.2022 से प्रभावी)
श्रीमती रागिनी आडवाणी, इरकॉन	(01.06.2022 से प्रभावी)
श्री पराग वर्मा, इरकॉन	(11.10.2022 से प्रभावी)
श्री प्रदीप कुमार, झारखंड सरकार	(18.03.2024 तक)
श्री प्रवीण कुमार प्रकाश, झारखंड सरकार	(18.03.2024 से प्रभावी)

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

25 जुलाई, 2024 को आयोजित 9^{वीं} वार्षिक आम बैठक की तिथि के अनुसार

श्री पवन कुमार मिश्रा (जेसीआरएल)	अध्यक्ष
श्री पराग वर्मा, निदेशक, इरकॉन	निदेशक
श्री प्रिया रंजन परही, रेलवे बोर्ड	निदेशक
श्री प्रवीण कुमार प्रकाश, सरकार झारखंड	निदेशक
श्री हरीश कुमार दुहान, सीसीएल	निदेशक
श्रीमती रागिनी आडवाणी, इरकॉन	निदेशक
श्री शशांक शेखर झा, सीसीएल	निदेशक

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

वैधानिक लेखा परीक्षकों	सचिवीय लेखा परीक्षकों
आर. के. गरोडिया एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, 202, रामकिशन वर्ग, झील सड़क, रांची.	मेसर्स विद्या बैद एंड कंपनी, 3 जमीन, कमरा 3 9, 35 अर्मेनियाई स्ट्रीट, कोलकाता, डब्ल्यूबी-700001

आंतरिक लेखा परीक्षकों

आर. के. पी. एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
दुकान नं.22, ग्राउंड फ्लोर, आर्कटिक मॉल
करम टोली चौक के पास, बरियातू रोड,
रांची-834009 .

पंजाब नेशनल बैंक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
एसएन गांगुली रोड, रांची झारखंड-834001	115-116, रांची क्लब कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, रांची	जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

यूको बैंक	एचडीएफसी बैंक
एफसीसी, भारत एक्स. प्लेस ब्रांच, (2),(0002, इंडिया एक्सचेंज प्लेस कोलकाता - 700001	एचडीएफसी किनारा हाउस सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल मुंबई - 400013

पंजीकृत कार्यालय

दरभंगा हाउस,
रांची-834 029
(झारखंड)

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

पत्रांक सं. : सीएस/जेसीआरएल/9^{वाँ} एजीएम/2024/19

दिनांक: 22.07.2024

सूचना

नौवीं वार्षिक आम बैठक

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के शेयरधारकों को संक्षिप्त सूचना दी जाती है कि कंपनी की नौवीं वार्षिक आम बैठक 25 जुलाई, 2024 को दोपहर 12:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, दरभंगा हाउस, रांची -834029 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसायों को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी:

A. साधारण व्यवसाय:

मद संख्या 1 : 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन ऑडिटेड वित्तीय विवरणों पर विचार करना और उन्हें अपनाना, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक ऑडिटेड बैलेंस शीट, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता, सभी नोट्स के साथ नकदी प्रवाह विवरण, वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरणों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति पर अतिरिक्त नोट्स, भारत के सांविधिक लेखा परीक्षक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट शामिल हैं।

मद संख्या 2 : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के अनुसार निदेशक की नियुक्ति करना:

क. श्री पराग वर्मा (डीआईएन-05272169) के स्थान पर, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

ख. श्री एस. एस. झा (डीआईएन-08172395) के स्थान पर, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

मद संख्या 3: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के वैधानिक लेखा परीक्षकों के लिए लेखा परीक्षा शुल्क निर्धारित करना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के इसका अनुसमर्थन करना:

“ संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 142(1) के साथ कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अनुसरण में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत सीएंडएजी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक मेसर्स आरके गरोडिया एंड कंपनी, रांची का पारिश्रमिक रु. 1,00,000/- मात्र प्लस जीएसटी निर्धारित किया गया है, जैसा कि बोर्ड द्वारा 18.04.2024 को आयोजित अपनी 53^{वाँ} बैठक में अनुमोदित किया गया है।”

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

निदेशक मंडल के आदेश से
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

ह/-

श्रेया

कंपनी सचिव, जेसीआरएल
(मेम सं.ए 54047)

दिनांक: 22.07.202

स्थान : रांची

वार्षिक आम बैठक की तिथि : 25 जुलाई 2024
एजीएम का स्थान : सीसीएल, दरभंगा हाउस
रांची 834029

पंजीकृत कार्यालय: सीसीएल, दरभंगा हाउस
रांची 834029 (झारखंड)

सीआईएन नंबर: U45201JH2015GOI003139

टिप्पणियाँ:

1. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के माध्यम से, उसके बाद सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों, जिनमें सबसे नवीनतम 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) है, ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए, कंपनी की अधिकृत ई-मेल आईडी से पहले ही लिंक उपलब्ध कराया जाएगा और बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले खुली रखी जाएगी और ऐसे निर्धारित समय के 15 मिनट बाद बंद नहीं की जाएगी।
2. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूंकि यह एजीएम एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, एजीएम के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं की गई है।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसार सदस्यों के प्रतिनिधियों को वी.सी. या ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से भागीदारी और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

4. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सचिवीय लेखा परीक्षक सहित शेयरधारक, निदेशक और लेखा परीक्षक बैठक में भाग लेने और या मतदान करने के हकदार हैं। वे बैठक में विचार किए गए मुद्दों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से भी बैठक में भाग ले सकते हैं और/या मतदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें cosecyjcr1@gmail.com पर ईमेल भेजना होगा।
5. सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1)/कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार कम समय के नोटिस पर बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।
6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171(1)(बी) और 189(4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में निरीक्षण के लिए खुले रखे जाने वाले रजिस्टर, बैठक के दौरान बैठक में भाग लेने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ होंगे।
7. इस बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होने वाले और पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विवरण “अनुलग्नक-ए” में दिया गया है।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

वितरण:

I. सदस्यों

- A. सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची -834029 (झारखंड), भारत
- B. श्री पवन कुमार मिश्रा , सिविल कोर्ट के पीछे, दादरा एवं नगर हवेली-396230
- C. श्री हरीश दुहान, निगाही परियोजना, सिंगरौली , सिंधी-486884 मध्य प्रदेश
- D. श्री एस. एस. झा, सरस्वती अपार्टमेंट कांके रोड, रांची-834008
- E. श्री सुरेंद्र सिंह , दिल्ली 110049
- F. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
- G. झारखण्ड सरकार, धुर्वा , राँची

II. लेखा परीक्षकों

- A. मेसर्स आर. के. गरोडिया , चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 202, रामकृष्ण स्क्वायर, लेक रोड, रांची
- B. मेसर्स विद्या बैद एंड कंपनी, कोलकाता, सचिवीय लेखा परीक्षक

III. निदेशक

- A. श्री पवन कुमार मिश्रा, सिविल कोर्ट के पीछे, दादरा और नगर हवेली-396230
- H. श्री हरीश कुमार दूहन, निगाही परियोजना, सिंगरौली , सिंधी-486884 मध्य प्रदेश
- B. श्री एस. एस. झा, सरस्वती अपार्टमेंट कांके रोड, रांची-834008
- C. श्री पराग वर्मा, सेक्टर 61, नोएडा, 201301, उत्तर प्रदेश
- D. श्री प्रवीण कुमार प्रकाश, मोरहाबादी रांची-834001
- E. श्री प्रिया रंजन परही , जे.एन.यू. न्यू कैम्पस, दिल्ली-110067
- F. श्रीमती रागिनी आडवाणी, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली-110017

प्रतिलिपि:

कंपनी सचिव, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

अनुलग्नक- 'ए'

वार्षिक आम बैठक में घूर्णन से सेवानिवृत्त होने वाले और पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विवरण -

आम बैठक पर सचिवीय मानक ("एसएस-2") के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का अपेक्षित विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

निदेशक का नाम और पदनाम	श्री पराग वर्मा , निदेशक, जेसीआरएल
डी आई एन	05272169
जन्म की तारीख	01.05.1965
राष्ट्रीयता	भारतीय
बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	11.10.2022
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की शर्तें एवं नियम	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार, श्री वर्मा को रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होना होगा।
अंतिम आहरित पारिश्रमिक तथा भुगतान हेतु प्रस्तावित पारिश्रमिक	उपलब्ध नहीं
योग्यता और अनुभव	वे इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर हैं और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाओं पर काम करने का 31 साल से अधिक का अनुभव है। उन्हें विशेषज्ञता परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए मूल संगठन के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों की स्थापना का अनुभव है। उन्होंने भारत में पीपीपी मॉडल पर स्टेशन विकास कार्यक्रम की पूरी अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय रेलवे पर पीपीपी मॉडल पर स्टेशन विकास की पहली परियोजना को पुरस्कृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया है।
कंपनी में शेयरधारिता	शून्य
अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य केएमपी के साथ संबंध	शून्य
वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या।	छह (06)
अन्य कम्पनियों में निदेशक पदों की सूची	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड इरकॉन अक्लोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड इरकॉन गुडगांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड महानदी कोल रेलवे लिमिटेड भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
जेसीआरएल में अन्य समिति के अध्यक्ष/सदस्यता	शून्य

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

वार्षिक आम बैठक में घूर्णन से सेवानिवृत्त होने वाले और पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विवरण -

आम बैठक पर सचिवीय मानक ("एसएस-2") के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का अपेक्षित विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

निदेशक का नाम और पदनाम	श्री एसएस झा , निदेशक, जेसीआरएल
डी आई एन	08172395
जन्म की तारीख	03.03.1966
राष्ट्रीयता	भारतीय
बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	15.06.2018
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की शर्तें एवं नियम	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार, श्री झा को रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होना होगा।
अंतिम आहरित पारिश्रमिक तथा भुगतान हेतु प्रस्तावित पारिश्रमिक	उपलब्ध नहीं
योग्यता और अनुभव	श्री एस. एस. झा भूतपूर्व बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना (अब एनआईटी पटना) से स्नातक सिविल इंजीनियर हैं। उन्हें सीएमपीडीआई और सीआईएल के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में काम करने का 32 साल का अनुभव है। वे जनवरी 1992 में कोल इंडिया लिमिटेड में शामिल हुए। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) में शामिल होने से पहले, उन्होंने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू सीएल) की विभिन्न खदानों में काम किया था। सीसीएल में, उन्हें नई रेल लाइन के निर्माण / पटरियों के नवीनीकरण / विभिन्न रेल अवसंरचना कार्यों के रखरखाव में बहुत समृद्ध और विशाल अनुभव है, जिसमें टोरी- शिवपुर बीजी रेल लाइन (44 किमी) का निर्माण और विभिन्न अन्य रेल अवसंरचना कार्य जैसे कोनार रेलवे साइडिंग, कारो रेलवे साइडिंग का विस्तार कार्य, उत्तर उरीमारी रेलवे साइडिंग आदि शामिल हैं।
कंपनी में शेयरधारिता	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओर से 100 शेयर
अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य केएमपी के साथ संबंध	शून्य
वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या।	सात (07)
अन्य कम्पनियों में निदेशक पदों की सूची	शून्य
जेसीआरएल में अन्य समिति के अध्यक्ष/सदस्यता	शून्य

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

अध्यक्ष का संदेश



प्रिय शेयरधारकों,

मुझे कंपनी की 9वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए और आपको निदेशक रिपोर्ट सहित वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित खाते प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक खुशी हो रही है, जो पहले ही आपको भेज दिए गए हैं और आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2023-24, रेल कॉरिडोर के विकास को जमीनी स्तर पर साकार करने का वर्ष रहा है। 05.05.2022 को वित्तीय समापन प्राप्त करने के बाद, शिवपुर - कठौतिया मार्ग पर टेक ऑफ पॉइंट का पता लगाने के लिए कई प्रगतिशील कदम उठाए गए, जिससे कंपनी को 924.31 करोड़ रुपये के अनुबंध देने में मदद मिली और 496.72 करोड़ रुपये की राशि का काम हुआ। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 13.00 किलोमीटर लंबाई का

निर्माण कार्य तैयार किया गया है। जेसीआरएल ने अक्टूबर 2024 तक लगभग 15 किलोमीटर ट्रैक चालू करने का लक्ष्य रखा है।

परियोजना का औचित्य: जेसीआरएल की रेलवे लाइन के माध्यम से कोयला परिवहन दक्षता में वृद्धि

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (JCRL) झारखंड में स्थित एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) है। इसकी योजना पूर्व मध्य रेलवे (ECR) की कोडरमा -हजारीबाग लाइन पर कठौतिया से 49.085 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बनाने की है, जो दक्षिण-पश्चिम दिशा में शिवपुर (ECR) से जुड़ेगी।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण-पश्चिम झारखंड में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा संचालित नॉर्थ करनपुरा कोलफील्ड्स से कोयले को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में मौजूदा और भविष्य के बिजली संयंत्रों तक पहुंचाना है। इसके अतिरिक्त, यह ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए फीडर लाइन के रूप में काम करेगा, जो कोलकाता के पास दानकुनी को उत्तर भारत से जोड़ता है।

वर्तमान में, उत्तरी कर्णपुरा कोलफील्ड्स से रेल संपर्क शिवपुर से टोरी, बरकाकाना से कोडरमा तक है, जो कुल 263 किलोमीटर का मार्ग है। नई प्रस्तावित लाइन इस दूरी को घटाकर सिर्फ 100 किलोमीटर कर देगी। कठौतिया-शिवपुर सेक्शन को पूरा करके, उत्तरी कर्णपुरा कोलफील्ड्स से बिहार तक की रेलवे दूरी 163 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे बिहार और उत्तरी झारखंड में बिजली संयंत्रों तक कोयले का परिवहन अधिक कुशल और किफायती हो जाएगा।

कोयला: भारत के ऊर्जा भविष्य और औद्योगिक विकास की आधारशिला

कोयला लंबे समय से भारत के ऊर्जा ढांचे की रीढ़ रहा है, जो देश की ऊर्जा मांगों को पूरा करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है और निकट भविष्य में भी ऐसा ही करता रहेगा। भारत के ऊर्जा मिश्रण में कोयले का हिस्सा लगभग 55% है, इसलिए यह स्पष्ट है कि देश की औद्योगिक प्रगति को घरेलू कोयला संसाधनों से काफी बढ़ावा मिला है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सीमित भंडार, जलविद्युत परियोजनाओं पर पर्यावरणीय प्रतिबंध और परमाणु ऊर्जा से जुड़ी भू-राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए, कोयले के भारत के ऊर्जा परिदृश्य की आधारशिला बने रहने की उम्मीद है। यह इस तथ्य से स्पष्ट

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

है कि कोयला आधारित बिजली उत्पादन देश के कुल बिजली उत्पादन का लगभग 69% है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान भी शामिल है। बिजली के अलावा, कोयला सीमेंट, उर्वरक, स्पंज आयरन और एल्युमीनियम सहित विभिन्न गैर-बिजली उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) द्वारा निर्धारित बढ़ते उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, कोयला खदानों तक रेल और सड़क के माध्यम से रसद सहायता और संपर्क बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं। कोयला परिवहन और थोक आवाजाही में भविष्य की चुनौतियों की आशंका को देखते हुए, शिवपुर - कठोटिया रेल लाइन जैसी परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य खदानों से भारतीय रेलवे के मुख्य रेल नेटवर्क तक रेल संपर्क स्थापित करना है, जिससे एक कुशल कोयला क्षेत्र सुनिश्चित हो सके, जो बिजली उत्पादन और इस्पात, सीमेंट और उर्वरक जैसे क्षेत्रों के औद्योगिक विकास दोनों के लिए आवश्यक है।

निगमित शासन प्रणाली

कॉर्पोरेट प्रशासन, गहरे मूल्यों, सर्वोत्तम प्रथाओं, पारदर्शिता और अखंडता के अच्छे मानकों को बनाए रखने के प्रति बहुत सचेत हैं। जेसीआरएल सार्वजनिक उद्यम विभाग और भारत सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए समर्पित है जो हमारी कंपनी पर लागू होते हैं। अनुपालन के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि हम विनियामक ढांचे के भीतर काम करते हैं और अपने सभी हितधारकों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं। अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन को अपनाने और उसका पालन करने के ज़रिए, हम अपने संगठन और उसके हितधारकों के लिए विश्वास बनाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक मूल्य बनाने का प्रयास करते हैं।

कॉर्पोरेट विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों को बढ़ाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से अविभाज्य है। हमने कंपनी अधिनियम और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कोल इंडिया लिमिटेड के लिस्टिंग समझौते में उल्लिखित कठोर आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिससे सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के माध्यम से हमारी अंतिम सहायक कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा CPSEs के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों का भी सख्ती से पालन किया जाता है।

निर्विवाद लेखा प्रतिवेदन

शेयरधारकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देने के लिए, हमने सुनिश्चित किया है कि वित्तीय विवरण कंपनी की लेखा नीतियों और लेखा मानकों के अनुरूप तैयार किए जाएं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को सटीक रूप से दर्शाते हैं। कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता को स्वीकार किया गया है। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने एक अयोग्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के खातों पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

निगमित सामाजिक दायित्व

JCRL व्यवसाय वृद्धि और सामाजिक विकास दोनों के लिए समर्पित है। हमारी कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (CSR) परियोजना हाशिए पर पड़े समुदायों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। वित्त वर्ष 2023-24 में, JCRL ने CSR पहलों में ₹9.18 लाख का निवेश किया, जिसका उद्देश्य स्कूल के बुनियादी ढांचे

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

में सुधार करना और हमारे प्रोजेक्ट स्थलों के पास के स्कूलों में विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करना है। इन प्रयासों के माध्यम से, हम सामाजिक बेहतरी में योगदान देने और ज़रूरतमंद लोगों के जीवन में सार्थक, स्थायी बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। हम आने वाले वर्षों में एक स्थायी समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आभार

मैं कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय और झारखंड सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और जिला प्रशासन से प्राप्त सहयोग, बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं इस क्षेत्र में रेल कॉरिडोर विकसित करने के लिए सभी हितधारकों के सहयोग की सराहना करता हूँ। कॉरिडोर में अब तक की प्रगति उन लोगों के अथक प्रयासों के बिना संभव नहीं हो पाती, जिन्होंने इस उद्यम में विश्वास किया और हमारी प्रतिबद्धता में शामिल होने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए।

मैं महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा कंपनी रजिस्ट्रार, झारखंड के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भी उनकी सराहना करता हूँ।

अंत में, मैं इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए हमारी समर्पित टीम की कड़ी मेहनत और दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

धन्यवाद ,

ह/-

पवन कुमार मिश्रा

(अध्यक्ष)

डी आई एन - 09665365

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

निदेशक प्रोफ़ाइल



श्री पवन कुमार मिश्रा

निदेशक (वित्त), सीसीएल

श्री पवन कुमार मिश्रा वर्तमान में जून-2022 से कोयला खनन कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत हैं। वे वाणिज्य में स्नातक हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सदस्य भी हैं। वे झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के निदेशक भी हैं।

सीसीएल में शामिल होने से पहले, उन्होंने डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएनएचपीडीसीएल), एक बिजली वितरण उपयोगिता और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीआईएल), एक बिजली उत्पादन कंपनी के साथ सीएफओ (मुख्य वित्तीय अधिकारी) के रूप में काम किया था। उन्हें लेखांकन, वित्त और कराधान के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्हें कॉर्पोरेट लेखांकन और कराधान, पुनर्गठन सहित कॉर्पोरेट वित्त पोषण, बातचीत और उसके दस्तावेजीकरण सहित वाणिज्यिक/ परियोजना मूल्यांकन, बजट और बजटीय नियंत्रण, लेखा परीक्षकों से निपटना, टैरिफ निर्धारण और कार्यान्वयन सहित वाणिज्यिक अनुपालन, बिजली खरीद समझौते का कार्यान्वयन और बिजली क्षेत्र में अन्य नियामक अनुपालन में बहुत समृद्ध और विशाल अनुभव है।

अपने पिछले व्यावसायिक कार्य संघ में, उन्होंने दस्तावेजीकरण सहित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से बिजली वितरण कंपनी के निजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने उक्त निजीकरण की प्रक्रिया को स्थानांतरित करने और उसे आगे बढ़ाने, विनियामक सुधारों के माध्यम से वितरण उपयोगिता कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने, एकीकृत व्यापार समाधान और स्वचालित व्यापार प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन, वित्त मैनुअल और आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल की तैयारी, नई लेखांकन नीतियों और रिपोर्टिंग संरचना के कार्यान्वयन सहित नए लेखांकन मानकों (इंड एसएस) के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।



श्री हरीश दुहान

निदेशक (तकनीकी), सीसीएल

श्री हरीश दुहान ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के निदेशक (तकनीकी) का पदभार संभाल लिया है। सीसीएल में शामिल होने से पहले, उन्होंने कोल इंडिया की सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) में महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया।

उनके पास खनन क्षेत्र में 34 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है, जिसमें कोल इंडिया की फर्स्ट-माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी), डिजिटलीकरण और सौर परियोजनाओं का सफल निष्पादन शामिल है।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

नागपुर विश्वविद्यालय से खनन इंजीनियरिंग स्नातक श्री दुहन 1989 में डब्ल्यूसीएल में कोल इंडिया की सेवाओं में शामिल हुए थे। उनके पास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी है।

श्रीमती रागिनी आडवाणी

निदेशक वित्त, इरकॉन



श्रीमती रागिनी आडवाणी, (47 वर्ष), निदेशक (वित्त), इरकॉन 01.06.2022 को जेसीआरएल के बोर्ड में शामिल हुईं। श्रीमती रागिनी आडवाणी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, जिनके पास वित्त में लगभग 25 वर्षों का योग्यता-पश्चात अनुभव है। वह चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी दोनों परीक्षाओं में रैंक धारक हैं।

इरकॉन में शामिल होने से पहले, श्रीमती आडवाणी ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईएलएल) के साथ जीएम (एफ एंड ए) के रूप में काम किया है, जो तेल और गैस क्षेत्र में एक तकनीकी परामर्श सीपीएसई है और लेखा के प्रभारी थे और सीएजी/वैधानिक लेखा परीक्षकों, सभी विपणन प्रस्तावों और विपणन वित्त, बिलिंग और संबंधित मामलों, बजट और एमआईएस और व्यवसाय विकास प्रस्तावों की सहमति से निपटते थे। वह 2 साल तक चेयरमैन कार्यालय का भी हिस्सा रहीं और उन्होंने EIL में लगभग एक साल तक कंपनी सचिवालय विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभालीं।

उनका पिछला अनुभव एनटीपीसी सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनएसपीसीएल) और केपीएमजी के साथ था। उनके पास कॉर्पोरेट वित्त में समृद्ध और विविध अनुभव है, जिसमें मूल्यांकन, विलय / विभाजन और अधिग्रहण, वित्तीय पुनर्गठन, ट्रेजरी प्रबंधन, ऋण वित्तपोषण की व्यवस्था, कॉर्पोरेट योजना और बजट, वाणिज्यिक बिलिंग और ई-नीलामी के माध्यम से क्रय की खरीद, नियमित एमआईएस, सीएजी से निपटना, टैरिफ आदेशों को अंतिम रूप देने के लिए सीईआरसी से निपटना और दीर्घकालिक पीपीए पर हस्ताक्षर करना शामिल है।

श्रीमती आडवाणी वित्त मामलों के संबंध में EIL के 'इन हाउस' वरिष्ठ प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए विषय वस्तु विशेषज्ञ / संरक्षक भी रही हैं।

इसके अलावा, श्रीमती आडवाणी छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड के निदेशक का कार्यभार भी संभाल रही हैं, जो एसईसीएल की सहायक कंपनी है और सीईआरएल की सहायक कंपनी है।

श्री प्रिया रंजन परही

कार्यकारी निदेशक (इन्फ्रा)-1, रेलवे बोर्ड



श्री प्रिय रंजन परही, (53 वर्ष), ईडी (इन्फ्रा)-1 09.05.2022 को जेसीआरएल के बोर्ड में शामिल हुए। श्री प्रिय रंजन परही 1996 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) से संबंधित हैं, जिनके पास रेलवे मुख्यालय और रेलवे बोर्ड में माल दुलाई संचालन और योजना के क्षेत्रों में डिवीजनल ऑपरेटिंग हेड के रूप में विभिन्न क्षमताओं में रेलवे संचालन में 25 वर्षों

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

का अनुभव है। हाल ही में वे कॉनकॉर के उत्तर मध्य क्षेत्र के प्रमुख थे। वर्तमान में, श्री परही रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (इन्फ्रा)-I के पद पर हैं।

इसके अलावा, श्री परही छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड के निदेशक का प्रभार भी संभाल रहे हैं, जो एसईसीएल की एक सहायक कंपनी और सीईआरएल की सहायक कंपनी है।



श्री पराग वर्मा

निदेशक कार्य, इरकॉन

श्री पराग वर्मा 1991 में इरकॉन में शामिल हुए। श्री वर्मा इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर हैं और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम करने का 31 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उनकी मुख्य ताकत परियोजना नियोजन, आकलन और परियोजना की अवधारणा और संरचना और उसके निष्पादन में निहित है।

उन्हें विशेषज्ञता परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए मूल संगठन के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों की स्थापना करने का अनुभव है। उन्होंने भारत में पीपीपी मॉडल पर स्टेशन विकास कार्यक्रम की पूरी अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भारतीय रेलवे पर पीपीपी मॉडल पर स्टेशन विकास की पहली परियोजना को पुरस्कृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसका माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया है। निदेशक (वर्क्स) के रूप में शामिल होने से पहले, वह एड (इंफ्रास्ट्रक्चर) थे और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में राजमार्ग, भवन और रियल एस्टेट और व्यवसाय विकास की देखभाल करते थे। वह न केवल ईपीसी, आइटम रेट, पीपीपी मॉडल पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजना हासिल करके कंपनी की स्वस्थ ऑर्डर बुक को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे, बल्कि उनके निष्पादन के लिए भी जिम्मेदार थे। उनके मार्गदर्शन में बीडी टीमों ने खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नए ऑर्डर का उच्चतम मूल्य हासिल किया है। हाई-स्पीड रेलवे के नए क्षेत्र में काम, राजमार्ग सुरंग बड़े पुलों पर गिड्डी रहित स्लैब ट्रैक इरकॉन द्वारा सुरक्षित किया गया है।



श्री शशांक शेखर झा

विभागाध्यक्ष (आईसी/रेल इन्फ्रा), सीसीएल

श्री एस.एस. झा पूर्व बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, पटना (अब एनआईटी पटना) से स्नातक सिविल इंजीनियर हैं। उन्हें सीएमपीडीआई और सीआईएल के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में काम करने का 32 साल का अनुभव है। वे टाउनशिप की योजना बनाने और भवन निर्माण, जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क सहित इसके निर्माण में शामिल रहे हैं। वे पिपरवार ओसी खदान में हॉल पैक/डंपरों के परिवहन के लिए बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से मोबाइल इन-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

पिट कन्वेइंग सिस्टम के लिए आवश्यक सड़क निर्माण और निर्माण/स्थापना कार्य और रनिंग कन्वेयर पर पुल के निर्माण में भी शामिल रहे हैं।

वे जनवरी 1992 में कोल इंडिया लिमिटेड में शामिल हुए। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) में शामिल होने से पहले, उन्होंने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) की विभिन्न खदानों में काम किया था। सीसीएल में, उन्हें नई रेल लाइन के निर्माण / पटरियों के नवीनीकरण / विभिन्न रेल अवसंरचना कार्यों के रखरखाव में बहुत समृद्ध और विशाल अनुभव है, जिसमें टोरी-शिवपुर बीजी रेल लाइन (44 किमी) का निर्माण और विभिन्न अन्य रेल अवसंरचना कार्य जैसे कोनार रेलवे साइडिंग, कारो रेलवे साइडिंग का विस्तार कार्य, उत्तर उरीमारी रेलवे साइडिंग आदि शामिल हैं।



श्री प्रवीण प्रकाश कुमार

संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखंड सरकार

श्री प्रवीण कुमार प्रकाश वर्तमान में जनवरी, 2024 से झारखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले, उन्होंने साढ़े तीन साल तक रांची के जिला परिवहन अधिकारी के रूप में काम किया। वे तीन साल तक जिला आपूर्ति अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी भी रहे। उन्होंने चार साल तक कार्यपालक दंडाधिकारी और तीन साल तक अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास अधिकारी के रूप में भी काम किया। वे दूसरे बैच के झारखंड प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और 2008 से सेवा में हैं। झारखंड प्रशासनिक सेवा में शामिल होने से पहले उन्होंने दो साल तक एक निजी फर्म में कानूनी सलाहकार के रूप में भी काम किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ (एलएलबी) की डिग्री हासिल की है। वे इतिहास (ऑनर्स) में स्नातक हैं।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

प्रबंधन टीम



राजेश कुमार मिश्रा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी श्री राजेश कुमार मिश्रा ने 2022 में झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। इस प्रतिष्ठित पद से पहले, उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर इरकॉन में कार्य किया। अपने प्रतिष्ठित करियर के दौरान, उन्होंने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के रखरखाव और निर्माण में अद्वितीय विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है, जिसमें मौजूदा और नई दोनों परियोजनाएं शामिल हैं, जैसे कि जल आपूर्ति और इसकी स्थापना, स्टाफ और सेवा भवन, पुल, और पॉइंट्स और क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग और ब्रिज एप्रोच स्लीपर्स (कनेक्टार्टे) का नवीनीकरण।

श्री मिश्रा ने नई रेलवे लाइनों के निर्माण की भी देखरेख की है, विशेष रूप से देवघर-दुमका लाइन, और पांडेश्वर-सैंथिया जैसी मौजूदा लाइनों का दोहरीकरण। चित्तंजन में उत्पादन इकाई में ए.पी. (200 और 275) के लिए शोड के निर्माण में उनके नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त, उनकी रणनीतिक सूझबूझ ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.), भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी और शिवपुर-कठौतिया लाइन के लिए निविदाओं को अंतिम रूप देने में मदद की, जिससे भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे पर उनके गहन प्रभाव को रेखांकित किया गया।

श्री मिश्रा के नेतृत्व में, जेसीआरएल ने 2022 में सफलतापूर्वक अपना वित्तीय समापन हासिल किया।



प्रदीप कुमार सिंह

मुख्य वित्तीय अधिकारी

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड [कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय और झारखंड सरकार की एक उद्यम कंपनी] के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वे ICAI दिल्ली चैप्टर द्वारा प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उन्होंने साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, और IIM लखनऊ में एक कार्यकारी विकास कार्यक्रम पूरा किया है। कोल इंडिया लिमिटेड [महारत्न पीएसयू] से जुड़े 2010 से कार्यरत और सम्पूर्ण कर अनुपालन का कार्य देख रहे हैं और इसकी एक सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। वित्त और लेखा में 14 वर्षों का व्यापक अनुभव है। कर मामले, परियोजना वित्त, न्यायालय मामले [माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय], अनुबंध प्रबंधन, मध्यस्थता / संविदा संबंधी विवाद का निपटान आदि।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com



संजीत कुमार सिंह

मुख्य संचालन अधिकारी

श्री संजीत कुमार सिंह फरवरी 2022 में (इरकॉन से प्रतिनियुक्ति पर) मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में जेसीआरएल में शामिल हुए। वे आईआईटी, खड़गपुर से स्नातकोत्तर सिविल इंजीनियर हैं और उन्हें 22 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने सड़क और राजमार्ग, पुल और रेलवे की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम किया है। परियोजनाओं को विश्व बैंक, एडीबी, भारत सरकार आदि द्वारा वित्त पोषित किया गया था। उनकी मुख्य ताकत परियोजना नियोजन, निष्पादन, अनुमान, निविदा, परियोजना वित्तपोषण और अनुबंध प्रबंधन में निहित है। सीओओ के रूप में जेसीआरएल में शामिल होने से पहले, वे इरकॉन की कोल रेल कनेक्टिविटी परियोजना के परियोजना प्रमुख थे।



श्रेया

कंपनी सचिव

श्रीमती श्रेया अप्रैल 2022 में झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड में शामिल हुईं, जहाँ उन्होंने कंपनी सचिव के रूप में अपने पिछले अभ्यास से व्यापक अनुभव प्राप्त किया। सचिवीय अभ्यास में उनके करियर की विशेषता उत्कृष्टता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता और कॉर्पोरेट प्रशासन और अनुपालन की व्यापक समझ है। 2017 में कंपनी सचिव के रूप में योग्यता प्राप्त करने के बाद, श्रीमती श्रेया ने कॉर्पोरेट प्रशासन, विनियामक फाइलिंग और हितधारक प्रबंधन में विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कंपनी सभी वैधानिक आवश्यकताओं और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करती है। इसके अलावा, उन्होंने विधि स्नातक (एलएलबी) की डिग्री पूरी की, जिससे जटिल विनियामक वातावरण को नेविगेट करने की उनकी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

निदेशक प्रतिवेदन



झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

निदेशकों की प्रतिवेदन

प्रति

शेयरधारक ,

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

सदस्यगण,

मुझे, निदेशक मंडल की ओर से, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ आपकी कंपनी की 9^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन का उत्तर और साथ ही लेखापरीक्षित खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट में संलग्न हैं।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। कंपनी का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किया गया था।

प्रवर्तक हकदार के नाम	शेयर होल्डिंग पैटर्न
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	64%
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	26%
झारखंड सरकार	10%

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपये है।

1. जेसीआरएल परियोजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड की स्थापना 31.08.2015 को हुई थी। जेसीआरएल का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य में खदानों से कोयले की निकासी के लिए महत्वपूर्ण पहचाने गए रेल कॉरिडोर परियोजनाओं का डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव करना है। रेल मंत्रालय ने शिवपुर-कठौतिया नई बीजी विद्युतीकृत रेल लाइन परियोजना को जेसीआरएल को हस्तांतरित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

निम्नलिखित परियोजना को जेसीआरएल को सौंपा गया:

शिवपुर - कठौतिया नई बीजी रेल लाइन परियोजना-49.085 किमी (1799.64 करोड़)

जेसीआरएल ने 28 मार्च 2016 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रेलवे बोर्ड ने शिवपुर - कठौतिया नई रेल लाइन परियोजना को संयुक्त उद्यम जेसीआरएल के माध्यम से हस्तांतरित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कठौतिया से शिवपुर तक की कुल लंबाई 49.085 किलोमीटर है। रेल मंत्रालय ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय द्वारा 13 जून 2018 को 5 वर्ष की अवधि के लिए 49.085 किमी की प्रभार्य दूरी पर 60% की बढ़ी हुई माइलेज को मंजूरी दी गई है। भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और एनपीवी, सीए और डब्ल्यूएमपी राशि जमा करने के बाद (चरण- I वन मंजूरी मिलने के बाद) वन भूमि पर काम करने की अनुमति भी प्राप्त कर ली गई है। सभी सरकारी. और निजी भूमि जेसीआरएल को सौंप दी गई है।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

2. परियोजना वित्तपोषण

जेसीआरएल ने 05 मई, 2022 को वित्तीय समापन हासिल कर लिया है। कंपनी ने पीएनबी के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से ₹1259.75 करोड़ की ऋण सुविधा प्राप्त की है और मार्च 2024 तक कुल ₹478.38 करोड़ का संवितरण प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान संवितरण 353.26 करोड़ रुपये था।

परियोजना निर्माणाधीन है और परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि 04 जून, 2025 है। 31.03.2024 तक परियोजना का कुल सीडब्ल्यूआईपी 85.62 करोड़ रुपये के जीएसटी के साथ 787.32 करोड़ रुपये है, जो कुल परियोजना लागत 1799.64 करोड़ रुपये के मुकाबले 872.94 करोड़ रुपये (48.50%) है। 31.03.2024 तक एस्केलेशन सहित सिविल निर्माण के तहत निष्पादित प्रगतिशील कार्य की कुल लागत जीएसटी को छोड़कर 435.46 करोड़ रुपये है।

3. पृष्ठभूमि:

- संयुक्त उद्यम/विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से झारखंड राज्य के कोयला गलियारों को विकसित करने के लिए 4 मई 2015 * झारखंड सरकार, रेल मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- उपर्युक्त के अनुसरण में, 28 मई 2015 को झारखंड सरकार, सीसीएल और इरकॉन के बीच जेसीआरएल (जेवी) बनाने के लिए एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद 28 मार्च, 2016 को इरकॉन और जेसीआरएल (जेवी) के बीच परियोजना निष्पादन समझौता हुआ। जेसीआरएल झारखंड सरकार, सीसीएल और इरकॉन की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसमें क्रमशः 10%, 64% और 26% की इक्विटी भागीदारी है।
- रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने 6 अप्रैल 2016 को रेल मंत्रालय के संयुक्त उद्यम दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजना का विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में इरकॉन द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है।
- डीपीआर की स्वीकृति ईसी रेलवे द्वारा 27-02-2018 को दी गई है और 60% बढ़े हुए माइलेज की स्वीकृति रेलवे बोर्ड द्वारा 13-06-2018 को दी गई है।
- जेसीआरएल और ईसी रेलवे के बीच रियायत समझौते पर 04.12.2018 को हस्ताक्षर किए गए।

परियोजना की मुख्य विशेषता (एकल लाइन)

1.	रेलवे स्टेशनों को जोड़ना	कठौतिया (केएयूए)/ शिवपुर निर्माणाधीन)
2.	प्रस्तावित रेलवे कॉरिडोर के मार्ग की लंबाई प्रस्थान बिंदु से क. मुख्य रेखा	49.085 किमी सिंगल लाइन ट्रैक पर सिंगल लाइन संरचना
3.	गेज	ब्रॉड गेज 1676 मिमी
4.	सत्तारूढ़ ढाल	दोनों दिशाओं में 100 में 1 (क्षतिपूर्ति)
5.	ए	वक्रों की संख्या
		16

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

	पुल:	
	छोटे पुल	48 संख्या
6.	मुख्य पुल	09 संख्या
	आरओबी (सं.)	11 नं.
	आरयूबी (सं.)	19 नं.
	एल एच एस (सं.)	06 संख्या
	वन्य जीवन पास (सं.)	07 संख्या
	स्टेशन भवन (सं.)	07 संख्या
	कुल	100 पुल, 07 बिल्डिंग स्टेशन।
7.	रेल	60 किलोग्राम (टी-12)-प्राइम क्वालिटी
8.	स्लीपर	60 किग्रा मोनो-ब्लॉक पीएससी स्लीपर, 1660 प्रति किमी
9.	बिंदु और चौराहा	60 किग्रा, 12 सीएमएस क्रॉसिंग में 1, मुख्य लाइनों और लूप लाइनों की चालू लाइनों पर क्रॉसिंग स्टेशनों में पंखे के आकार के लेआउट के साथ पीएससी स्लीपरों पर मोटी वेब स्विच। 8.5 में 1 गैर-चलती लाइनों के लिए स्टेशनों में पंखे के आकार के लेआउट के साथ पीएससी स्लीपरों पर मोटी वेब स्विच।
10.	रेल जोड़	मुख्य रूप से LWR/CWR ट्रैक के साथ SWR/फिश प्लेटेड ट्रैक, जहां LWR/CWR की अनुमति नहीं है।
11।	गिट्टी	65 मिमी नाममात्र आकार ट्रैक गिट्टी,
	मुख्य लाइन	350 मिमी गिट्टी कुशन
	लूप लाइन और साइडिंग	250 मिमी गिट्टी कुशन
12.	ओएचई और ट्रैक्शन	25 केवीए ओवरहेड ट्रैक्शन (एसीटीएम)
13.	निर्माणकार्य व्यय:	
	असैनिक अभियंत्रण	862.44 करोड़
	एस एंड टी	41.50 करोड़
	विद्युत सामान्य	20.90 करोड़
	विद्युत टीआरडी	79.00 करोड़
	साइट सुविधा	10.00 करोड़
	कुल (ए)	1,013.84 करोड़

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

	परियोजना प्रबंधन (अनुबंध योग) @ (ए) का 9%	91.25 करोड़
	प्रारंभिक व्यय एफआर और डीपीआर @ (ए) का 2.75%	27.88 करोड़
	भूमि अधिग्रहण के लिए 1.5 करोड़ रुपये की इस्कॉन फीस सहित भूमिभूमि अधिग्रहण के लिए	281.62 करोड़
	आकस्मिकता@3% (ए)	30.42 करोड़
	कुल योग	1,445.01 करोड़
14.	निर्माण के दौरान लागत में वृद्धि	141.70 करोड़
	निर्माण के दौरान ब्याज	160.87 करोड़
	वित्तपोषण शुल्क	6.30 करोड़
	बीमा शुल्क	7.21 करोड़
	डीएसआरए	34.30 करोड़
	कुल अन्य लागत	350.38 करोड़
	परियोजना की कुल पूंजी लागत	1,795.38 करोड़
	पीएमसी शुल्क को छोड़कर कुल पूंजीगत लागत	1,704.13 करोड़
	रेलवे को 1,704.13 करोड़ रुपये पर 0.25% की दर से डीएंडजी शुल्क देय	4.26 करोड़
	कुल परियोजना लागत	1,799.64 करोड़

5. परिचालन प्रगति:

क्रम सं.	पैकेज सं.	एलओए जारी करने की तिथि	प्रदान की गई लागत (करोड़)	संशोधित अनुबंध लागत (क्र.)	वित्तीय प्रगति (क्रेडिट)	वित्तीय प्रगति (%)
1.	पैकेज-I	01.02.2022	109.38	182.28	167.58	91.94
2.	पैकेज-II	08.12.2022	114.21	114.21	50.22	43.97
3.	पैकेज-III	08.12.2022	110.75	110.75	52.23	47.16
4.	पैकेज-IV	11.03.2022	128.65	128.65	51.51	40.04
5.	पैकेज-V	16.08.2022	109.24	109.24	91.85	84.08
6.	पैकेज-VI	17.08.2022	173.76	173.76	82.87	47.69
7.	पैकेज-VII	31.07.2023	24.09	24.09	0.46	1.91
8.	पैकेज-VIIIA	13.12.2023	81.33	81.33	-	0.00
कुल			851.41	924.31	496.72	53.74%


झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

पैकेज-I प्रगति




झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

पैकेज-II प्रगति




झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

पैकेज-III प्रगति




झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

पैकेज-IV प्रगति




झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

पैकेज-V प्रगति




झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

पैकेज-VI प्रगति



झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com




झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

पैकेज-VII प्रगति




झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

पैकेज-VIIIA प्रगति




झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

6. नक्शा



झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

6. भूमि विवरण

भूमि का विभाजन (% में)					
(i)	हजारीबाग जिला:		(ii)	चतरा जिला:	
	वन भूमि	44%		वन भूमि	54%
	रैयती भूमि	29%		रैयती भूमि	29%
	जंगल झाड़ी	24%		जंगल झाड़ी	13%
	सरकारी भूमि	3%		सरकारी भूमि	4%

भूमि विवरण एकड़ में					
	संरक्षित वन	जीएमजेजे	सरकारी भूमि	रैयती भूमि	कुल
हजारीबाग	98.12	54.06	6.13	63.46	221.77
चतरा	606.78	152.89	44.13	329.57	1133.34
कुल	704.90	206.95	50.26	393.03	1355.14
कुल योग					1355.14 एकड़

7. निर्माण कार्य की स्थिति:

31 मार्च, 2024 तक, विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के लिए 1080.48 करोड़ रुपये की राशि के कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिनमें अर्थवर्क, बड़े और छोटे पुल, बैलास्ट स्लीपर और रेल आपूर्ति सहित ट्रैक लिंकिंग, ओएचई कार्य और एस एंड टी कार्य शामिल हैं। इसमें से कुल 516.72 करोड़ रुपये का काम पहले ही पूरा हो चुका है।

क्रम सं.	विवरण	कार्य आदेश मूल्य	निष्पादित कार्य का मूल्य
1.	सिविल कार्यों की निविदा	924.31	496.72
2.	विद्युत कार्यों की निविदा	-	-
3.	सिग्नलिंग और दूरसंचार कार्यों की निविदा	-	-
4.	यांत्रिक कार्यों की निविदा	-	-
कुल		924.31	496.72

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

8. वित्तीय स्थिति:

0. वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की अधिकृत पूंजी रु. 500.0 करोड़.

शेयरधारक का नाम	मार्च, 2024 तक		मार्च, 2023 तक	
	धारित शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य रु. 10 प्रत्येक)	कुल शेयरों का %	धारित शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य रु. 10 प्रत्येक)	कुल शेयरों का %
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	6,46,31,232	64.00	6,46,31,232	64.00
इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड.	2,62,56,438	26.00	2,62,56,438	26.00
झारखंड सरकार	1,00,98,630	10.00	1,00,98,630	10.00
कुल	10,09,86,300	100.00	10,09,86,300	100.00

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, झारखंड सरकार ने 29.12.2023 को जेसीआरएल को प्रमोटर अंशदान के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 5.00 करोड़ रुपये जमा किए।

B. संक्षिप्त बैलेंस शीट:

क्रम सं.	विवरण	31.03.2024 तक (रुपये लाख में)	31.03.2023 तक (रुपये लाख में)
संपत्ति			
ए.	गैर-चालू परिसंपत्ति		
ए.	संपत्ति संयंत्र उपकरण	10.62	13.02
बी.	पूंजी कार्य - प्रगति पर	-	-
सी.	अमूर्त संपत्ति	0.22	0.40
डी.	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	78,732.13	42,953.64
इ.	वित्तीय परिसंपत्ति		
	i. निवेश	-	-
	ii. ऋण	-	-
	iii. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5,836.81	5,400.50
एफ.	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	-	-
जी।	गैर चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	-	-
एच।	अन्य गैर - चालू परिसंपत्ति	2,803.86	2,848.47
	कुल गैर- चालू परिसंपत्तियाँ (ए)	87,383.64	51,216.03
बी	चालू परिसंपत्तियाँ		
ए.	माल	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

बी.	वित्तीय परिसंपत्तियां		
	i. निवेश	-	-
	ii. व्यापार प्राप्त	-	-
	iii. नकद एवं नकद समतुल्य	7,013.46	12,980.67
	iv. अन्य बैंक शेष	195.00	-
	v. ऋण	-	-
	vi. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	65.32	276.61
सी.	चालू कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	69.82	22.78
डी.	अन्य चालू परिसंपत्तियां	8,587.22	2,630.18
कुल चालू परिसंपत्तियां (बी)		15,930.82	15,910.24
कुल संपत्ति (ए+बी)		1,03,314.46	67,126.27
इक्विटी और देयता			
ए.	इक्विटी		
ए.	जारी, अभिदत्त और भुगतान किया गया इक्विटी शेयर पूंजी	10,098.63	10,098.63
बी.	पूर्णतः इक्विटी प्रकृति के उपकरण	43,851.36	43,351.36
सी.	अन्य इक्विटी	1,306.47	1,054.74
कुल इक्विटी(ए)		55,256.46	54,504.73
बी.	देयताएं		
गैर चालू देनदारियां			
ए.	वित्तीय देनदारियों	-	-
	i. उधार	47,838.44	12,512.00
	ii. पट्टा देयताएं	-	-
	iii. अन्य वित्तीय देयताएं	-	-
बी.	प्रावधानों	-	-
सी.	आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	0.03	0.83
डी.	अन्य गैर चालू देयताएं	-	-
कुल गैर चालू देयताएं		47,838.47	12,512.12
सी.	चालू देनदारियां		
ए.	वित्तीय देनदारियों		
	i. उधार	-	2.96

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

	ii. पट्टा देयताएं	-	-
	iii. व्यापार देय	-	-
	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया।		
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	131.69	-
	iv. अन्य वित्तीय देयताएं	20.41	39.05
बी.	अन्य चालू देनदारियां	67.43	66.70
सी.	प्रावधानों	-	-
डी.	चालू कर देयताएं (शुद्ध)	-	-
	कुल चालू दायित्व	219.53	108.71
	कुल इक्विटी और देयताएं (ए+बी+सी)	1,03,314.46	67,126.27

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, पूंजी संरचना निम्नानुसार है:

जारी, अभिदत्त एवं भुगतान शेयर पूंजी

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	मात्रा
सीसीएल	6,46,31,232	रु. 10/- प्रत्येक	64,63,12,320/-
इरकॉन	2,62,56,438	रु. 10/- प्रत्येक	26,25,64,380/-
झारखंड सरकार	1,00,98,630	रु. 10/- प्रत्येक	10,09,86,300/-
कुल भुगतान इक्विटी शेयर पूंजी			1,00,98,63,000/-

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, जेसीआरएल ने 251.73 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जबकि 31.03.2023 को समाप्त वर्ष में 540.35 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया था।

9. पूंजीगत व्यय:

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परियोजना के निष्पादन के लिए 41,729 लाख रुपये (जीएसटी सहित) का निवेश किया गया।

10. लाभांश:

चूंकि कंपनी की परियोजना कार्यान्वयन चरण में है, इसलिए वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

11. आरक्षित निधियों में स्थानांतरण:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी राशि रिजर्व में स्थानांतरित नहीं की गई है।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

12. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो उस वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तारीख के बीच घटित हुई हों, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं:

कोई भी भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धता कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं कर रही है।

13. राजकोष में योगदान :

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कॉर्पोरेट अग्रिम कर और जीएसटी आरसीएम के रूप में राजकोष में कुल 99.58 लाख रुपये का योगदान दिया है।

14. असुरक्षित ऋण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई असुरक्षित ऋण नहीं लिया है।

15. सुरक्षित ऋण :

कंपनी ने 05.05.2022 को परियोजना के लिए वित्तीय समापन हासिल कर लिया है। कंपनी को 31 मार्च, 2024 तक कुल 478.38 करोड़ रुपये का रुपया टर्म लोन प्राप्त हुआ है।

दीर्घकालीन सुरक्षित ऋण (करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	वित्तीय समापन के लिए प्रस्तावित सीमाएँ	31.03.2024 तक ऋण
1	पंजाब नेशनल बैंक [लीड बैंक]	419.75	158.13
2	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	400.00	152.35
3	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	240.00	91.63
4	यूको बैंक	200.00	76.27
कुल		1259.75	478.38

16. जमा

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न तो कोई जमा स्वीकार किया है और न ही उसका नवीनीकरण किया है।

17. के तहत दिए गए ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया।

18. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

कंपनी के प्रमोटर्स, निदेशकों, प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं हुआ, जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता था। संबंधित पक्षों के साथ कोई ऐसा अनुबंध या व्यवस्था नहीं की गई जो समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के दायरे में आती हो।

19. प्रबंधन टीम

कंपनी की प्रबंधन टीम सीसीएल और इरकॉन से प्रतिनियुक्त जनशक्ति के साथ निम्नानुसार कार्य कर रही है:

क्रम सं.	नाम	पद का नाम	प्रतिनियुक्ति पर
1	श्री राजेश कु. मिश्रा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)	जेसीआरएल द्वारा संविदा रोजगार
2	श्री संजीत कु. सिंह	मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ)	इरकॉन
3	श्री प्रदीप कु. सिंह	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)	सीसीएल
4	श्रीमती श्रेया	कंपनी सचिव (सीएस)	जेसीआरएल द्वारा संविदा रोजगार

20. शेयरधारकों को जानकारी

कंपनी के वार्षिक खाते और संबंधित विस्तृत जानकारी होल्डिंग कंपनी और जेसीआरएल के शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगी। कोई भी शेयरधारक जो किसी भी समय ऐसी कोई जानकारी चाहता है, वह सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची, झारखंड में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कामकाजी दिन में कारोबारी घंटों के दौरान इसका निरीक्षण कर सकता है।

21. भारतीय दंड संहिता की धारा 134(3)(क्यू), धारा 143(3)(आई) के अंतर्गत सूचना कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(viii) के साथ पढ़ें, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण लागू किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

इसने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर लागू नियमों के समग्र ढांचे के भीतर अपने कार्य नियमों और प्रक्रियाओं को तैयार किया है।

22. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(q), धारा 143(3)(i) के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(vii) के तहत सूचना, नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों के संबंध

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

में जो चल रही कंपनी की स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया, जो भविष्य में चल रही कंपनी की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करेगा।

23. स्वतंत्र इंजीनियर

एमआर टेकनो फिन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में आरंभ में 12 महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है तथा सीओडी प्राप्त होने तक इसका नवीनीकरण किया जाएगा।

24. निदेशक मंडल

जेसीआरएल के निदेशक मंडल में 7 (सात) निदेशक होते हैं, अर्थात् अध्यक्ष और सीसीएल के नामित 2 (दो) निदेशक, इरकॉन के नामित 2 (दो) निदेशक, झारखंड सरकार के नामित 1 (एक) निदेशक और रेल मंत्रालय (एमओआर) के नामित 1 (एक) निदेशक।

24.1 दिनांक 31.03.2024 तक निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

क्रम.सं.	नाम	पद का नाम	अपॉइंटमेंट की तिथि
1	श्री पवन कुमार मिश्रा, निदेशक (वित्त), सीसीएल	अध्यक्ष	19.12.2022
2	श्री हरीश वीर सिंह दुहान, निदेशक (विपक्ष), सीसीएल	निदेशक	14.03.2024
3	श्री पराग वर्मा, निदेशक (कार्य), इरकॉन	निदेशक	11.10.2022
4	श्री प्रवीण कुमार प्रकाश, (जेटीसी, परिवहन विभाग), जीओजे	निदेशक	18.03.2024
5	श्रीमती रागिनी आडवाणी, निदेशक (वित्त) इरकॉन	निदेशक	01.06.2022
6	श्री शशांक शेखर झा, (आईसी, सिविल) सीसीएल,	निदेशक	15.06.2018
7	श्री प्रिया रंजन परही, ईडी/यातायात/पीपीपी, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय	निदेशक	09.05.2022

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

24.2 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों को अध्यक्ष/निदेशक नियुक्त किया गया:

क्रम. नं.	नाम	पद का नाम	नियुक्ति की तिथि/पदनाम में परिवर्तन
1.	श्री पवन कुमार मिश्रा निदेशक (वित्त), सीसीएल	अध्यक्ष	14.03.2024
2.	श्री हरीश दुहान, निदेशक (विपक्ष), सीसीएल	निदेशक	14.03.2024
3.	श्री प्रवीण कुमार प्रकाश (जेटीसी, परिवहन विभाग), जीओजे	निदेशक	18.03.2024

24.3 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक पद से हट गए:

क्रम. सं.	नाम	पद का नाम	समाप्ति की तिथि	टिप्पणी
1.	श्री बी. साईराम, निदेशक (तकनीकी/ परिचालन) सीसीएल	निदेशक	14.03.2024	सीएमडी एनसीएल के रूप में चयन
2.	श्री प्रदीप कुमार, जेटीसी, जीओजे	निदेशक	18.03.2024	स्थानांतरण पर

कंपनी श्री बी. साईराम, निदेशक (तकनीकी/ संचालन) सीसीएल और श्री प्रदीप कुमार, संयुक्त तकनीकी निदेशक, झारखंड सरकार द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में वर्षों के कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के योगदान की सराहना करती है तथा उन्हें स्वीकार करती है।

25. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

31.03.2024 तक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की संरचना निम्नानुसार है:

क्रम सं.	नाम	पद का नाम	अपॉइंटमेंट की तिथि
1	श्री राजेश कुमार मिश्रा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)	29.01.2022
2	श्री प्रदीप कुमार सिंह	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)	29.01.2022
4	श्रीमती श्रेया	कंपनी सचिव (सीएस)	29.04.2022

26. बोर्ड मीटिंग

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड की सात (7) बार बैठक हुई। दो बैठकों के बीच अधिकतम समय अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था। इस अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

बैठक नं.	बैठक की तिथि	समय	बैठक का स्थान
छियालीस	24.04.2023	दिन के 11 बजे	दिल्ली

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

सैंतालीस	07.07.2023	03:30 अपराह्न	रांची
अड़तालीस	18.07.2023	04.30 अपराह्न	रांची
उनचास	13.10.2024	10.00 पूर्वाह्न	रांची
पचास	05.01.2024	05:00 अपराह्न	रांची
इक्यावन	17.01.2024	दिन के 11 बजे	रांची
बावन	12.02.2024	11.00 पूर्वाह्न	रांची

27. वार्षिक आम बैठक

पिछले तीन वर्षों के दौरान शेयरधारकों की आयोजित वार्षिक आम बैठकों का विवरण:

वर्ष	का नाम मिलने की तारीख & समय	जगह	उपस्थिति	विशेष संकल्प, यदि कोई
2020 - 21	6वीं वार्षिक आम बैठक 6 अगस्त 2021 दोपहर 12.30 बजे बजे	सी सी ए ल , दरभंगा हाउस, रांची	<ol style="list-style-type: none"> श्री भोला सिंह : सदस्य एवं अध्यक्ष श्री अमित सिंघा रॉय : सदस्य श्री शशांक शेखर झा : सदस्य श्री सुरजीत दत्ता : सदस्य (इरकॉन कार्यालय दिल्ली से वी.सी.) श्री जे.पी.विश्वकर्मा : सीसीएल के प्रतिनिधि सुश्री रितु अरोड़ा : इरकॉन की प्रतिनिधि (इरकॉन कार्यालय दिल्ली से वी.सी.) श्री रविशंकर विद्यार्थी : जीओजे के प्रतिनिधि (परिवहन विभाग , जीओजे , रांची से वीसी) 	शून्य
2021 - 22	7वीं वार्षिक आम बैठक 18 वीं जुलाई 2022 में 11:30:00 बजे सुबह	सी सी ए ल , दरभंगा हाउस, रांची	<ol style="list-style-type: none"> श्री एस.के. गोमास्ता : सदस्य एवं अध्यक्ष रमेश झा : सदस्य श्री शशांक शेखर झा : सदस्य श्री प्रणव कुमार : सदस्य (इरकॉन कार्यालय दिल्ली से वी.सी.) श्री राजेंद्र सिंह : सीसीएल के प्रतिनिधि सुश्री रितु अरोड़ा: इरकॉन की प्रतिनिधि (इरकॉन कार्यालय, दिल्ली से वी.सी.) श्री ब्रजेन्द्र हेम्ब्रोम : झारखंड सरकार के प्रतिनिधि (परिवहन विभाग , झारखंड सरकार , रांची से वी.सी.) 	1

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

2022 - 23	8वीं वार्षिक आम बैठक 21वीं जुलाई 2023 को सुबह 10:30:00 बजे	सी सी एल , दरभंगा हाउस, रांची	1. श्री बी. साईराम : सदस्य एवं अध्यक्ष 2. श्री पवन कुमार मिश्रा : सदस्य 3. श्री शशांक शेखर झा : सदस्य 4. श्री प्रणव कुमार : सदस्य (इरकॉन कार्यालय दिल्ली से वी.सी.) 5. श्री सुशील कुमार सिन्हा : सीसीएल के प्रतिनिधि 6. सुश्री रितु अरोड़ा: इरकॉन की प्रतिनिधि (इरकॉन कार्यालय, दिल्ली से वी.सी.) 7. श्री ब्रजेन्द्र हेम्ब्रोम : झारखंड सरकार के प्रतिनिधि (परिवहन विभाग , झारखंड सरकार , रांची से वी.सी.)	1
-----------	--	-------------------------------	--	---

28. वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ **अनुबंध-III** के रूप में संलग्न हैं।

29. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 149(4) के तहत दी गई छूट को कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पढ़ने पर, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कंपनी पर लागू नहीं होती है।

30. लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 (2) के प्रावधानों के साथ कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार, “लेखा परीक्षा समिति में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे, जिनमें स्वतंत्र निदेशक बहुमत में होंगे।”

कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 149(4) के प्रावधानों के साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कंपनी पर लागू नहीं होती है।

चूंकि कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट प्राप्त है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कंपनी पर लेखापरीक्षा समिति का गठन लागू नहीं होता है।

31. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 (1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित, «नामांकन और पारिश्रमिक समिति में तीन या अधिक गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे»।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 149(4) के प्रावधानों के साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कंपनी पर लागू नहीं होती है।

चूंकि कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट प्राप्त है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, नामांकन और पारिश्रमिक समिति कंपनी पर लागू नहीं होती है।

32. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के तहत सतर्कता तंत्र

कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 149(4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कंपनी पर लागू नहीं होती है। चूंकि कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से छूट दी गई है, इसलिए ऑडिट समिति का गठन कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(कंपनी बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम 3 के अनुसार, बोर्ड सतर्कता तंत्र के प्रयोजन के लिए एक निदेशक को नामित करने की प्रक्रिया में है, जिसे अन्य निदेशक और कर्मचारी अपनी चिंताओं की रिपोर्ट कर सकते हैं।

33. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

जेसीआरएल की परियोजना को प्रमोटर्स के योगदान से वित्त पोषित किया जाता है। बैंकों में जमा इक्विटी के माध्यम से प्राप्त अधिशेष निधियों से उत्पन्न ब्याज आय के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹540.35 लाख का शुद्ध लाभ हुआ है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार सीएसआर के लिए शुद्ध लाभ की गणना के आधार पर, वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक खर्च किए जाने वाले कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए ₹8.88 लाख आवंटित किए गए थे। चूंकि सीएसआर व्यय के तहत खर्च की जाने वाली राशि ₹50 लाख से कम थी, इसलिए अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसार, सीएसआर समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं थी।

सीएसआर आवंटन और कार्यान्वयन:

- आवंटन:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार सीएसआर के लिए शुद्ध लाभ की गणना के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक खर्च करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 8.88 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी।
- छूट:** कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा प्रस्तुत अधिनियम की धारा 135(9) उन मामलों में सीएसआर समिति गठित करने की आवश्यकता से छूट प्रदान करती है, जहां धारा 135(5) के तहत खर्च की जाने वाली राशि एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। ऐसे मामलों में, सीएसआर समिति के कार्यों का निर्वहन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।
- सर्वेक्षण:** जेसीआरएल के अधिकारियों ने 22.01.2024 को निर्माण स्थल के पास स्थित सरकारी स्कूलों का दौरा किया। अपने दौर के दौरान उन्होंने स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए आवश्यक जरूरतों का आकलन करने के लिए स्कूल के प्रधानाचार्यों से परामर्श किया।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

- परियोजना का शीर्षक : परियोजना का नाम** “ जेसीआरएल की परियोजना स्थल के पास स्थित स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से परियोजना स्थल के आसपास के चतरा जिले के सरकारी स्कूलों के प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोधित वस्तुओं की आपूर्ति» रखा गया था।
- वास्तविक व्यय राशि :** जेसीआरआईएल द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की गई वास्तविक राशि 9.19 लाख थी, जैसा कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- समझौता ज्ञापन (एमओयू) :** पीपुल फॉर एजुकेशन रिसर्च स्कॉलरशिप और आउटवर्ड न्यूट्रिशन के साथ समझौता ज्ञापन (पीईआरएसओएन) (एक सोसायटी, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 160 के तहत पंजीकृत), कार्यान्वयन एजेंसी, के साथ 26.02.2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। एमओयू की शर्तों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी को निधि हस्तांतरित की गई। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वस्तुओं की खरीद की गई और निम्नलिखित सरकारी स्कूलों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत अनुरोध के अनुसार उन्हें स्थापित किया गया:

कार्यान्वयन का स्थान:

- 10+2 जनता हाई स्कूल, पत्थलगड्डा , चतरा
- उत्कर्मित प्रथमिक विद्यालय, कुब्बा कला, पत्थलगड्डा , चतरा
- उत्कर्मित प्रथमिक विद्यालय, पिपरटोली , चतरा
- उत्कर्मित मध्य विद्यालय, अनगड़ा, चतरा

सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत आपूर्ति की गई वस्तुएं

एसआई संख्या	आपूर्ति की गई वस्तुएँ	कुल
1.	पंखा	36
2.	ट्यूबलाइट	30
3.	बेंच डेस्क	20
4.	इन्वर्टर	4
5.	बैटरी	8
6.	पानी शुद्ध करने वाला यंत्र	2
7.	पानी वाला कूलर	2
8.	सौर पेनल	3
9.	पनडुब्बी पंप	1
10.	छत शेड	4


सीएसआर गतिविधियां सफलतापूर्वक संचालित की गईं, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि आवंटित धनराशि का उपयोग परियोजना स्थल के आसपास के समुदाय के लाभ के लिए प्रभावी ढंग से किया गया।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com



झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com



झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com



झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

34. निदेशकों द्वारा वैधानिक प्रकटीकरण

आपकी कंपनी का कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है।

35. बैंकर का नाम और पता

क्रम सं.	नाम	शाखा पता
1	पंजाब नेशनल बैंक [लीड बैंक]	एसएन गांगुली रोड, रांची, झारखंड -834001
2	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001-
3	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	एक्स्ट्रा लार्ज कॉर्पोरेट शाखा, टॉल्स्टॉय हाउस, कॉनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
4	यूको बैंक	एफसीसी, इंडिया एक्स. प्लेस (0002), इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 700001
5.	एचडीएफसी बैंक	घर सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल मुंबई

36. कंपनी के लेखा परीक्षक:

i) सांविधिक लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय खातों की लेखा परीक्षा के लिए निम्नलिखित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को नियुक्त किया गया है।

आर.के. गरोडिया एंड कंपनी

202, रामकिशन स्क्वायर,
दूसरी मंजिल, टेलीफोन एक्सचेंज के पास
लेक रोड, रांची-834001

ii) सचिवीय लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 07.07.2023 की मद संख्या 4(3) के तहत अपनी 47वीं बोर्ड बैठक में वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए अधिनियम के तहत अपेक्षित सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए निम्नलिखित कंपनी सचिव फर्म को नियुक्त किया गया था। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न की गई है।

मेसर्स विद्या बैद एंड कंपनी,

तीसरी मंजिल, कमरा नं. 39,
35 अर्मेनियाई स्ट्रीट,
कोलकाता-700001, पश्चिम बंगाल।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

iii) आंतरिक लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 एवं नियम 13 के अंतर्गत कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के अनुसार, जेसीआरएल बोर्ड ने अपनी 52 बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए निम्नलिखित आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की है।

मेसर्स आरकेपी एंड एसोसिएट्स

दुकान नं.22, भूतल,

आर्कटिक मॉल, करम टोली चौक के पास,

बरियातू रोड, रांची-834009

37. धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य नहीं हैं।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई।

38. सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियां

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

39. महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तहत प्रकटीकरण कार्यस्थल

बोर्ड कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने की प्रक्रिया में है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013 के नियम 13 (ए) के अनुसार यौन उत्पीड़न विरोधी नीति भी तैयार कर रहा है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं।

यह सूचित किया जाता है कि बोर्ड को वर्ष 2023-24 के दौरान कोई यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

40. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के तहत आवश्यकता के अनुसार, इसकी पुष्टि की जाती है:

- 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने में सीआईएल द्वारा अनुमोदित एकसमान लेखा नीति का पालन किया गया है। उक्त एकसमान लेखा नीति को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के अनुसार तैयार किया गया है।
- वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किये गये हैं।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जिन्हें उचित और विवेकपूर्ण माना गया है, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष विवरण दिया जा सके।
- कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की जाएगी।
- निदेशकों ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'चलती चिंता' के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया है।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली पर्याप्त है और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।
- यह प्रणाली सभी लागू कानूनों के अनुपालन हेतु विकसित की गई है तथा यह प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

41. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुसार जानकारी इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-V में दी गई है**।

42. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के अनुसार कर्मचारियों का विवरण

कंपनी के किसी भी कर्मचारी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के साथ कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हो रहा था।

43. क्रेडिट रेटिंग

कंपनी ने परियोजना के लिए रेटिंग अभ्यास करने के लिए आईसीआरए लिमिटेड को नियुक्त किया है, जो परियोजना के रुपया अवधि ऋण वित्तपोषण के लिए ऋणदाताओं के साथ निष्पादित महत्वपूर्ण वित्तपोषण दस्तावेजों में से एक है। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए **बीबीबी+ (स्थिर) रेटिंग** दी गई है।

44. सीएंडएजी द्वारा जारी लंबित ऑडिट पैरा की स्थिति

31.03.2024 तक सी एंड एजी द्वारा जारी कोई भी ऑडिट पैरा लंबित नहीं है।

45. सचिवीय मानकों का अनुपालन

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

46. लागत अभिलेखों का रखरखाव

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

47. कॉर्पोरेट प्रशासन

कंपनी का प्रबंधन सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करते हुए सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी अधिनियम के साथ-साथ लिस्टिंग समझौतों के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन करती है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा सीपीएसई के लिए जारी कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों का यथासंभव अधिकतम सीमा तक अनुपालन किया गया है।

48. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ।

49. वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

वित्तीय वर्ष के दौरान तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई भी भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धता प्रभावित नहीं हो रही है।

50. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भौतिक परिवर्तन

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के निगमन के समय यह निर्णय लिया गया था कि झारखंड सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी, जिसका मूल्य उसके 10% इक्विटी शेयर में शामिल होगा। कोई भी अतिरिक्त लागत कंपनी द्वारा वहन की जाएगी, तथा किसी भी कमी की भरपाई झारखंड सरकार नकद भुगतान के माध्यम से करेगी। पर्यावरणीय उपायों की लागत भी कंपनी द्वारा वहन की जाएगी।

झारखंड सरकार के इक्विटी अंशदान को संभालेगा और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। प्राप्त भुगतान को इक्विटी शेयर पूंजी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिखाया गया है। जेसीआरएल ने उपलब्ध कराए जाने पर झारखंड सरकार के खजाने में भूमि के लिए भुगतान किया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अनुसार कंपनी के अनुच्छेदों में परिवर्तन करने के लिए 18 जुलाई 2023 को आयोजित आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

एसोसिएशन के अंतर्नियमों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :

पुराने खण्ड	परिवर्तन किए
<p>(ii) अनुच्छेद 5(iii) के अधीन, नीचे दिए गए पक्ष कंपनी के जारी इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेंगे ताकि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न निम्नानुसार हो:</p> <p>ए) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड : %64 बी) इरकॉन इंटरनेशनल: %26 सी) झारखंड सरकार:10</p>	<p>नीचे दिए गए पक्ष कंपनी के जारी इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेंगे ताकि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न निम्नानुसार हो:</p> <p>ए) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड : 64% बी) इरकॉन इंटरनेशनल: 26% सी) झारखंड सरकार:10</p>
<p>(iii) झारखंड सरकार राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि (राजस्व भूमि और वन) प्रदान करेगी और ऐसी भूमि का मूल्य अनुच्छेद 5(ii) के अनुसार कंपनी में GOJ की इक्विटी हिस्सेदारी के लिए समायोजित किया जाएगा। यदि GOJ द्वारा प्रदान की गई भूमि (राजस्व भूमि और वन भूमि सहित) का मूल्य इक्विटी के %10 से अधिक है, तो अतिरिक्त लागत कंपनी द्वारा वहन की जाएगी। हालाँकि, यदि भूमि का मूल्य इक्विटी के %10 से कम है, तो GOJ अपनी %10 इक्विटी के शेष भाग को नकद भुगतान के माध्यम से सब्सक्राइब करेगी। वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन योजना के डायवर्सन प्रस्ताव के लिए प्रतिपूरक वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य, व्यापक जीवन प्रबंधन योजना, सीमांकन, कटाई और अन्य शुल्क की लागत कंपनी द्वारा वहन की जाएगी।</p>	<p>हटाए गए</p>

51. वर्ष के दौरान दिवालियापन एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के अंतर्गत किए गए आवेदन या लंबित किसी कार्यवाही का ब्यौरा तथा वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत आपकी कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ/लंबित नहीं है, जो कंपनी के व्यवसाय पर भौतिक रूप से प्रभाव डालती हो।

52. आभार

आपके निदेशकगण कंपनी की प्रगति के लिए कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों, कोल इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से प्राप्त सहयोग, बहुमूल्य सहायता, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए गहरी सराहना के साथ आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकगण रेल कॉरिडोर के विकास के लिए समय-समय पर स्थानीय प्रशासन द्वारा दी गई सहायता और सहयोग के लिए उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

आपके निदेशकगण सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) से प्राप्त रचनात्मक सुझावों के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं तथा उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए आभारी हैं।

आपके निदेशकगण बैंकों के संघ के भी आभारी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना को निरंतर समर्थन और सहयोग प्रदान किया है। आपके निदेशकगण सभी शेयरधारकों को उनके निरंतर समर्थन और प्रबंधन पर उनके भरोसे के लिए हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं। आपके निदेशकगण पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जेसीआरएल के कर्मचारी आने वाले वर्षों में कंपनी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे।

53. परिशिष्ट

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:

- कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों (एओसी-2) के साथ किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण का खुलासा इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।
- कंपनी की “सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट” इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-II** में दी गई है।
- 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां **अनुलग्नक III** में दी गई हैं।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक-IV**
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (3) के साथ पठित, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में जानकारी इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-V** में दी गई है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-VI** में दी गई है।

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके लिए

ह/-

(पवन कुमार मिश्रा)

अध्यक्ष

डीआईएन नं.09665365

दिनांक : 16.07.2024

स्थान: रांची

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

अनुलग्नक - I

फॉर्म संख्या AOC-2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे परंतुक के अंतर्गत कुछ निश्चित लेन-देन भी शामिल हैं।

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देनों का ब्यौरा जो कि निष्पक्ष आधार पर न हो

संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति	शून्य
अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति	शून्य
अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की अवधि	शून्य
अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देनों की मुख्य शर्तें, जिसमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	शून्य
ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	शून्य
बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तारीखें)	शून्य
अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	शून्य
वह तिथि जिस दिन धारा 188 के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अपेक्षित सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया	शून्य

2. भौतिक अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देनों का ब्यौरा आधार

क) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति:

- सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी)
- इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (महत्वपूर्ण प्रभाव)

ख) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति :

- निर्माण एवं परामर्श सेवाएं-रु.39,375.42 (लाखों में)
- किराया-2.96 रुपए (लाखों में)

ग) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि : शून्य

घ) अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन की मुख्य शर्तें जिनमें मूल्य शामिल हैं, यदि कोई हो : शून्य

ई) ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य: शून्य

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

- च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तारीखें) : शून्य
- छ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो : शून्य
- ज) वह तिथि जिस दिन सामान्य बैठक में आवश्यकतानुसार विशेष प्रस्ताव पारित किया गया धारा 188 के प्रथम परन्तुक के अधीन : लागू नहीं

निदेशक मंडल की ओर से
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

ह/-

(पवन कुमार मिश्रा)

अध्यक्ष

डीआईएन:09665365

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

अनुलग्नक - II

फॉर्म संख्या एमआर - 3 सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(³¹ मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

प्रति,

सदस्य

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

दरभंगा हाउस, रांची

झारखंड

हमने झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जिसे आगे “कंपनी” कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट व्यवहारों के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षा किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से किया गया था कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, दाखिल किए गए फॉर्म और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने **31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान** आम तौर पर नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं:

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

- I. कंपनी अधिनियम, 2013 (**अधिनियम**) और इसके तहत बनाए गए नियम;
- II. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (‘एससीआरए’) और इसके अधीन बनाए गए नियम;
- III. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;
- IV. * विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;
- V. भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जी.एम. के तहत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

VI. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं: कंपनी पर लागू सीमा तक: -

- *क. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण) और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
- ख. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;
- *ग. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण) आवश्यकताएँ) विनियम, 2018;
- *घ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, *2021
- *ई. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) प्रतिभूति) विनियम, 2021;
- *च. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर के रजिस्ट्रार) कंपनी अधिनियम और डीलिंग के संबंध में ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993 ग्राहक के साथ;
- *छ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2021;
- *ज. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018;
- #i. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण) आवश्यकताएँ) विनियम, 2015

VII. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू खंड बोर्ड और आम बैठकों के संबंध में भारत के सचिव।

- * ये धाराएं समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं थीं।
- # भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों को कंपनी पर लागू सीमा तक संकलित किया गया क्योंकि कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की एक उप-सहायक कंपनी है जो एक सूचीबद्ध इकाई है।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड , सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। झारखंड सरकार, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) और एसोसिएशन के लेखों के अनुसार कंपनी का शेयरधारिता पैटर्न इस प्रकार है:

- सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड: 64%
- इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड: 26%

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

● झारखंड सरकार: 10%

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने सामान्यतः अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन और वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों के रखरखाव की इस ऑडिट में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि ये वैधानिक लेखा परीक्षक और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।

कंपनी पर लागू विशिष्ट कानूनों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित तथा उसके अनुसरण में प्रासंगिक दस्तावेजों और अभिलेखों की नमूना-जांच के आधार पर जांच करने पर, कंपनी ने कंपनी पर विशेष रूप से लागू कानूनों का अनुपालन किया है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है: -

1. खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमापार संचलन) नियम, 2008;
2. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974;
3. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981;
4. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

झारखंड सरकार, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड («सीसीएल») और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) और एसोसिएशन के लेखों के अनुसार, जेसीआरएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक निदेशक होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पार्टियों के नामित व्यक्ति निम्नानुसार होंगे:

दल	निदेशकों की संख्या
झारखंड सरकार	1
रेल मंत्रालय (एमओआर)	1
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)	3
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	2

बोर्ड का अध्यक्ष सीसीएल का नामित व्यक्ति होगा। बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों को डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार नियंत्रक मंत्रालय (एमओसी /सीआईएल/सीसीएल) द्वारा नामित किया जा सकता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- a) कंपनी के निदेशक मंडल का गठन उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में कुछ परिवर्तन हुए, जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

- b) वर्ष के दौरान निर्धारित बोर्ड मीटिंग के लिए सभी निदेशकों को नोटिस, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स दिए गए थे। बोर्ड की बैठकें कम समय के नोटिस पर आयोजित की गईं और हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सभी निदेशकों की सहमति से आयोजित की गईं और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।
- c) अध्यक्ष द्वारा विधिवत रूप से रिकॉर्ड किए गए और हस्ताक्षरित बोर्ड की बैठकों के विवरण के अनुसार, बोर्ड का बहुमत निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था और कोई असहमतिपूर्ण विचार दर्ज नहीं किया गया है।

वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक आम बैठक सदस्यों/निदेशकों की सहमति से निर्धारित समय से कम समय पर बुलाई गई।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए हैं, जिनका उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव पड़ रहा है:

1. कंपनी ने अपनी वार्षिक आम बैठक में एसोसिएशन के अनुच्छेद के पूंजी खंड में परिवर्तन के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया है, जिसका विवरण पहले से ही निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।
2. यह रिपोर्ट हमारे सम तारीख के पत्र के साथ पढ़ी जाए जो “अनुलग्नक ए” के रूप में संलग्न है। और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 16 जुलाई, 2024

यू डी आई एन: F008882F000725301

विद्या बैद एंड कंपनी के लिए
कंपनी सचिव

ह/-

विद्या बैद

एफसीएस नं. 8882

सी.पी. नं. 8686

“अनुलग्नक ए”

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

प्रति,

सदस्य

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

दरभंगा हाउस, रांची

झारखंड

इस पत्र के साथ हमारी सम तारीख की रिपोर्ट भी पढ़ी जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित रूप से लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 16 जुलाई, 2024

विद्या बैद एंड कंपनी के लिए

कंपनी सचिव

ह/-

विद्या बैद

एफसीएस नं. 8882

सी.पी. नं. 8686

अनुलग्नक - III

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF JHARKHAND CENTRAL RAILWAY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024.

The preparation of financial statements of Jharkhand Central Railway Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 20 April 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Jharkhand Central Railway Limited for the year ended 31 March 2024 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India


(Bibhudutta Basantia)
Director General of Audit (Coal)
Kolkata

Place: Kolkata
Date: June 2024

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

अनुबंध-IV

सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक प्रतिवेदन

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ओ) और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम 2022 के नियम 8(1) के अनुसरण में)

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

व्यवसाय और उद्योग सामाजिक प्रगति और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। वे समाज से संसाधनों का उपयोग करते हैं और धन उत्पन्न करने के लिए मूल्य बनाते हैं। इसलिए, समाज और व्यवसाय के बीच एक पारस्परिक निर्भरता मौजूद है, जिसमें व्यवसायों को सामाजिक अपेक्षाओं पर विचार करने के लिए बाध्य किया जाता है। व्यवसाय निवेश और संचालन के लिए एक स्थिर सामाजिक वातावरण आवश्यक है; इसलिए, उद्योगों को ऐसे वातावरण को सुविधाजनक बनाने के लिए सामाजिक चिंताओं को संबोधित करना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम 2022 के अनुसार, झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड ने जनवरी 2023 में जेसीआरएल के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित अपनी सीएसआर नीति तैयार की है। झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड ने सतत विकास के लिए सीएसआर को एक रणनीतिक उपकरण के रूप में अपनाया है। नीति के व्यापक उद्देश्यों के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों को परियोजना/कार्यक्रम मोड में, अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में, जेसीआरएल (स्थानीय क्षेत्र) के परियोजना क्षेत्रों के आसपास, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के प्रमुख क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

निधि का आवंटन

वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए निधि आवंटन हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा:

1. एक वर्ष में न्यूनतम सीएसआर व्यय लक्ष्य $a+b-c$ होगा, जहां:

- क) कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%।
- ख) किसी भी सीएसआर परियोजना से उत्पन्न अधिशेष
- ग) पिछले वर्ष(वर्षों) से उपलब्ध सेट ऑफ

नीति में किसी विशेष वर्ष में अव्ययित या अतिरिक्त सीएसआर राशि के लिए प्रावधान/दशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं, जो कि कानून के अनुसार होंगे, जिसका अर्थ है कि यदि जेसीआरएल किसी वर्ष के लिए अनिवार्य सीएसआर लक्ष्य से अधिक राशि खर्च करता है, तो राशि को समायोजित किया जा सकता है। जेसीआरएल सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के प्राथमिक लाभार्थी परियोजना प्रभावित क्षेत्र और निर्माण स्थल के 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग होंगे। जेसीआरएल यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी सीएसआर गतिविधियाँ कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII और डीपीई या एमओसी के निर्देशों या सरकार के लागू अधिनियम/नियम/आदेश/दशानिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

- जेसीआरएल सीएसआर नीति में निम्नलिखित डीओपी के अनुसार सीएसआर परियोजनाओं के अनुमोदन की परिकल्पना की गई है:

अधिकार	डीओपी
अध्यक्ष, जेसीआरएल	2 लाख तक मूल्य की परियोजनाएं/गतिविधियां
निदेशक मंडल	2 लाख से अधिक मूल्य की परियोजनाएं/गतिविधियां

- सीएसआर समिति की संरचना:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम / प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
-	-	-	-	-

कंपनी अधिनियम की धारा 135 (1) के अनुसार, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के साथ पठित, सीएसआर प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होंगे जो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती हैं:

- निवल संपत्ति 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक; या
- ₹1000 करोड़ या उससे अधिक का कारोबार; या
- 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ।

ऐसी प्रत्येक कंपनी को बोर्ड की एक सीएसआर समिति गठित करना आवश्यक है। कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा प्रस्तुत अधिनियम की धारा 135 (9) में सीएसआर समिति गठित करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है, जहां अधिनियम की धारा 135 (5) के तहत कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

*ऐसे मामलों में, अधिनियम की धारा 135 के तहत सीएसआर समिति के कार्यों का निर्वहन ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

- वेब-लिंक उपलब्ध कराएं जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया गया हो : लागू नहीं
- निम्नलिखित वर्षों में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें : वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागू नहीं
- कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का ब्यौरा तथा वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से कटौती हेतु उपलब्ध राशि (रु. में)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो (रु. में)
1			
3			
कुल			

(ए) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: 8.88 लाख रुपये

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चल रही परियोजना और चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य दोनों परियोजनाएं): रु. 8,35,250.00**
- (ख) प्रशासनिक उपरिव्यय में व्यय राशि: रु. 83,525.00
- (ग) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: रु. 0.00
- (घ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)]: रु. 9,18,775.00
- (ई) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि: शून्य

7. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि (रु. में)	अव्ययित राशि (रु. में)				
	धारा 135(6) के अनुसार कुल राशि अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दी गई।		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित राशि।		
9,18,775.00	मात्रा।	स्थानांतरण की तिथि.	फंड का नाम	मात्रा।	स्थानांतरण की तिथि.
9,18,775	0	-	-	-	-

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्रम सं.	परियोजना का नाम.	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदा।	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं).	परियोजना का स्थान.	परियोजना अवधि।	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	चालू वित्त वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (रु. में)।	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	ज़िला					नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.											
कुल											

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1) क्रम सं.	(2) परियोजना का नाम	(3) अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मदा।	(4) स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं).	(5) परियोजना का स्थान.		(6) परियोजना पर व्यय की गई राशि (रु. में)	(7) कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)।	(8) कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से।	
				राज्य	ज़िला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या.
1.	चतरा में सरकारी विद्यालयों के प्रतिनिधियों द्वारा मांगी गई वस्तुओं की आपूर्ति	शिक्षा को बढ़ावा देना	हाँ	झारखंड, चतरा		835,250	नहीं	पीपुल फॉर एजुकेशन रिसर्च स्कॉलरशिप और आउटवर्ड न्यूट्रिशन (व्यक्ति)	सीएसआर 00012783
2.									
3.									
कुल									

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि: 83525 .00

(ई) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष (8बी+8सी+8डी+8ई) के लिए व्यय की गई कुल राशि: 9,18,775.00

(छ) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्रम सं.	विशिष्ट	राशि (रु. में)
(मैं)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	887806.67
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	918775.00
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	0.00
(चतुर्थ)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	0.00
(वी)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	0.00

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

8. क्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है? वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि: नहीं

यदि हाँ, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें : शून्य

9. यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई भी राशि अव्ययित नहीं रहेगी

निदेशक मंडल की ओर से
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

ह/-
(पवन कुमार मिश्रा)
अध्यक्ष
डीआईएन:09665365

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

अनुलग्नक-V

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय पर खुलासा किए जाने वाली आवश्यक जानकारी नीचे दी गई है :

(A) ऊर्जा संरक्षण

(a) ऊर्जा संरक्षण हेतु उठाए गए कदम या प्रभाव:

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है।

(b) वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

लागू नहीं

(c) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश:

कार्यालय भवन में पावर सेवर उपकरण लगाए गए हैं।

(B) प्रौद्योगिकी अवशोषण

(a) प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास:

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है।

(ख) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ:

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है।

(ग) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से गणना करते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)

(क) आयातित प्रौद्योगिकी का ब्यौरा : शून्य

(बी) आयात का वर्ष : शून्य

(ग) क्या प्रौद्योगिकी पूर्णतः आत्मसात कर ली गई है : शून्य

(घ) यदि पूर्णतः अवशोषित नहीं हुआ है, तो ऐसे क्षेत्र जहां अवशोषण
हीं हुआ है, तथा इसके कारण : शून्य

(ई) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय : शून्य

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:

एसआई नं.	विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
1	पूंजी	शून्य	शून्य
2	पुनरावर्ती	शून्य	शून्य
3	कुल	शून्य	शून्य
4	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय	शून्य	शून्य

(C) विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा व्यय और विदेशी मुद्रा शून्य है।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के सदस्यों के लिए

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है ('द कंपनी'), जिसमें 31 मार्च, 2024 तक की बैलेंस शीट और लाभ और हानि का विवरण शामिल है, और उस वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, तथा वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें नकदी प्रवाह का सारांश शामिल है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं ऐसा अपेक्षित है तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहिए। 31 मार्च 2024 तक कंपनी की स्थिति और उस दिन समाप्त वर्ष के लिए लाभ और उसके नकदी प्रवाह तारीख।

राय का आधार

हमने अपना लेखा-परीक्षण भारतीय लेखा परीक्षा नियम, 1974 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षण मानकों (एस.ए.) के अनुसार किया। अधिनियम। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अनुभाग। हम कंपनी के अनुसार स्वतंत्र हैं भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और नैतिक आवश्यकताएं जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं इसके तहत, और हमने इन आवश्यकताओं और के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है आचार संहिता। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है हमारी राय के लिए।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 5(134) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है। इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों को तैयार करना जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह को सामान्यतः लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार भारत में स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार कार्य करना, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानक भी शामिल हैं। शामिल रखरखाव का पर्याप्त लेखांकन अभिलेख में अनुसार साथ प्रावधानों का कार्य के लिए रक्षा करना का संपत्ति का कंपनी और रोकने के लिए और का पता लगाने धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताएं; चयन और उचित लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करना, जो कि तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है स्टैंडअलोन वित्तीय कथन वह देना ए सत्य और गोरा देखना और हैं मुक्त से सामग्री गलतबयानी, चाहे देय धोखाधड़ी या त्रुटि के लिए।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार होता है एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रखना, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करना और चालू व्यवसाय का उपयोग करना लेखांकन का आधार तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास कोई दायित्व न हो ऐसा करना यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण सही हैं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, भौतिक गलत बयान से मुक्त होना, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एक ऑडिट किया गया है अनुसार साथ एसएस इच्छा हमेशा पता लगाना ए सामग्री गलत बयान कब यह मौजूद। गलत विवरण कर सकना उठना से धोखाया त्रुटि है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं।

एसएस के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं लेखापरीक्षा के दौरान हम यह भी करते हैं:

- एकल वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो पर्याप्त और उपयुक्त हों हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करें। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी भौतिक गलत बयान का पता न लगा पाने का जोखिम एक से अधिक है त्रुटि के परिणामस्वरूप, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या ओवरराइड शामिल हो सकता है आंतरिक नियंत्रण।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो कि लेखापरीक्षा के लिए उपयुक्त हों। परिस्थितियों। अधिनियम की धारा 3)143)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता भी अच्छी है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित लेखांकन नीतियों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें प्रबंधन द्वारा किये गये खुलासे।
- लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और लेखापरीक्षा के आधार पर प्रमाण प्राप्त किया, चाहे ए सामग्री अनिश्चितता मौजूद संबंधित को आयोजन या स्थितियाँ वह मई ढालना महत्वपूर्ण संदेह पर कंपनी की चालू चिंता के रूप में जारी रहने की क्षमता। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें यह करना आवश्यक है हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करें या, यदि ऐसे खुलासे हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी नहीं रह सकती है।
- प्रकटीकरणों सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं कि निष्पक्षता प्राप्त हो प्रस्तुति।

हम अन्य मामलों के अलावा, योजनाबद्ध दायरे और समय के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं लेखापरीक्षा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसकी हम पहचान करते हैं हमारे लेखापरीक्षा के दौरान।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने प्रासंगिक नैतिक मानकों का अनुपालन किया है। स्वतंत्रता से संबंधित आवश्यकताओं, और उनके साथ सभी रिश्तों और अन्य मामलों पर संवाद करना यह उचित रूप से माना जा सकता है कि यह हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालेगा, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपाय भी लागू होंगे।

मामले का ज़ोर

आधारित पर प्रतिबंध का एक का जेवी साथी, एमएस इरकॉन अंतरराष्ट्रीय सीमित के बारे में आप LIMIT का इक्विटी निवेश, सीसीएल, एक और जेवी साथी है प्राप्त किया विशेषज्ञ राय और जेसीआरएल तख्ता है स्वीकृत कंपनी में ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निवेश। कथित तौर पर, इसे भी स्वीकार कर लिया गया है झारखंड सरकार एक और संयुक्त उद्यम भागीदार है। इसलिए, प्रमोटर्स से ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हुआ, समझौता ज्ञापन, परियोजना के समापन या रियायत अवधि के अंत में जो भी बाद में हो, पर चुकाया जाएगा। भारतीय लेखा मानक 32 (पैरा 16) के अनुसार इक्विटी की प्रकृति में वित्तीय साधन के रूप में माना जाता है और इसे खुलासा इसलिए में वित्तीय कथन (संदर्भ देना टिप्पणी नहीं। 7.1.3 गठन भाग का स्टैंडअलोनबैलेंस शीट और नोट 16बी का नोट सं. 5.1 (वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स) है)।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- जैसा आवश्यक द्वारा कंपनियों (लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश देना, 2020 (“द आदेश देना”), जारी किए गए द्वारा केंद्रीय भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार, हम “अनुलग्नक-ए” में देते हैं। ए आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर बयान, जहां तक लागू हो।
- अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - अपनी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं और विश्वास हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;
 - हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें अब तक रखी गई हैं। उन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से यह बात सामने आती है;
 - संतुलन चादर, कथन का लाभ और नुकसान और नकद प्रवाह कथन, निपटा साथ द्वारा यह रिपोर्ट लेखा पुस्तकों के अनुरूप है;
 - हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट;
 - अनुसरण को अधिसूचना नहीं। 463(ई) दिनांकित 5 वीं जून 2015 जारी किए गए द्वारा मंत्रालय का निगमित भारत सरकार के विधिक मामलों में, अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। कंपनी, एक सरकारी कंपनी होने के नाते;
 - कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए, “अनुलग्नक-बी” में हमारी अलग रिपोर्ट देखें ;

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

- (g) अनुसरण को अधिसूचना नहीं। 463(ई) दिनांकित 5 वीं जून 2015 जारी किए गए द्वारा मंत्रालय का निगमित मामले, सरकार का भारत, प्रावधानों का अनुभाग 197 का कम्पनी कार्य, 2013 हैं नहीं उपयुक्त कंपनी, एक सरकारी कंपनी होने के नाते;
- (h) नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमा नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा;
 - कंपनी के पास कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसमें व्युत्पन्न अनुबंध भी शामिल थे, जिसके लिए कोई प्रावधान था। भौतिक पूर्वानुमानित हानियाँ;
 - निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण के लिए कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी कंपनी द्वारा निधि;
 - (क) प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन दिया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। अग्रिम या ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से) का निधि) द्वारा कंपनी को या में कोई अन्य व्यक्ति या इकाई(याँ), शामिल विदेश संस्थाएं (“मध्यस्थ”), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण या निवेश नहीं करेगा जो भी द्वारा या पर ओर से का कंपनी (“अंतिम लाभार्थी») या उपलब्ध करवाना कोई गारंटी, सुरक्षा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से इसी प्रकार का;
 - (b) प्रबंधन ने कहा है कि, जहां तक उसकी जानकारी और विश्वास है, कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से प्राप्त, जिसमें विदेशी संस्थाएं («वित्तपोषण पक्ष») शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, चाहे सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से या उसके नाम पर पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार दें या निवेश करें फंडिंग पार्टी («अंतिम लाभार्थी») की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करना अंतिम लाभार्थी; तथा
 - (c) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खण्ड (क) के अंतर्गत अभ्यावेदन और (बी) कोई भी भौतिक गलतबयानी शामिल हो।
 - v. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लाभांश नहीं दिया गया।
 - vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल थी, कंपनी ने एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

क्रिया है अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखना जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) की सुविधा है और वही सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालन किया गया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

आरके गरोडिया एंड कंपनी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट

202, साई अपार्टमेंट, कचहरी रोड, रांची
(फर्म का पंजीकरण संख्या: 002004सी)

ह/-

सी.ए. दीपक गरोडिया (साझेदार)

(सदस्यता संख्या: 409246)

यूडीआईएन: 24409246BKBZLK6029

स्थान : रांची

तारीख : 20.04.2024

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक - 'ए'

निर्दिष्ट को में अनुच्छेद 1 अंतर्गत 'प्रतिवेदन पर अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताएं' अनुभाग का हमारा प्रतिवेदन का यहां तक की तारीख को सदस्यों का

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड ("कंपनी")

- i (ए) (ए) कंपनी ने पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, मात्रात्मक विवरण सहित और संपत्ति, संयंत्र और की स्थिति उपकरण।
(बी) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
(b) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया है और कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई है। इस प्रकार के सत्यापन में भौतिक विसंगतियां पाई गईं।
(c) अभिलेखों की हमारी जांच तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, बैलेंस शीट की तारीख तक कंपनी के नाम पर कोई अचल संपत्ति नहीं है। इसलिए, के प्रावधान आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड 3 (i) (सी) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
(d) कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों सहित) का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान अमूर्त संपत्ति (जहां भी लागू हो) पर कर लगाया जाएगा।
(e) कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत।
- ii (ए) कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए खंड के तहत रिपोर्टिंग की जा रही है आदेश का अनुच्छेद 3 (ii) (ए) नहीं है कंपनी पर लागू है।
(ख) कंपनी को कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है। वर्ष के दौरान चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जाता है। आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (ii) (बी) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- iii हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई भी किसी भी प्रकार का निवेश, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान करना या ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम राशि प्रदान करना, सुरक्षित या असुरक्षित, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (iii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता वर्ष के लिए लागू नहीं है।
- iv हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी है। ऋण, निवेश किया या दूसरों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए गारंटी दी, जिस पर धारा 185 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अधिनियम लागू होता है। इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (iv) के प्रावधान इस वर्ष के लिए लागू नहीं हैं।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

- v हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने स्वीकार नहीं किया है इस लेखापरीक्षा के अंतर्गत आने वाली अवधि के दौरान जनता से प्राप्त कोई भी जमाराशि। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- vi प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत इस वर्ग की कंपनियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (vi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- vii (क) कंपनी आमतौर पर उचित प्राधिकारियों के पास निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित है। जिसमें माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क शामिल हैं। उपकर और अन्य वैधानिक देयताएं उस पर लागू होती हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, इन वैधानिक के संबंध में कोई निर्विवाद राशि देय नहीं है वर्ष के अंत में बकाया राशि, उनके बकाया होने की तिथि से छह महीने से अधिक समय तक बकाया थी। देय।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित विवादित वैधानिक बकाया हैं: खंड (ए) का यह खंड और अन्य सामग्री वैधानिक देय राशि कौन पास होना नहीं गया जमा किया जैसा पर 31.03.24 जैसा कि नीचे दिया गया है:

एसआई नं.	एन ए की मैं कानून	बकाया राशि का नाम	अवधि यह कौन संबंधित	(रु . (लाखों में)	निर्धारित राशि अंतर्गत विरोध (लाख रुपए में)	मंच कहाँ विवाद है लंबित
1.	आय कर अधिनियम, 1961	आयकर	वित्तीय वर्ष 2018-19	77.72	-	सीआईटी(ए)

कंपनी है नहीं आत्मसमर्पण कर दिया या खुलासा कोई लेन-देन, इससे पहले अप्रत्यक्ष में पुस्तकें का आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में दर्ज किया गया है। आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (viii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

- viii (क) कंपनी ने ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है या ब्याज के भुगतान में उस पर किसी भी ऋणदाता को ऋण नहीं दिया जाएगा।
- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है। संस्था या सरकार या सरकारी प्राधिकरण।
- (c) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, टर्म लोन के लिए आवेदन किया गया था जिस उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्त किया गया था।
- (d) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा वित्तीय स्थिति की समग्र जांच के अनुसार कंपनी के बयानों के अनुसार,

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

अल्पावधि आधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है। कंपनी।

- (e) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, कंपनी ने कोई भी गलती नहीं की है। किसी भी संस्था या व्यक्ति से उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या के दायित्वों को पूरा करने के लिए धन संयुक्त उपक्रमा
- (f) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और अन्य में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है। उद्यम या सहयोगी कंपनियाँ। इसलिए, अनुच्छेद 3 के खंड (ix)(f) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता यह आदेश कम्पनी पर लागू नहीं है।
- ix (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक पूंजी के रूप में कोई धनराशि नहीं जुटाई है। सार्वजनिक प्रस्ताव / आगे का सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (x)(a) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता क्या नहीं है कंपनी पर लागू।
- (बी) कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट/पूर्णतः या आंशिक रूप से नहीं किया है लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के दौरान वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर। इसलिए, खंड पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता आदेश के पैराग्राफ 3 का (x)(बी) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- x (क) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर और जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए लेखापरीक्षा मानकों में उल्लिखित भौतिकता के सिद्धांतों का पालन करते हुए, हम रिपोर्ट करता है कि कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है के दौरान लेखा परीक्षण।
- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में लेखा परीक्षकों द्वारा दाखिल किया गया है। कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 को केंद्र सरकार के साथ साझा किया गया।
- (c) जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, कंपनी को कोई विहसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। साल के दौरान।
- xi कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xii) (ए), (बी), (सी) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- xii हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सभी लेन-देन संबंधित पक्ष धारा 188 के प्रावधानों का अनुपालन कर रहे हैं [अधिनियम की धारा 177 लागू नहीं होती है] कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अधीन वित्तीय विवरणों में अपेक्षित विवरण का खुलासा किया गया है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लागू लेखांकन मानक द्वारा आवश्यक।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

- xiii (क) प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप।
- (ख) हमने लेखापरीक्षा वर्ष के लिए कंपनी को जारी की गई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है। इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि तक के वर्ष में, हमारी लेखापरीक्षा की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में प्रक्रियाएं।
- xiv हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई दायित्व नहीं निभाया है। निदेशकों या निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर-नकद लेनदेन, जैसा कि धारा में परिकल्पित है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192(1) के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। लागू।
- xv (क) हमारी राय में तथा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत। तदनुसार, खंड (xvi) (ए) आदेश का पैराग्राफ 3 लागू नहीं होता।
- (b) हमारी राय में तथा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत। तदनुसार, खंड (xvi) (बी) आदेश का पैराग्राफ 3 लागू नहीं होता।
- (c) कंपनी को इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (xvi) (सी) लागू नहीं होता है।
- (d) अनुसार को जानकारी और स्पष्टीकरण प्रदान किया को हम दौरान अवधि का अंकेक्षण, समूह करता है कोई सीआईसी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xvi)(डी) की आवश्यकताएं नहीं हैं लागू।
- xvi कंपनी को चालू एवं तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।
- xvii वर्ष के दौरान किसी भी वैधानिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है और तदनुसार रिपोर्ट करने की आवश्यकता है आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (xviii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- xviii हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपात, आयु और अपेक्षित खजूर का वसूली का वित्तीय संपत्ति और भुगतान का वित्तीय देनदारियां, अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास होता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भौतिक अनिश्चितता विद्यमान है। कंपनी बैलेंस शीट की तिथि पर विद्यमान अपनी देनदारियों को समय पर पूरा करने में सक्षम नहीं है बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कोई आश्वासन नहीं है कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता। हम आगे बताते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग दिनांक तक के तथ्यों पर आधारित है लेखापरीक्षा रिपोर्ट और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि समय सीमा के भीतर आने वाली सभी देनदारियां बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय राशि का भुगतान कंपनी द्वारा तब किया जाएगा जब वह देय होगी।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

- xix (क) कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए आवश्यक राशि पूरी तरह से खर्च कर दी है और हैं वर्ष के लिए कोई भी अप्रयुक्त सीएसआर राशि नहीं जिसे अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में या विशेष खाते में तदनुसार, आदेश के खंड (xx) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।
- (बी) चालू परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी के पास पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में और चालू वित्तीय वर्ष के अंत में कोई भी अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) राशि नहीं है। इसलिए, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

स्थान : रांची
तारीख : 20.04.2024

आरके गरोडिया एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

202, साईं अपार्टमेंट, कचहरी रोड, रांची
(फर्म का पंजीकरण संख्या: 002004सी)

ह/-

सी.ए. दीपक गरोडिया

(साझेदार)

(सदस्यता संख्या: 409246)

यूडीआईएन: 24409246BKBZLK6029

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक - 'बी'

निर्दिष्ट को में अनुच्छेद 2(एफ) अंतर्गत 'प्रतिवेदन पर अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताएं' अनुभाग का हमारा प्रतिवेदन का यहां तक की तारीख को सदस्यों का

उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (अधिनियम)

हमने झारखंड मध्य रेलवे की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट किया है। लिमिटेड (कंपनी) 31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय के हमारे ऑडिट के साथ उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के विवरण।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। वित्तीय रिपोर्टिंग के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया आंतरिक नियंत्रण द्वारा संस्था का चार्टर्ड एकाउंटेंट का भारत ('द आईसीएआई'). इन जिम्मेदारियां शामिल करना डिजाइन, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन और रखरखाव जो सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे कंपनी की नीतियों का पालन, सुरक्षा सहित अपने व्यवसाय का व्यवस्थित और कुशल संचालन इसकी परिसंपत्तियों, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयार होना।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा जिम्मेदारी है को अभिव्यक्त करना एक राय पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय को नियंत्रित करता है ऊपर वित्तीय रिपोर्टिंग हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर। हमने आंतरिक वित्तीय लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की नियंत्रण ऊपर वित्तीय रिपोर्टिंग (द 'मार्गदर्शन टिप्पणी') जारी किए गए द्वारा आईसीएआई और मानकों पर लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 10)143) के तहत निर्धारित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक। मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसका निष्पादन करें प्राप्त उचित बीमा के बारे में चाहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय को नियंत्रित करता है ऊपर वित्तीय रिपोर्टिंग था स्थापित और बनाए रखा गया है और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में आंतरिक वित्तीय स्थिति की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। को नियंत्रित करता है प्रणाली ऊपर वित्तीय रिपोर्टिंग और उनका ऑपरेटिंग प्रभावशीलता। हमारा अंकेक्षण का आंतरिक वित्तीय को नियंत्रित करता है वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना शामिल था, आकलन जोखिम वह ए सामग्री कमजोरी मौजूद, और परिक्षण और का मूल्यांकन डिजाइन और ऑपरेटिंग प्रभावशीलता आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण। चुनी गई प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें शामिल हैं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में भौतिक

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

गलत बयानी के जोखिमों का आकलन, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी लेखापरीक्षा के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। राय पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय को नियंत्रित करता है प्रणाली ऊपर वित्तीय रिपोर्टिंग साथ संदर्भ को इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण।

अर्थ का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ऊपर वित्तीय रिपोर्टिंग साथ संदर्भ को इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

ए कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ऊपर वित्तीय रिपोर्टिंग साथ संदर्भ को इन स्टैंडअलोन वित्तीय बयान है ए प्रक्रिया डिजाइन को उपलब्ध करवाना उचित बीमा के बारे में विश्वसनीयता का वित्तीय रिपोर्टिंग और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना सिद्धांतों। ए कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ऊपर वित्तीय रिपोर्टिंग साथ संदर्भ को इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

- (1) संबंधित को रखरखाव का अभिलेख वह, में उचित विवरण, सही रूप में और अच्छी तरह से प्रतिबिंबित होना लेनदेन और कंपनी की परिसंपत्तियों का निपटान;
- (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया गया है सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार बनाया गया; और
- (3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना कंपनी की परिसंपत्तियां जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव हो सकता है।

अंतर्निहित सीमाएँ का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ऊपर वित्तीय रिपोर्टिंग साथ संदर्भ को इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

इनके संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण एकल वित्तीय विवरण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों पर अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल है, सामग्री गलत विवरण देय को गलती या धोखा मई घटित होना और नहीं होना पता चला. भी, अनुमान का कोई मूल्यांकन का इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भविष्य की अवधि इस जोखिम के अधीन है कि इनके संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण या वित्तीय विवरणों की मात्रा के कारण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अपर्याप्त हो सकते हैं। नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कुल मिलाकर भौतिक मामलों में, इनके संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्टैंडअलोन वित्तीय बयान और ऐसा आंतरिक वित्तीय को नियंत्रित करता है ऊपर वित्तीय रिपोर्टिंग थे ऑपरेटिंग द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

2024 तक प्रभावी रूप से लागू होगा। कंपनी आंतरिक लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार कर रही है आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण।

आरके गरोडिया एंड कंपनी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट

202, साई अपार्टमेंट, कचहरी रोड, रांची
(फर्म का पंजीकरण संख्या: 002004सी)

ह/-

सीए. दीपक गरोडिया (साझेदार)

(सदस्यता संख्या: 409246)

यूडीआईएन: 24409246BKBZLK6029

स्थान : रांची

तारीख : 20.04.2024



वित्तीय विवरण



झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

31.03.2024 तक परिसंपत्तियों और देनदारियों का स्टैंडअलोन विवरण

विवरण		(₹ लाख में)	
		31.03.2024 तक (अंकेक्षित)	31.03.2023 तक (अंकेक्षित)
ए	इक्विटी और देयता		
1.	अंशधारी निधि		
	क) इक्विटी शेयर पूंजी	10,098.63	10,098.63
	ख) पूर्णतः इक्विटी प्रकृति के उपकरण	43,851.36	43,351.36
	ग) अन्य इक्विटी	1,306.47	1,054.74
	घ) शेयर वारंट के विरुद्ध प्राप्त धनराशि	-	-
	उप - कुल - शेयरधारक की निधि	55,256.46	54,504.73
2.	शेयर आवेदन राशि का लंबित आवंटन	-	-
3.	अनियंत्रित ब्याज	-	-
4.	गैर चालू देयताएं		
	क) वित्तीय देयताएं	47,838.44	12,512.00
	ख) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	0.03	0.83
	ग) अन्य गैर- चालू देयताएं	-	-
	घ) प्रावधान	-	-
	उप-योग - गैर- चालू देयताएं	47,838.47	12,512.83
5.	चालू देयताएं:		
	क) वित्तीय देयताएं	152.10	42.01
	ख) चालू कर देयताएं (शुद्ध)	-	-
	ग) अन्य चालू देयताएं	67.43	66.70
	घ) प्रावधान	-	-
	उप-योग - चालू देयताएं	219.53	108.71
	कुल इक्विटी और देयताएं	1,03,314.46	67,126.27
बी	परिसंपत्ति		
1.	गैर चालू परिसंपत्ति:		
	क) अचल संपत्तियां	78,742.97	42,967.06
	ख) समेकन पर सद्भावना	-	-
	ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	-	-
	घ) वित्तीय परिसंपत्तियां	5,836.81	5,400.50
	ई) अन्य गैर- चालू परिसंपत्तियां	2,803.86	2,848.47
	उप-योग - गैर- चालू परिसंपत्तियां	87,383.64	51,216.03
2.	चालू परिसंपत्तियां:		
	क) वित्तीय परिसंपत्तियां	7,273.78	13,257.28

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

बी) भंडार	-	-
ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	8,587.22	2,630.18
घ) चालू कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	69.82	22.78
उप-योग - चालू परिसंपत्तियाँ	15,930.82	15,910.24
कुल परिसंपत्ति	1,03,314.46	67,126.27

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में
आर. के. गरोडिया और कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 002004C)

निर्देशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह/-
सीए दीपक गरोडिया
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 409246

ह/-
[पवन कुमार मिश्रा]
अध्यक्ष
डीआईएन - 09665365

ह/-
[एस एस झा]
निदेशक
डीआईएन-08172395

ह/-
[श्रेया]
कंपनी सचिव
एम. नं. A54047

ह/-
[प्रदीप कुमार सिंह]
सीएफओ

ह/-
[ए.सी. मोहराणा]
सीईओ

स्थान : रांची
दिनांक : 18.04.2024

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन परिणामों का विवरण

(शेयर और ईपीएस को छोड़कर लाख रुपये में)						
क्रसं:	विवरण	तिमाही समाप्त			वर्ष समाप्त	वर्ष समाप्त
		31.03.2024	31.03.2023	31.12.2023	31.03.2024	31.03.2023
		(गैर-अंकेक्षित)	(गैर-अंकेक्षित)	(गैर-अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से आय					
	कुल बिक्री	-	-	-	-	-
	घटाव: अन्य शुल्क	-	-	-	-	-
	(ए) शुद्ध बिक्री/ परिचालन से आय (शुल्क के बाद शुद्ध)	-	-	-	-	-
	(बी) अन्य परिचालन आय	-	-	-	-	-
	परिचालन से कुल आय (शुद्ध) (ए+बी)	-	-	-	-	-
2.	खर्च					
	उपभोग की गई सामग्री की लागत	-	-	-	-	-
	तैयार माल, कार्य-प्रगति और स्टॉक-इन-ट्रेड की सूची में परिवर्तन	-	-	-	-	-
	कर्मचारी लाभ व्यय	-	-	-	-	-
	मूल्यहास/परिशोधन/हानि	0.72	0.05	1.40	2.88	2.06
	संविदागत व्यय	-	-	-	-	-
	अन्य खर्चों	15.56	3.02	2.37	25.16	11.63
	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	-	-	-	-	-
	कुल व्यय (a+g)	16.28	3.07	3.77	28.04	13.69
3.	अन्य आय, वित्तीय लागत और अपवादात्मक मदों से पहले परिचालन से लाभ/(हानि) (1-2)	(16.28)	(3.07)	(3.77)	(28.04)	(13.69)
4.	अन्य आय	137.90	257.36	94.96	375.69	826.22
5.	वित्तीय लागत और अपवादात्मक मदों से पहले सामान्य गतिविधियों से लाभ / (हानि) (3+4)	121.62	254.29	91.19	347.65	812.53

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

6.	वित्त लागत	-	-	-	-	-
7.	वित्तीय लागतों के बाद लेकिन असाधारण मदों से पहले साधारण गतिविधियों से लाभ / (हानि) (5-6)	121.62	254.29	91.19	347.65	812.53
8.	असाधारण वस्तुएं	-	-	-	-	-
9.	कर से पहले सामान्य गतिविधियों से लाभ / (हानि) (7-8)	121.62	254.29	91.19	347.65	812.53
10.	कर व्यय	21.24	86.32	29.50	95.92	272.18
11.	अवधि (9-10) के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) [ए]	100.38	167.97	61.69	251.73	540.35
12.	असाधारण मदें (कर व्यय के बाद)	-	-	-	-	-
13.	करों के पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि) लेकिन सहयोगियों और अल्पसंख्यक हित के लाभ / (हानि) के हिस्से से पहले (11 + 12)	100.38	167.97	61.69	251.73	540.35
14.	सहयोगियों का लाभ/(हानि) का हिस्सा	-	-	-	-	-
15.	अल्पसंख्यक ब्याज	-	-	-	-	-
16.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (13 + 14 + 15)	100.38	167.97	61.69	251.73	540.35
17.	अन्य व्यापक आय/(हानि) (कर के बाद शुद्ध) [बी]	-	-	-	-	-
18.	कुल व्यापक आय/(हानि) [ए + बी]	100.38	167.97	61.69	251.73	540.35
19.	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य ₹ 1000/- प्रत्येक)	10,098.63	10,098.63	10,098.63	10,098.63	10,098.63
20.	प्रति शेयर आय (ईपीएस) (शेयर का अंकित मूल्य ₹ 1000/- प्रत्येक) (वार्षिक नहीं)					
	मूल (₹)	0.10	0.17	0.06	0.25	0.54
	भ्रमित (₹)	0.10	0.17	0.06	0.25	0.54

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में
आर. के. गरोडिया और कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 002004C)

निर्देशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह/-
सीए दीपक गरोडिया
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 409246

ह/-
[पवन कुमार मिश्रा]
अध्यक्ष
डीआईएन - 09665365

ह/-
[एस एस झा]
निदेशक
डीआईएन-08172395

ह/-
[श्रेया]
कंपनी सचिव
एम. नं. A54047

ह/-
[प्रदीप कुमार सिंह]
सीएफओ

ह/-
[ए.सी. मोहराणा]
सीईओ

स्थान : रांची

दिनांक : 18.04.2024

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	नोट नं.	31.03.2024	31.03.2023
		तक	तक
परिसंपत्ति			
गैर चालू परिसंपत्ति			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3.1	10.62	13.02
पूंजी कार्य - प्रगति पर	3.2	-	-
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ	3.3	-	-
अमूर्त संपत्ति	3.4	0.22	0.40
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3.5	78,732.13	42,953.64
वित्तीय पूंजी			
(i) निवेश	4.1	-	-
(ii) ऋण	4.2	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.6	5,836.81	5,400.50
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	11.2	-	-
गैर- चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	11.1	-	-
अन्य गैर - चालू परिसंपत्ति	6.1	2,803.86	2,848.47
कुल गैर - चालू संपत्तियाँ		87,383.64	51,216.03
चालू संपत्ति			
सूची	5.1	-	-
वित्तीय पूंजी			
(i) निवेश	4.1	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	4.3	-	-
(iii) नकद एवं नकद समकक्ष	4.4	7,013.46	12,980.67
(iv) अन्य बैंक बैलेंस	4.5	195.00	-
(v) ऋण	4.2	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.6	65.32	276.61
(सी) चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	11.1	69.82	22.78
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	6.2	8,587.22	2,630.18
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		15,930.82	15,910.24
कुल परिसंपत्तियाँ		1,03,314.46	67,126.27

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

इक्विटी और देयता

इक्विटी

इक्विटी शेयर पूंजी	7.1	10,098.63	10,098.63
पूर्णतः इक्विटी प्रकृति के उपकरण		43,851.36	43,351.36
अन्य इक्विटी	7.2	1,306.47	1,054.74
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय इक्विटी		55,256.46	54,504.73
अनियंत्रित ब्याज	7.3	-	-
कुल इक्विटी		55,256.46	54,504.73

देयताएं

गैर चालू देनदारियां

वित्तीय देनदारियों

(i) उधार	8.1	47,838.44	12,512.00
(ii) पट्टा देयताएं	8.2	-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	8.4	-	-
प्रावधानों	9.1	-	-
आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	11.2	0.03	0.83
अन्य गैर- चालू देयताएं	10.1	-	-
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		47,838.47	12,512.83

चालू देनदारियां

वित्तीय देनदारियों

(i) उधार	8.1	-	2.96
(ii) पट्टा देयताएं	8.2	-	-
(iii) व्यापार देयताएं	8.3	-	-
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया		-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		131.69	-
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	8.4	20.41	39.05
अन्य वर्तमान देनदारियां	10.2	67.43	66.70
प्रावधानों	9.1	-	-
चालू कर देयताएं (शुद्ध)	11.1	-	-
कुल चालू दायित्व		219.53	108.71
कुल शेयर और देनदारियां		1,03,314.46	67,126.27

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में
आर. के. गरोडिया और कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 002004C)

निर्देशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह/-
सीए दीपक गरोडिया
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 409246

ह/-
[पवन कुमार मिश्रा]
अध्यक्ष
डीआईएन - 09665365

ह/-
[एस एस झा]
निदेशक
डीआईएन-08172395

ह/-
[श्रेया]
कंपनी सचिव
एम. नं. A54047

ह/-
[प्रदीप कुमार सिंह]
सीएफओ

ह/-
[ए.सी. मोहराणा]
सीईओ

स्थान : रांची

दिनांक : 18.04.2024

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणियाँ	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
	संचालन से राजस्व	12.1		
ए	बिक्री (शुल्क के बाद)		-	-
बी	अन्य परिचालन राजस्व (शुल्क के बाद शुद्ध)		-	-
(i)	परिचालन से राजस्व (ए+बी)		-	-
(ii)	अन्य कमाई	12.2	375.69	826.22
(iii)	कुल आय (I+II)		375.69	826.22
(iv)	खर्च			
	उपभोग की गई सामग्री की लागत	13.1	-	-
	तैयार माल/प्रगतिशील कार्य और व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन	13.2	-	-
	कर्मचारी लाभ व्यय	13.3	-	-
	वित्त लागत	13.4		
	मूल्यहास/परिशोधन/हानि	13.5	2.88	2.06
	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	13.6	-	-
	संविदागत व्यय	13.7	-	-
	अन्य खर्चों	13.8	25.16	11.63
	कुल व्यय (IV)		28.04	13.69
(v)	असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (III-IV)		347.65	812.53
(vi)	संयुक्त उद्यम का हिस्सा लाभ/(हानि)		-	-
(vii)	कर पूर्व लाभ (V-VI)		347.65	812.53
(viii)	कर व्यय	14.1		
	चालू कर		96.72	271.25
	आस्थगित कर		(0.80)	0.93
(ix)	वर्ष के लिए लाभ (VII-VIII)		251.73	540.35
	अन्य व्यापक आय	15.1		
	वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

	उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	-	-
	वे वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
	उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
(x)	कुल अन्य व्यापक आय	-	-
(xi)	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV) (वर्ष के लिए लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय सहित)	251.73	540.35
	लाभ का कारण:		
	कंपनी के मालिक	251.73	540.35
	अनियंत्रित ब्याज	-	-
		251.73	540.35
	अन्य व्यापक आय जिसके कारण:		
	कंपनी के मालिक	-	-
	अनियंत्रित ब्याज	-	-
		-	-
	कुल व्यापक आय जिसके कारण:		
	कंपनी के मालिक	251.73	540.35
	अनियंत्रित ब्याज	-	-
(xii)	प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक):		
	(1) मूल (₹)	0.25	0.54
	(2) भ्रमित (₹)	0.25	0.54

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में
आर. के. गरोडिया और कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 002004C)

निर्देशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

ह/-

सीए दीपक गरोडिया
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 409246

ह/-

[पवन कुमार मिश्रा]
अध्यक्ष
डीआईएन - 09665365

ह/-

[एस एस झा]
निदेशक
डीआईएन-08172395

ह/-

[श्रेया]
कंपनी सचिव
एम. नं. A54047

ह/-

[प्रदीप कुमार सिंह]
सीएफओ

ह/-

[ए.सी. मोहराणा]
सीईओ

स्थान : रांची

दिनांक : 18.04.2024

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

नकदी प्रवाह का विवरण (अप्रत्यक्ष विधि) वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2024

(₹ लाख में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर देने से पूर्व लाभ	347.65	812.53
इसके लिए समायोजन:		
संयुक्त उद्यम का हिस्सा	-	-
मूल्यहास, परिशोधन और हानि व्यय	2.88	2.06
ब्याज और लाभांश आय	(375.69)	(826.22)
वित्तीय लागत		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर (लाभ)/हानि	-	-
भत्ते और प्रावधान	-	-
खारिज करना	-	-
प्रावधान वापस लिखा गया	-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	-	-
विदेशी मुद्रा दर भिन्नता	-	-
निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से	(25.16)	(11.63)
पहले परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
व्यापार प्राप्तियां	-	-
सूची	-	-
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
अन्य चालू और गैर-चालू परिसंपत्तियां	(5,957.03)	(2,570.53)
व्यापार देनदारियां	131.69	(239.15)
अन्य वित्तीय देयताएं	(1.56)	4.73
अन्य चालू और गैर-चालू देयताएं	0.71	61.91
प्रावधानों	-	-
परिचालन से उत्पन्न नकदी	(5,851.35)	(2,754.67)
आयकर भुगतान/वापसी	(143.76)	(314.32)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(5,995.10)	(3,068.99)

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान	(0.30)	(12.93)
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति के लिए भुगतान	(35,750.97)	(19,071.86)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री से प्राप्त आय	-	-
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति के लिए भुगतान	-	-
बैंकों में जमा/(जमा) की वसूली	(631.31)	4,599.50
म्यूचुअल फंड, शेयर आदि में निवेश/से प्राप्त आय	-	-
संयुक्त उद्यम में इक्विटी के लिए भुगतान	-	-
निवेश पर प्राप्त ब्याज	586.99	691.13
म्यूचुअल फंड से प्राप्त लाभांश	-	-
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी	(बी) (35,795.59)	(13,794.16)

वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह

अल्पकालिक उधारों की चुकौती/वृद्धि		-
गैर-वर्तमान उधारों से प्राप्त आय/(चुकौती)	35,323.48	12,514.96
वर्तमान उधारों से प्राप्त आय/(चुकौती)	-	-
पट्टा देयताओं का पुनर्भुगतान (ब्याज सहित)	-	-
ब्याज का भुगतान किया	-	-
इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश	-	-
इक्विटी शेयरों पर लाभांश पर कर	-	-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद	-	-
साधन पूरी तरह से प्रकृति में इक्विटी	500.00	-
इक्विटी शेयर पूंजी/शेयर आवेदन धन जारी करना	-	7,761.40
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद पर कर	-	1,325.64
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी	(सी) 35,823.48	21,602.00

नकदी एवं बैंक शेष में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (ए+बी+सी)	(5,967.21)	4,738.85
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	12,980.67	8,241.82

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

वर्ष के अंत तक नकदी एवं नकदी समतुल्य	7,013.46	12,980.67
नकदी और नकदी समकक्ष के घटक		
जमा खातों में	190.00	-
चालू खातों में	6,823.26	12,980.66
भारत के बाहर बैंक बैलेंस	-	-
प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी	-	-
चेक, ड्राफ्ट और टिकट हाथ में	-	-
हाथ में नकदी	-	-
भारत के बाहर नकदी उपलब्ध	-	-
अन्य	0.20	0.01
कुल (नकदी और नकद इक्विटी के घटकों के लिए नोट 4.4 और नोट 8.1 देखें)	7,013.46	12,980.67

नोट: नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण भारतीय लेखा मानक 7 - 'नकदी प्रवाह का विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

कंपनी ने 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के लिए ₹ 9.19 लाख (नोट संख्या 13.8.1 देखें) खर्च किए हैं (पिछले वर्ष ₹ शून्य)।

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में
आर. के. गरोडिया और कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 002004C)

निर्देशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह/-
सीए दीपक गरोडिया
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 409246

ह/-
[पवन कुमार मिश्रा]
अध्यक्ष
डीआईएन - 09665365

ह/-
[एस एस झा]
निदेशक
डीआईएन-08172395

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

ह/-

[श्रेया]

कंपनी सचिव

एम. नं. A54047

ह/-

[प्रदीप कुमार सिंह]

सीएफओ

ह/-

[ए.सी. मोहराणा]

सीईओ

स्थान : रांची

दिनांक : 18.04.2024

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण 31 मार्च, 2024 – स्टैंडअलोन

A. इक्विटी शेयर पूंजी

31.03.2024 तक

(₹ लाख में)

विवरण	01.04.2023 तक शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2023 तक पुनः घोषित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	शेष राशि 31.03.2024 तक
प्रत्येक ₹10/- मूल्य के 10,09,86,300 इक्विटी शेयर	10,098.63	-	10,098.63	-	10,098.63

31.03.2023 तक

(₹ लाख में)

विवरण	01.04.2022 तक शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2022 तक पुनः घोषित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	शेष राशि 31.03.2023 तक
प्रत्येक ₹1000/- मूल्य के 10,09,86,300 इक्विटी शेयर	8,772.99	-	8,772.99	1,325.64	10,098.63

B. अन्य इक्विटी

31.03.2024 तक

(₹ लाख में)

विवरण	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (कर के बाद) - (ओसीआई)	कुल
01.04.2023 तक शेष राशि	-	-	1,054.74	-	1,054.74
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-
01.04.2023 तक पुनः घोषित शेष राशि	-	-	1,054.74	-	1,054.74

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

कुल व्यापक लाभ	-	-	251.73	-	251.73
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व से/में स्थानांतरण	-	-	-	-	-
शेयरों की पुनर्खरीद	-	-	-	-	-
वापस खरीदने पर कर	-	-	-	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-	-
शेष राशि 31.03.2024 तक	-	-	1,306.47	-	1,306.47

31.03.2023 तक

(₹ लाख में)

विवरण	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (कर के बाद) - (ओसीआई)	कुल
01.04.2022 तक शेष राशि	-	-	514.39	-	514.39
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-
01.04.2022 तक पुनः घोषित शेष राशि	-	-	514.39	-	514.39
कुल व्यापक लाभ	-	-	540.35	-	540.35
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व से/में स्थानांतरण	-	-	-	-	-
शेयरों की पुनर्खरीद	-	-	-	-	-
वापस खरीदने पर कर	-	-	-	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-	-
शेष राशि 31.03.2023 तक	-	-	1,054.74	-	1,054.74

लाभांश तथा आरक्षित निधियों एवं अधिशेष की प्रकृति एवं उद्देश्य के लिए नोट 7.2 देखें।

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में
आर. के. गरोडिया और कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 002004C)

निर्देशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह/-
सीए दीपक गरोडिया
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 409246

ह/-
[पवन कुमार मिश्रा]
अध्यक्ष
डीआईएन - 09665365

ह/-
[एस एस झा]
निदेशक
डीआईएन-08172395

ह/-
[श्रेया]
कंपनी सचिव
एम. नं. A54047

ह/-
[प्रदीप कुमार सिंह]
सीएफओ

ह/-
[ए.सी. मोहराणा]
सीईओ

स्थान : रांची

दिनांक : 18.04.2024

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

नोट: 1 कॉर्पोरेट जानकारी

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल), सीसीएल कैंपस, दरभंगा हाउस, रांची का गठन 31.08.2015 को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में किया गया है। कंपनी का शेयरधारिता प्रतिरूप इस प्रकार है (एमओयू के अनुसार)।

प्रमोटर का नाम	संस्थाओं का शेयर होल्डिंग पैटर्न
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	64%
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	26%
झारखंड सरकार	10%

कंपनी का मूल उद्देश्य झारखंड राज्य में खदानों से कोयले की निकासी के लिए महत्वपूर्ण चिन्हित रेल कॉरिडोर परियोजनाओं का निर्माण, परिचालन और रखरखाव करना है, जिसका उपयोग माल दुलाई और यात्री सेवाओं दोनों के लिए किया जाएगा और रेलवे लाइनों के निर्माण सहित सभी संबंधित सुविधाओं आदि सहित आवश्यक रेल बुनियादी ढांचे का विकास करना है।

नोट 2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) सीसीएल कैंपस, दरभंगा हाउस, रांची ने महत्वपूर्ण पहल की है।

सीआईएल की लेखांकन नीतियां, जहां तक लागू हो।

तदनुसार, जेसीआरएल का लेखा-जोखा आईएनडी एएस के अनुसार तैयार किया गया है।

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

कंपनी के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, केवल कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को छोड़कर, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है।

2.1.1 राशियों का पूर्णांकन

इन वित्तीय विवरणों में राशियों को, जब तक कि अन्यथा इंगित न किया गया हो, (लाखों रुपए में) पूर्णांकित किया गया है।

2.2 वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब:

- उसे परिसंपत्ति की प्राप्ति की उम्मीद है, या वह इसे अपने सामान्य परिचालन चक्र में बेचने या उपभोग करने का इरादा रखता है;
- वह परिसंपत्ति को मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से रखता है;
- उसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति की प्राप्ति की उम्मीद है; या

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139

झारखंड, पिन - 834029

मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(घ) परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य है (जैसा कि भारतीय लेखा मानक 7 में परिभाषित है) जब तक कि परिसंपत्ति को विनिमय करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है

या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी द्वारा चालू के रूप में माना जाता है जब:

(क) उसे अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता का निपटान करने की उम्मीद है;

(ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए दायित्व रखता है;

(ग) देयता का निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर किया जाना है; या

(घ) उसे दायित्व के निपटान को कम से कम बारह वर्ष तक स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है।

रिपोर्टिंग अवधि के बाद के महीनों में देयता की शर्तें, जो कि, कंपनी के विकल्प पर हो सकती हैं

प्रतिपक्ष, इक्विटी उपकरणों के मुद्दे द्वारा इसके निपटान के परिणामस्वरूप इसके प्रभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वर्गीकरण। अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 राजस्व मान्यता

2.3.1 ब्याज

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है।

2.3.2 लाभांश

निवेश से लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

2.3.3 अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से विलंबित वसूली पर ब्याज सहित) का लेखा तब किया जाता है, जब वसूली निश्चित हो और उसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।

2.3.4 सेवाएं प्रदान करना

जब सेवाओं के प्रावधान से जुड़े किसी लेन-देन के परिणाम का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, तो लेन-देन से जुड़े राजस्व को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन-देन के पूरा होने के चरण के संदर्भ में पहचाना जाता है। किसी लेन-देन के परिणाम का विश्वसनीय रूप से अनुमान तब लगाया जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों:

(क) राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;

(ख) यह संभव है कि लेन-देन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे;

(ग) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन-देन के पूरा होने के चरण को मापा जा सकता है विश्वसनीय रूप से; और

(घ) लेन-देन के लिए की गई लागत और लेन-देन को पूरा करने की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि यह उचित आश्वासन न मिल जाए कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगी तथा यह उचित निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदानों को लाभ एवं हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है, जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देती है, जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुदानों का उपयोग किया जाता है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात् परिसंपत्तियों के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को «अन्य आय» शीर्षक के अंतर्गत लाभ और हानि विवरण के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुदान/सहायता, जो पहले से किए गए व्यय या हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में या कंपनी को बिना किसी भविष्य संबंधित लागत के तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्त होती है, उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त होती है जिसमें वह प्राप्त होती है।

सरकारी अनुदान या प्रमोटर के योगदान के स्वरूप में अनुदान को सीधे «पूंजी रिजर्व» में मान्यता दी जानी चाहिए, जो «शेयरधारक निधि» का हिस्सा बनता है।

2.5 पट्टे

एक अनुबंध पट्टा कहलाता है, या पट्टा में निहित होता है, यदि अनुबंध, प्रतिफल के बदले में, एक निश्चित अवधि के लिए, किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है।

2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

प्रारंभिक तिथि पर, पट्टेदार लागत पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को तथा उस तिथि पर भुगतान न किए गए पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा दायित्व को मान्यता देगा।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को पट्टा देयता पर ब्याज को दर्शाने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके, किए गए पट्टा भुगतानों को दर्शाने के लिए वहन राशि को कम करके तथा किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधनों को दर्शाने के लिए वहन राशि को पुनः मापकर मापा जाता है।

2.5.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो परिचालन पट्टे या वित्त पट्टे के रूप में होंगे।

एक पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित नहीं करता है।

2.5.2.1 परिचालन पट्टे

परिचालन पट्टों से प्राप्त पट्टा भुगतान को सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि न हो जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम हो जाता है।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139

झारखंड, पिन - 834029

मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.5.2.2 वित्त पट्टे

वित्त पट्टे के तहत रखी गई परिसंपत्तियों को शुरू में इसकी बैलेंस शीट में मान्यता दी जाती है और उन्हें पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग पट्टे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए किया जाता है।

इसके बाद, पट्टे की अवधि के दौरान वित्त आय की पहचान की जाती है, जो पट्टे में पट्टाकर्ता के शुद्ध निवेश पर प्रतिफल की निरंतर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न पर आधारित होती है।”

2.6 बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और (या निपटान समूहों) को बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत करती है यदि उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री के माध्यम से वसूल की जाएगी न कि निरंतर उपयोग के माध्यम से। बिक्री को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से यह संकेत मिलना चाहिए कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की संभावना नहीं है या बिक्री का निर्णय वापस लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन उद्देश्यों के लिए, बिक्री लेनदेन में गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के साथ आदान-प्रदान शामिल है, जब विनिमय में वाणिज्यिक सार होता है। बिक्री के लिए रखे गए वर्गीकरण के मानदंड को तभी पूरा माना जाता है जब परिसंपत्तियां या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हों, केवल उन शर्तों के अधीन जो ऐसी परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत हैं, इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित है; और इसे वास्तव में बेचा जाएगा, त्यागा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को अत्यधिक संभावित मानती है जब:

- प्रबंधन का उपयुक्त स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है,
- खरीदार ढूंढने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है
- परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है, जो उसके वर्तमान उचित मूल्य के संबंध में उचित है,
- वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर बिक्री को पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता मिलने की उम्मीद है, तथा
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाहियां यह संकेत देती हैं कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने या योजना को वापस लिए जाने की संभावना नहीं है।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

भूमि को ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है। ऐतिहासिक लागत में वे व्यय शामिल होते हैं जो सीधे भूमि अधिग्रहण से संबंधित होते हैं, जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्स्थापन लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले मुआवजा आदि।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद को लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित मूल्यहास और किसी भी संचित हानि को घटाकर उसकी लागत पर रखा जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत में शामिल हैं:

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

- व्यापार छूट और रियायतों में कटौती के बाद, आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद करों सहित इसकी खरीद मूल्या
- परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से परिचालन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई भी लागता
- वस्तु को नष्ट करने और हटाने तथा उस स्थान को बहाल करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, जिसके लिए कंपनी या तो वस्तु के अधिग्रहण के समय या किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग इन्वेंट्री बनाने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए करने के परिणामस्वरूप दायित्व वहन करती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के प्रत्येक भाग की लागत जो वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, अलग से मूल्यहास किया जाता है। हालांकि, पीपीई की एक वस्तु के महत्वपूर्ण भाग (भागों) का उपयोगी जीवन और मूल्यहास विधि समान होने पर मूल्यहास शुल्क निर्धारित करने में एक साथ समूहीकृत किया जाता है।

‘मरम्मत और रखरखाव’ के रूप में वर्णित दिन-प्रतिदिन की सेवाओं की लागत को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय की जाती हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण भागों को बदलने की बाद की लागत को आइटम की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे; और आइटम की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किए गए भागों की वहन राशि को नीचे उल्लिखित मान्यता-हास नीति के अनुसार मान्यता-हास किया जाता है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को प्रतिस्थापन के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे; और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण की लागत की कोई भी शेष वहन राशि (भौतिक भागों से अलग) को मान्यता नहीं दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की किसी वस्तु को निपटान के समय या जब परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता रद्द कर दी जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की ऐसी मान्यता रद्द करने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास, फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

अन्य भूमि (पट्टे पर ली गई भूमि सहित) : परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि, जो भी कम हो

भवन निर्माण	3-60 वर्ष
सड़कें	3-10 वर्ष
दूरसंचार	3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	15 वर्ष

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

संयंत्र और उपकरण	5-15 वर्ष
कंप्यूटर और लैपटॉप	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	3-6 वर्ष
फर्नीचर और फिक्सचर	10 वर्ष
वाहन	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिया गया उपयोगी जीवन उस अवधि को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता है जिसके दौरान प्रबंधन को परिसंपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद है। इसलिए परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग C के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास, जोड़ने/निपटाने के माह के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

“अन्य भूमि” में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, भूमि अधिग्रहण में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वासन और पुनःस्थापन (आरएफसीटीएलएआर) अधिनियम, 2013, सरकारी भूमि का दीर्घकालिक हस्तांतरण आदि के अंतर्गत अर्जित भूमि शामिल है, जिसका परिशोधन परियोजना की शेष अवधि के आधार पर किया जाता है; और पट्टे पर दी गई भूमि के मामले में ऐसा परिशोधन पट्टे की अवधि या परियोजना की शेष अवधि, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

सक्रिय उपयोग से हटाई गई पूर्णतः मूल्यहासित परिसंपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत उनके अवशिष्ट मूल्य पर सर्वेक्षणित परिसंपत्तियों के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है तथा उनकी मूल्यहास के लिए जांच की जाती है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय, जो सेवाओं की आपूर्ति के लिए या कंपनी की किसी मौजूदा परिसंपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत सक्षम परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन

कंपनी ने लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य को जारी रखने का चुनाव किया (अपनी समस्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए, जैसा कि भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन की तिथि पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त है, जिसे पिछले GAAP के अनुसार मापा गया है)।

2.8 अमूर्त संपत्ति

अलग-अलग अधिग्रहित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। व्यवसाय संयोजन में अधिग्रहित अमूर्त संपत्तियों की लागत अधिग्रहण की तिथि पर उनका उचित मूल्य है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को लागत में से किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर गणना की जाती है) और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर ले जाया जाता है।

पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। इसके बजाय, संबंधित व्यय को लाभ और हानि तथा अन्य व्यापक आय के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें व्यय किया जाता है। अमूर्त

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन को या तो सीमित या अनिश्चित के रूप में आंका जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है और जब भी कोई संकेत मिलता है कि अमूर्त परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है, तो उन्हें क्षति के लिए आंका जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। परिशोधन में निहित भावी आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित उपयोगी जीवन या अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तन को परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने के लिए उचित माना जाता है, और उन्हें लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के लिए उसका परीक्षण किया जाता है। अमूर्त संपत्ति की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाने जाने वाले सॉफ्टवेयर की लागत को उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या तीन साल, जो भी कम हो, पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है; शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ।

2.9 परिसंपत्तियों की क्षति (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि, परिसंपत्तियों या नकदी-उत्पादक इकाई के उपयोग में मूल्य और उसके उचित मूल्य में से निपटान की लागत घटाकर जो अधिक हो, वह होती है और इसे किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह उत्पन्न न हो जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों से काफी हद तक स्वतंत्र हो, ऐसी स्थिति में वसूली योग्य राशि उस नकदी-उत्पादक इकाई के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान है, तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है तथा हानि की क्षति को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.10 निवेश संपत्ति

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) जो किराया कमाने या पूंजी वृद्धि या दोनों के लिए रखी जाती है, न कि वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए; या सामान्य व्यवसाय के क्रम में बिक्री के लिए, निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

निवेश संपत्ति को प्रारंभ में उसकी लागत के आधार पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहां लागू हो, उधार लागत भी शामिल होती है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यहास उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।

2.11 वित्तीय उपकरण

वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.11.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

2.11.1 प्रारंभिक पहचान और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, साथ ही वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार लेनदेन लागतों को भी शामिल किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए बाजार में विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है (नियमित तरीके से व्यापार) व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, यानी, वह तिथि जिस पर कंपनी परिसंपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है।

2.11.2 अनुवर्ती माप

बाद के माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत पर ऋण उपकरण
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण, व्युत्पन्न और इक्विटी उपकरण (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी उपकरण

2.11.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण उपकरण 'ऋण उपकरण' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है

परिशोधित लागत यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

- a) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करने के लिए परिसंपत्तियों को रखना होता है, तथा
- b) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान होता है।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्त आय में शामिल किया जाता है। हानि से उत्पन्न होने वाले नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.11.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण साधन

एक ऋण साधन को FVTOCI के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

- a) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है,
- b) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह SPPI का प्रतिनिधित्व करता है।

FVTOCI श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरू में और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य आंदोलनों को अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता दी जाती है। हालाँकि, कंपनी ब्याज आय, हानि हानि और प्रतिवर्तन और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को P&L में मान्यता देती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, OCI में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से P&L में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। FVTOCI ऋण साधन धारण करते समय अर्जित ब्याज को EIR पद्धति का

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

उपयोग करके ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.11.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण साधन

FVTPL ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधित लागत या FVTOCI के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे FVTPL के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी किसी ऐसे ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा परिशोधित लागत या FVTOCI मानदंड को पूरा करता हो, जैसा कि FVTPL में है। हालाँकि, ऐसा चुनाव केवल तभी अनुमत है जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगति (जिसे 'लेखा बेमेल' कहा जाता है) कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। कंपनी ने किसी भी ऋण साधन को FVTPL के रूप में नामित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को पी एंड एल में सभी परिवर्तनों को मान्यता देते हुए उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.11.2.4 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में आने वाले अन्य सभी इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी उपकरणों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी इस तरह का चुनाव साधन-दर-साधन आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय होता है।

यदि कंपनी किसी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को FVTOCI के अनुसार वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो इंस्ट्रूमेंट पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन, लाभांश को छोड़कर, OCI में मान्यता प्राप्त होते हैं। निवेश की बिक्री पर भी OCI से P&L में राशियों का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालाँकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी उपकरणों को पीएंडएल में सभी परिवर्तनों को मान्यता देते हुए उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.11.2.5 पहचान रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का एक हिस्सा) को प्राथमिक रूप से तब अमान्य कर दिया जाता है (अर्थात् बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है) जब:

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या (पास-श्रू व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना किसी भौतिक विलम्ब के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण कर लिया है; और या तो (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को मूलतः हस्तांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को मूलतः हस्तांतरित या बरकरार नहीं रखा है, बल्कि परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या पास-श्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करती है कि क्या और किस हद तक इसने स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब इसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित किया है, तो कंपनी कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित परिसंपत्ति को पहचानना जारी रखती है। उस स्थिति में, कंपनी एक संबद्ध दायित्व को भी पहचानती है। हस्तांतरित संपत्ति और संबंधित देनदारी को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

द्वारा बरकरार रखे गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी का रूप लेने वाली निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि के निचले भाग और कंपनी को चुकाने के लिए आवश्यक प्रतिफल की अधिकतम राशि पर मापा जाता है।

2.11.2.6 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मूल्य के अलावा)

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और ऋण जोखिम जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

- वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं, और परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं जैसे, ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक शेष
- वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं और एफवीटीओसीआई के अनुसार मापी जाती हैं
- भारतीय लेखा मानक 17 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य
- व्यापार प्राप्य या नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जिसके परिणामस्वरूप ऐसे लेनदेन से जो भारतीय लेखा मानक 11 और भारतीय लेखा मानक 18 के दायरे में आते हैं

कंपनी निम्नलिखित पर हानि क्षति भत्ते की मान्यता के लिए <सरलीकृत दृष्टिकोण> का पालन करती है:

- व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्य; तथा
- भारतीय लेखा मानक 17 के दायरे में लेनदेन से उत्पन्न सभी पट्टा प्राप्ति

सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, इसकी प्रारंभिक पहचान से ही, आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि हानि भत्ते को मान्यता देता है।

2.12.3 वित्तीय देयताएं

2.12.3.1 प्रारंभिक पहचान और माप

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देयताएं, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण और उधार शामिल हैं। सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण और उधार और देयताओं के मामले में, सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों को घटाकर।

2.12.3.2 अनुवर्ती माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

2.12.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में ट्रेडिंग के लिए रखी गई वित्तीय देनदारियाँ और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर आरंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियाँ शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को ट्रेडिंग के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए डेरिवेटिव वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव को भी ट्रेडिंग के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

उपकरण के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखे गए दायित्वों पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तिथि पर इस तरह नामित किया जाता है, और केवल तभी जब भारतीय लेखा मानक 109 में मानदंड संतुष्ट हों। FVTPL के रूप में नामित देनदारियों के लिए, स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को OCI में मान्यता दी जाती है। इन लाभों/हानि को बाद में P&L में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। हालांकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयता के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तनों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी भी वित्तीय देयता को नामित नहीं किया है।

2.12.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में पहचाना जाता है जब देनदारियों को मान्यता से हटा दिया जाता है और साथ ही प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार पर लागू होती है।

2.12.3.5 पहचान रद्द करना

वित्तीय दायित्व तब अमान्य हो जाता है जब दायित्व के अंतर्गत दायित्व समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय दायित्व को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या किसी मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की अमान्यता और नए दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। किसी वित्तीय दायित्व (या वित्तीय दायित्व के भाग) की वहन राशि, जिसे समाप्त कर दिया गया है या किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित कर दिया गया है और भुगतान किए गए प्रतिफल, जिसमें हस्तांतरित कोई भी गैर-नकद परिसंपत्ति या ग्रहण की गई देनदारियां शामिल हैं, के बीच का अंतर लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त होगा।

2.12.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण उपकरण हैं, पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में कोई बदलाव होता है। व्यवसाय मॉडल में बदलाव अक्सर नहीं होने की उम्मीद है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यवसाय मॉडल में बदलाव का निर्धारण करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे बदलाव बाहरी पक्षों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में बदलाव तब होता है जब कंपनी अपने संचालन के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि शुरू करती है या करना बंद कर देती है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण करती है, तो यह पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से लागू करती है जो व्यवसाय मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद की अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी लाभ, हानि (क्षति लाभ या हानि सहित) या ब्याज को फिर से नहीं बताती है।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

निम्नलिखित तालिका विभिन्न पुनः वर्गीकरणों तथा उनके हिसाब-किताब को दर्शाती है

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन उपचार
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच के अंतर को P&L में मान्यता दी जाती है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई सकल वहन राशि बन जाती है। EIR की गणना नई सकल वहन राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच अंतर को OCI में मान्यता दी जाती है। पुनर्वर्गीकरण के कारण EIR में कोई परिवर्तन नहीं हुआ
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई परिशोधित लागत वहन राशि बन जाती है। हालांकि, OCI में संचयी लाभ या हानि को उचित मूल्य के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। परिणामस्वरूप, परिसंपत्ति को इस तरह मापा जाता है जैसे कि इसे हमेशा परिशोधित लागत पर मापा जाता था।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई वहन राशि बन जाती है। किसी अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाना जारी है। OCI में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर P&L में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.12.5 वित्तीय साधनों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और शुद्ध आधार पर निपटान करने, परिसंपत्तियों की वसूली करने और देयताओं का एक साथ निपटान करने का इरादा है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और शुद्ध राशि को समेकित बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है।

2.12.6 नकद एवं नकद समकक्ष

बैलेंस शीट में नकदी और नकदी समतुल्य में बैंकों में और हाथ में नकदी तथा तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अल्पकालिक जमाराशियां शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

2.12. उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागतें, जब कभी भी व्यय की जाती हैं, व्यय में शामिल की जाती हैं, सिवाय उन मामलों के जहां वे सीधे अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण हों, अर्थात् ऐसी परिसंपत्तियां, जिन्हें अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, ऐसी स्थिति में उन्हें उन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में उस तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है, जब तक कि अर्हक परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.13 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और स्थगित कर का योग दर्शाता है।

वर्तमान कर किसी अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है। कर योग्य लाभ «आयकर से पहले लाभ» से भिन्न होता है जैसा कि लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में रिपोर्ट किया गया है क्योंकि इसमें आय या व्यय की ऐसी मदें शामिल नहीं हैं जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और इसमें ऐसी मदें भी शामिल नहीं हैं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देयताओं को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर सद्भावना से उत्पन्न होता है या किसी ऐसे लेनदेन में अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (व्यावसायिक संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ को प्रभावित करता है और न ही लेखांकन लाभ को। आस्थगित कर देनदारियों को सहायक और सहयोगी कंपनियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां कंपनी अस्थायी अंतर के उलटफेर को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभावित है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में उलट नहीं होगा। ऐसे निवेशों और हितों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि अस्थायी अंतरों के लाभों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ होंगे।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि परिसंपत्ति के सभी या भाग को वसूल करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अपरिचित आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या भाग को वसूल करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिसमें देयता का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है, जो कर दर (और कर कानूनों) पर आधारित होती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षा के अनुसार होंगे।

चालू और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, जिस स्थिति में, चालू और आस्थगित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां चालू कर या आस्थगित कर किसी व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, वहां कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.14 कर्मचारी लाभ

2.14.1 अल्पकालिक लाभ

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय किए गए हैं।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.14.2 रोजगार के बाद के लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.14.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएँ

परिभाषित अंशदान योजना भविष्य निधि और पेंशन के लिए एक रोजगार-पश्चात लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत गठित एक अलग वैधानिक निकाय द्वारा बनाए गए फंड में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.14.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक रोजगार-पश्चात लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण परिभाषित लाभ योजनाएँ हैं (लाभों पर अधिकतम सीमा के साथ)। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाकर की जाती है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पिछली अवधि में अपनी सेवा के बदले में अर्जित की है। लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से घटाया जाता है, यदि कोई हो। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित है, जिनकी परिपक्वता तिथियां कंपनी के दायित्वों की शर्तों के करीब हैं और जो उसी मुद्रा में मूल्यवर्गित हैं जिसमें लाभ का भुगतान किए जाने की उम्मीद है।

एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट दर, परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दरें, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि के बारे में धारणाएँ बनाना शामिल है। इन योजनाओं की दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, ऐसे अनुमान अनिश्चितताओं के अधीन हैं। प्रत्येक बैलेंस शीट पर एक एक्चुररी द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके गणना की जाती है। जब गणना के परिणामस्वरूप कंपनी को लाभ होता है, तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति योजना से किसी भी भविष्य की वापसी या योजना में भविष्य के योगदान में कमी के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती है। कंपनी को एक आर्थिक लाभ तब उपलब्ध होता है जब यह योजना के जीवनकाल के दौरान या योजना देनदारियों के निपटान पर प्राप्त किया जा सकता है।

शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन, जिसमें योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज को छोड़कर) और परिसंपत्तियों की अधिकतम सीमा (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) के प्रभावों पर विचार करते हुए बीमांकिक लाभ और हानि शामिल है, को अन्य व्यापक आय में तुरंत मान्यता दी जाती है। कंपनी वार्षिक अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर को तत्कालीन शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर लागू करके अवधि के लिए शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है, योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए। परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित शुद्ध ब्याज व्यय और अन्य व्यय लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त हैं।

जब योजना के लाभों में सुधार किया जाता है, तो कर्मचारियों द्वारा पूर्व सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के हिस्से को लाभ और हानि विवरण में तुरंत व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.15.3 अन्य कर्मचारी लाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ जैसे एलटीए, एलटीसी, जीवन बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, निपटान भत्ता, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना और मृतक के आश्रितों को मुआवजा आदि को भी उसी आधार पर मान्यता दी जाती है जैसा कि परिभाषित लाभ योजना के लिए ऊपर वर्णित है। इन लाभों के लिए विशिष्ट वित्तपोषण नहीं है।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.16 विदेशी मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और इसके अधिकांश परिचालनों के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपए (आईएनआर) में है, जो उस आर्थिक परिवेश की प्रमुख मुद्रा है जिसमें यह परिचालन करती है।

विदेशी मुद्राओं में किए गए लेन-देन को लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में मूल्यांकित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के निपटान पर या मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को उन दरों से भिन्न दरों पर परिवर्तित करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिन पर उन्हें अवधि के दौरान या पिछले वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक मान्यता पर परिवर्तित किया गया था, उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक वस्तुओं का मूल्यांकन लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

2.17 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है, वहां प्रावधान दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य पर बताए जाते हैं।

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए उन्हें समायोजित किया जाता है।

जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना दूर की बात न हो। संभावित दायित्व, जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना दूर की बात न हो। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, जब आय की प्राप्ति लगभग निश्चित होती है, तो संबंधित परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं होती है और इसकी मान्यता उचित होती है।

2.19 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर तनु आय की गणना कर के बाद लाभ को प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है और साथ ही उन इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या भी जो सभी तनु संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे।

2.20 निर्णय, अनुमान और मान्यताएं

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को ऐसे अनुमान, निर्णय और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करते

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

हैं। इन वित्तीय विवरणों में जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों और धारणाओं के उपयोग से जुड़ी लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन अनुमान अवधि दर अवधि बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमान में संशोधन उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि महत्वपूर्ण हैं, तो उनके प्रभावों का खुलासा वित्तीय विवरणों के नोट्स में किया जाता है।

2.20.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है:

2.20.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण

लेखांकन नीतियों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वित्तीय विवरणों में लेन-देन, अन्य घटनाओं और उन स्थितियों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी हो, जिन पर वे लागू होती हैं। जब उन नीतियों को लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हो, तो उन्हें लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

किसी लेनदेन, अन्य घटना या स्थिति पर विशिष्ट रूप से लागू होने वाले भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अभाव में, प्रबंधन ने लेखांकन नीति को विकसित करने और लागू करने में अपने विवेक का उपयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है:

क) उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक और

ख) वित्तीय विवरण विश्वसनीय हैं:

- कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करें कंपनी;
- लेन-देन, अन्य घटनाओं और स्थितियों के आर्थिक सार को प्रतिबिंबित करें, न कि केवल कानूनी रूप;
- तटस्थ हों, अर्थात् पूर्वाग्रह से मुक्त हों;
- विवेकशील हैं; और
- सभी भौतिक पहलुओं में निरंतर आधार पर पूर्ण हों।

निर्णय लेने में प्रबंधन अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों का संदर्भ लेता है और उनकी प्रयोज्यता पर विचार करता है:

(क) समान एवं संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए भारतीय लेखा मानकों में क्या आवश्यकताएं हैं; और

(बी) परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और के लिए परिभाषाएं, मान्यता मानदंड और माप अवधारणाएं फ्रेमवर्क में व्यय।

निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की नवीनतम घोषणाओं और उनके अभाव में अन्य मानक-निर्धारक निकायों की घोषणाओं पर विचार करता है, जो लेखांकन मानकों को विकसित करने के लिए समान वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हैं, अन्य लेखांकन

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

साहित्य और स्वीकृत उद्योग प्रथाओं पर विचार करता है, इस सीमा तक कि ये उपरोक्त पैराग्राफ में स्रोतों के साथ संघर्ष नहीं करते हैं।
वित्तीय विवरण लेखांकन के उपार्जन आधार का उपयोग करते हुए चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2.21.1 भौतिकता

भारतीय लेखा मानक उन मदों पर लागू होता है जो महत्वपूर्ण हैं। प्रबंधन यह तय करने में विवेक का उपयोग करता है कि वित्तीय विवरणों में व्यक्तिगत मदें या मदों के समूह महत्वपूर्ण हैं या नहीं। वस्तु के आकार और प्रकृति के संदर्भ में महत्व का आकलन किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या चूक या गलत बयान व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उन आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है जो उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखा मानक की अनुपालन आवश्यकता निर्धारित करने के लिए भी महत्व के निर्णय का उपयोग करता है। विशेष परिस्थितियों में या तो किसी मद या मदों के समूह की प्रकृति या मात्रा निर्धारण कारक हो सकती है। इसके अलावा कंपनी को कानून द्वारा आवश्यक होने पर अलग से महत्वहीन मदों को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

दिनांक 01.04.2019 से पूर्व अवधियों से संबंधित चालू वर्ष में पाई गई त्रुटियों/चूक को महत्वहीन माना जाएगा तथा चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाएगा, यदि ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कुल मिलाकर कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार परिचालन से प्राप्त कुल राजस्व (वैधानिक शुल्कों को छोड़कर) के 1% से अधिक न हों।

2.21.2 परिचालन पट्टा कंपनी ने पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

कंपनी ने व्यवस्थाओं की शर्तों और नियमों के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित किया है कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का प्रमुख हिस्सा नहीं है और परिसंपत्ति का उचित मूल्य है, तथा वह इन संपत्तियों के स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और लाभों को बरकरार रखती है तथा अनुबंधों को परिचालन पट्टे के रूप में दर्ज करती है।

2.21.3 अनुमान और मान्यताएँ

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएँ, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित हैं। कंपनी ने अपनी धारणाएँ और अनुमान समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर आधारित किए। हालाँकि, भविष्य के विकास के बारे में मौजूदा परिस्थितियाँ और धारणाएँ, बाज़ार में होने वाले बदलावों या ऐसी परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब वे धारणाओं में परिलक्षित होते हैं।

2.21.4 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

हानि का संकेत तब मिलता है, जब किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो, जो उसके उचित मूल्य में से निपटान की लागत घटाकर और उसके उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, होती है। हानि के परीक्षण के उद्देश्य से कंपनी अलग-अलग खानों को अलग-अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग में मूल्य की गणना DCF मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के बजट से प्राप्त होते हैं और इसमें पुनर्गठन गतिविधियाँ शामिल नहीं होती

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

हैं, जिनके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश जो परीक्षण किए जा रहे CGU की परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएंगे। वसूली योग्य राशि DCF मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ अपेक्षित भविष्य के नकदी-प्रवाह और एक्सट्रपलेशन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील होती है।

2.21.5 कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर घाटे के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध घाटे का उपयोग किया जा सकता है। संभावित समय और भविष्य के कर योग्य मुनाफे के स्तर के साथ-साथ भविष्य की कर नियोजन रणनीतियों के आधार पर, मान्यता प्राप्त करने योग्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

2.21.6 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना और अन्य रोजगार-पश्चात चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेच्युटी दायित्व का वर्तमान मूल्य एक्चुरियल मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक्चुरियल मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है।

मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन के लिए सबसे अधिक विषयगत पैरामीटर छूट दर है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उचित छूट दर निर्धारित करने में, प्रबंधन रोजगार के बाद के लाभ दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप मुद्राओं में सरकारी बांड की ब्याज दरों पर विचार करता है।

मृत्यु दर देश की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। ये मृत्यु दर तालिकाएँ जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में अंतराल पर ही बदलती हैं। भविष्य में वेतन वृद्धि और ग्रेच्युटी वृद्धि अपेक्षित भविष्य की मुद्रास्फीति दर पर आधारित होती है।

2.21.7 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

जब बैलेंस शीट में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य को DCF मॉडल सहित आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। इन मॉडलों के इनपुट जहाँ संभव हो, वहाँ अवलोकनीय बाजारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहाँ यह संभव नहीं है, वहाँ उचित मूल्य निर्धारित करने में कुछ हद तक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, ऋण जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट/विचार जैसे इनपुट के विचार शामिल हैं। इन कारकों के बारे में मान्यताओं और अनुमानों में परिवर्तन वित्तीय साधनों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

2.21.8 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार किसी परियोजना के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति का पूंजीकरण करती है। लागतों का आरंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर जब कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे मंजूरी दी जाती है।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.22 प्रयुक्त संक्षिप्तीकरण:

a)	सीजीयू	नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई	g)	ओसीआई	अन्य व्यापक आय
b)	डीसीएफ	रियायती नकदी प्रवाह	h)	पी एंड एल	लाभ और हानि
c)	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	i)	पीपीई	सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण
d)	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	j)	एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान
e)	जीएएपी	लेखा सिद्धांत आम तौर पर स्वीकार किये जाते हैं	k)	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर
f)	इंड एस	भारतीय लेखा मानक			

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

टिप्पणी 3.1: संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों

	अन्य भूमि	भूमि पुनर्निर्माण/स्थल पुनर्स्थापना	लागत	भवन (जब अपूर्ण)	सड़क और पूर्णता	संयंत्र और उपकरण	फर्निचर व फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	देयता	रुले माइडिंग	अन्य खनन	अवसरवर्ष	स्ट्रिंग पेरिऑड	एसएस (SAA)	संपत्तियों का	सर्वेक्षण	प्रतिनिधि	अन्य	कुल
सकल बहन राशि:																				
1 अप्रैल, 2022 तक	-	-	-	-	-	-	3.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.89
परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	4.50	-	7.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.38
हटाना/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-	-	-	8.39	-	7.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.27
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-	-	-	-	8.39	-	7.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.27
परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30
हटाना/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक	-	-	-	-	-	-	8.39	-	8.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.57
संचित मूल्यहास और परिसोधन																				
1 अप्रैल, 2022 तक	-	-	-	-	-	-	1.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.34
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	0.78	-	1.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.91
हटाना/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-	-	-	2.12	-	1.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.25
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-	-	-	-	2.12	-	1.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.25
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	0.80	-	1.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.70
हटाना/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक	-	-	-	-	-	-	2.92	-	3.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.95
शुद्ध निबल राशि																				
31 मार्च, 2024 तक	-	-	-	-	-	-	5.47	-	5.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.62
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-	-	-	6.27	-	6.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.02

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

नोट 3.2: पूंजी कार्य प्रगति पर

(₹ लाख में)

	भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	विकास	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:							
1 अप्रैल, 2022 तक परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-
पूंजीकरण / विलोपन	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-
पूंजीकरण / विलोपन	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक	-	-	-	-	-	-	-
संचित हानि							
1 अप्रैल, 2022 तक वर्ष के लिए शुल्क विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक वर्ष के लिए शुल्क विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध निबल राशि							
31 मार्च, 2024 तक	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-	-	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

नोट 3.3: अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

अन्वेषण और मूल्यांकन
लागत

वहन राशि :

1 अप्रैल, 2022 तक
परिवर्धन
विलोपन/समायोजन
31 मार्च, 2023 तक

1 अप्रैल, 2023 तक
परिवर्धन
विलोपन/समायोजन
31 मार्च, 2024 तक

संचित हानि

1 अप्रैल, 2022 तक
वर्ष के लिए शुल्क
विलोपन/समायोजन
31 मार्च, 2023 तक

1 अप्रैल, 2023 तक
वर्ष के लिए शुल्क
विलोपन/समायोजन
31 मार्च, 2024 तक

शुद्ध निबल राशि

31 मार्च, 2024 तक
31 मार्च, 2023 तक

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

नोट 3.4: अमूर्त परिसंपत्तियाँ

	(₹ लाख में)		
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अन्य	कुल
वहन राशि:			
1 अप्रैल, 2022 तक	-	-	-
परिवर्धन	0.54	-	0.54
विलोपन/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	0.54	-	0.54
1 अप्रैल, 2023 तक	0.54	-	0.54
परिवर्धन	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक	0.54	-	0.54
संचित प्रावधान और क्षति			
1 अप्रैल, 2022 तक	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	0.14	-	0.14
विलोपन/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	0.14	-	0.14
1 अप्रैल, 2023 तक	0.14	-	0.14
वर्ष के लिए शुल्क	0.18	-	0.18
विलोपन/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक	0.32	-	0.32
शुद्ध निबल राशि			
31 मार्च, 2024 तक	0.22	-	0.22
31 मार्च, 2023 तक	0.40	-	0.40

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

नोट 3.5: विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

	रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन			कुल
	रेलवे साइडिंग	विकास राजस्व व्यय	अन्य / परामर्श शुल्क	
वहन राशि:				
1 अप्रैल, 2022 तक	25,550.63	16.35	523.21	26,090.19
परिवर्धन	15,060.91	399.48	1,403.06	16,863.45
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	40,611.54	415.83	1,926.27	42,953.64
1 अप्रैल, 2023 तक	40,611.54	415.83	1,926.27	42,953.64
परिवर्धन	32,789.83	178.28	2,810.38	35,778.49
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक	73,401.37	594.11	4,736.65	78,732.13
संचित प्रावधान और क्षति				
1 अप्रैल, 2022 तक	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक	-	-	-	-
शुद्ध निबल राशि				
31 मार्च, 2024 तक	73,401.37	594.11	4,736.65	78,732.13
31 मार्च, 2023 तक	40,611.54	415.83	1,926.27	42,953.64

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

1. विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए आयु निर्धारण अनुसूची

	31.03.2024 तक विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएं:	35,778.49	16,863.45	807.19	25,283.00	78,732.13
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:	-	-	-	-	-
परियोजना का नाम					
कुल	35,778.49	16,863.45	807.19	25,283.00	78,732.13

	31.03.2023 तक विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएं:	16,863.45	8,369.59	1,335.70	16,384.90	42,953.64
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं:	-	-	-	-	-
परियोजना का नाम					
कुल	16,863.45	8,369.59	1,335.70	16,384.90	42,953.64

2. विकास के अंतर्गत अतिदेय भौतिक अमूर्त संपत्तियां

	पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
कुल	-	-	-	-

किसी भी चालू परियोजना के लिए वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को, परियोजना की आयु बढ़ाने के उद्देश्य से, परियोजना के आरंभ के वर्ष में किया गया व्यय माना जाएगा।

“ टिप्पणियाँ: वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, ईएसी आईसीएआई ने इंड एस 115 के परिशिष्ट डी. सेवा रियायत व्यवस्था, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व, एसईसीआर के साथ कंपनी द्वारा निष्पादित रियायत समझौते के प्रावधानों की आवश्यकताओं को संज्ञान में लेते हुए राय दी है कि मौजूदा मामले में, सीईआरएल के पास नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है और तदनुसार, रियायत समझौते के परिणामस्वरूप कंपनी के लिए वित्तीय परिसंपत्ति नहीं बनती है, बल्कि, यह कंपनी के लिए एक अमूर्त परिसंपत्ति बन जाएगी।

ईएसी, आईसीएआई ने आगे राय दी कि सीईआरएल को इंड एस की आवश्यकताओं के अनुसार एक उपयुक्त परिशोधन पद्धति का पालन करना चाहिए: रियायत समझौते की सीमा के भीतर आने वाली अमूर्त परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर और उपयोगी जीवन में किसी भी बदलाव के लिए सालाना समीक्षा की जानी चाहिए।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

सीईआरएल, यानी कोल इंडिया लिमिटेड की एक समूह कंपनी में ईएसी, आईसीएआई से प्राप्त उपरोक्त राय के मद्देनजर, इसे जेसीआरएल द्वारा भी अपनाया गया है क्योंकि दोनों कंपनियां कोल इंडिया लिमिटेड की समूह कंपनी हैं और दोनों रेलवे के साथ रियायत समझौते की समान प्रकृति के तहत रेल कॉरिडोर परियोजनाएं विकसित कर रही हैं। तदनुसार, निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर जिसे पहले पूंजीगत कार्य प्रगति के तहत दिखाया गया था, अब विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के तहत दिखाया जा रहा है।

नोट - 4.1: निवेश

(₹ लाख में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर चालू		
सहकारी शेयरों में निवेश (अउद्धृत)	-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)	-	-
शेयरों में निवेश		
अन्य निवेश		
कुल	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-
उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य:	-	-
अउद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-
निवेश के मूल्य में कुल हानि राशि:	-	-

(₹ लाख में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
चालू		
म्यूचुअल फंड निवेश	-	-
अन्य निवेश	-	-
कुल	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

नोट - 4.2: ऋण

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
	(₹ लाख में)	
गैर चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित, सुविचारित	-	-
- असुरक्षित, सुविचारित	-	-
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
- ऋण हानि	-	-
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
निगमित निकायों और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, सुविचारित	-	-
- असुरक्षित, सुविचारित	-	-
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
- ऋण खराब	-	-
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
मौजूदा		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित, सुविचारित	-	-
- असुरक्षित, सुविचारित	-	-
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
- ऋण खराब	-	-
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
निगमित निकायों और कर्मचारियों को ऋण		
- सुरक्षित, सुविचारित	-	-
- असुरक्षित, सुविचारित	-	-
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
- ऋण खराब	-	-
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

नोट - 4.3: व्यापार प्राप्य

	(₹ लाख में)	
	31.03.2024	31.03.2023
	तक	तक
व्यापार प्राप्तियां		
सुरक्षित सुविचारित	-	-
असुरक्षित सुविचारित	-	-
ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
ऋण खराब	-	-
	-	-
घटाएँ: अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-

4.3.1 कंपनी ने व्यापार प्राप्य के क्रेडिट घाटे के लिए भत्ते का निर्धारण करने में प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना करके व्यावहारिक समीचीन का उपयोग किया है। प्रावधान मैट्रिक्स ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव और भविष्योन्मुखी जानकारी को ध्यान में रखता है। अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता देय प्राप्य की उम्र बढ़ने और प्रावधान मैट्रिक्स में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में राशि	-	-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
वर्ष के दौरान प्रतिलेखन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

4.3.2 निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 16ए-(2) (एफ) देखें

4.3.3 व्यापार प्राप्य आयुवृद्धि							
31.03.2024							
विवरण	बिल न किए गए बकाया	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
		6 महीने से कम	6 महीने 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - सुविचारित	-	-	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य- सुविचारित	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-
अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता	-	-	-	-	-	-	-
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

31.03.2023							
व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची							
विवरण	बिल न किए गए बकाया	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
		6 महीने से कम	6 महीने 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - सुविचारित	-	-	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य- सुविचारित	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-
अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता	-	-	-	-	-	-	-
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

नोट - 4.4: नकद और नकद समकक्ष

(₹ लाख में)

	31.03.2024	31.03.2023
	तक	तक
बैंकों के पास शेष राशि		
जमा खातों में	190.00	-
चालू खातों में	6,823.26	12,980.66
भारत के बाहर बैंक राशि	-	-
प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी	-	-
चेक, ड्राफ्ट और टिकट हाथ में	-	-
हाथ में नकदी	-	-
भारत के बाहर नकदी उपलब्ध	-	-
अन्य 4.4.1	0.20	0.01
कुल	7,013.46	12,980.67

4.4.1 अन्य में अग्रदाय राशि शामिल हैं।

नोट - 4.5: अन्य बैंक शेष

(₹ लाख में)

	31.03.2024	31.03.2023
	तक	तक
बैंकों के पास शेष राशि		
जमा खाते	195.00	-
जमा खाते (विशिष्ट प्रयोजनों के लिए)	-	-
शेयरों की पुनर्खरीद के लिए एस्करो खाता	-	-
अवैतनिक लाभांश खाते	-	-
लाभांश खाते	-	-
कुल	195.00	-

अन्य बैंक शेष में जमाराशियां शामिल हैं - विशिष्ट प्रयोजनों के लिए और बैंक जमाराशियां जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकद में प्राप्त होने की उम्मीद है।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

नोट - 4.6: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

गैर चालू	(₹ लाख में)	
	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
सुरक्षा जमा राशि	1.50	1.50
घटाएँ: संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता 4.6.1	-	-
	1.50	1.50
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियां	5,835.31	5,399.00
वित्त पट्टा प्राप्तियां		
अन्य जमा और प्राप्य		
घटाएँ: संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता 4.6.1	-	-
	-	-
कुल	5,836.81	5,400.50
चालू	31.03.2024	31.03.2023
	तक	तक
सुरक्षा जमा राशि	-	-
घटाएँ: संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता 4.6.1	-	-
	-	-
होलिडिंग कंपनी के साथ चालू खाता	-	-
अर्जित ब्याज	65.32	276.61
वित्त पट्टा प्राप्तियां		
अन्य जमा और प्राप्य	-	-
घटाएँ: संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता 4.6.1	-	-
	65.32	276.61
कुल	65.32	276.61

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

4.6.1 संदिग्ध जमा और प्राप्य (चालू और गैर-चालू) के लिए भत्ते में बदलाव का विवरण

वर्ष की शुरुआत में राशि	-	-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
वर्ष के दौरान प्रतिलेखन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-
	31.03.2024	31.03.2023
	तक	तक
परिचालन पट्टा		
(iii) पट्टा प्राप्य के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि	-	-
विवरण		
पट्टा आय	-	-
“परिवर्तनशील पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो निर्भर नहीं करती है	-	-
एक सूचकांक या एक दर»	-	-
कुल	-	-

(iv) न्यूनतम वार्षिक आधार पर प्राप्त होने वाले बिना छूट वाले पट्टे का भुगतान प्रथम पांच वर्षों में से प्रत्येक के लिए तथा शेष वर्षों के लिए:

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
	तक	तक
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष के बीच	-	-
दो से तीन वर्ष के बीच	-	-
तीन से चार वर्ष के बीच	-	-
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

(v) 31.03.2024 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विशिष्ट	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष / अवधि के दौरान वृद्धि	वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यहास/परिशोधन
भूमि	-	-	-	-	-
इमारत	-	-	-	-	-
संयंत्र एवं उपकरण	-	-	-	-	-
फ़र्निचर व फिक्सचर	-	-	-	-	-
वाहनों	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

(vi) 31.03.2023 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विशिष्ट	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष / अवधि के दौरान वृद्धि	वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यहास/परिशोधन
भूमि	-	-	-	-	-
इमारत	-	-	-	-	-
संयंत्र एवं उपकरण	-	-	-	-	-
फ़र्निचर व फिक्सचर	-	-	-	-	-
वाहनों	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

4.6.5 निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 16ए - (2) (एफ) देखें

नोट - 5.1: भंडार

(₹ लाख में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
भंडार, स्पेयर्स और अन्य माल (शुद्ध)	-	-
घटाएँ: धीमी गति से चलने वाली, गैर-चलती और अप्रचलित इन्वेंटरी के लिए प्रावधान	-	-
कुल	-	-

नोट - 6.1: अन्य गैर- चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पूंजी अग्रिम*	2,803.87	2,848.47
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	-	-
	<u>2,803.87</u>	<u>2,848.47</u>
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
अन्य जमा और अग्रिम	-	-
घटाएँ: संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	-	-
	-	-
संबंधित पक्षों को अग्रिम राशि	-	-
	-	-
कुल	<u>2,803.87</u>	<u>2,848.47</u>

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

नोट - 6.2: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पूँजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	-
घटाएँ: संदिग्ध वैधानिक बकाया के लिए भत्ता	-	-
	-	-
अन्य जमा और अग्रिम	17.24	17.24
घटाएँ: संदिग्ध अन्य जमा और अग्रिम के लिए भत्ता 6.2.1	-	-
	17.24	17.24
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	8,569.98	2,612.94
कुल	8,587.22	2,630.18

6.2.1 खराब और संदिग्ध अग्रिमों और जमाओं (चालू और गैर-चालू) के लिए भत्ते में आंदोलन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

नोट - 7.1: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
अधिकृत		
₹10/- प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर (₹10/- प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर)	50,000.00	50,000.00
जारी, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी ‘₹10/- प्रत्येक के 10,09,86,300 इक्विटी शेयर (पीवाई 10,09,86,300) ₹10/- प्रत्येक पूर्णतः भुगतान किए गए इक्विटी शेयर’	10,098.63	10,098.63
कुल	10,098.63	10,098.63

7.1.1 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा कंपनी में रखे गए शेयर

शेयरधारक का नाम	31.03.2024 तक		31.03.2023 तक	
	धारित शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक)	कुल शेयरों का %	धारित शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹10 प्रत्येक)	शेयरों का %
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	6,46,31,232	64.00	6,46,31,232	64.00
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड.	2,62,56,438	26.00	2,62,56,438	26.00
झारखंड सरकार	1,00,98,630	10.00	1,00,98,630	10.00
कुल	10,09,86,300	100.00	10,09,86,300	100.00

- कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठक में होल्डिंग शेयरधारिता के अनुपात में मतदान के अधिकार के हकदार हैं।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

7.1.2 वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान रिपोर्टिंग वर्ष:-

विवरण	शेयर की संख्या	मात्रा
01.04.2021 तक शेष राशि	8,77,29,862	8,772.99
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2022 तक शेष राशि	8,77,29,862	8,772.99
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्तन	1,32,56,438	1,325.64
31.03.2023 तक शेष राशि	10,09,86,300	10,098.63
समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2024 तक शेष राशि	10,09,86,300	10,098.63

7.1.3 कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठक में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में मतदान के अधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में, सभी अधिमान्य राशि के भुगतान के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

एमओयू के अनुसार, प्रमोटरों से प्राप्त ब्याज मुक्त ऋण, जो परियोजना के समापन या रियायत वर्ष के अंत में, जो भी बाद में हो, पर चुकाया जाना है, भारतीय लेखा मानक 32 [पैरा 16] के अनुसार इक्विटी की प्रकृति में वित्तीय साधन माना गया है और वित्तीय विवरणों में तदनुसार इसका खुलासा किया गया है। [नोट 16बी देखें]

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

नोट - 7.2: अन्य इक्विटी

	31.03.2024	31.03.2023
	तक	तक
पूंजी मोचन आरक्षित	-	-
संपत्ति कोष	-	-
सामान्य आरक्षित	-	-
प्रतिधारित कमाई	1,306.47	1,054.74
(ई) अन्य व्यापक आय जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
कुल	1,306.47	1,054.74

(ए) पूंजी मोचन आरक्षित

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, पूंजी मोचन आरक्षिततब बनाया जाता है जब कंपनी मुक्त आरक्षितता प्रतिभूतियों से अपना शेयर खरीदती है।

(ii) होल्डिंग कंपनी के मामले में:

(बी) पूंजी आरक्षित

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

(सी) सामान्य आरक्षित

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
सामान्य रिजर्व से/में स्थानांतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

“सामान्य आरक्षित एक मुक्त रिजर्व है जिसका उपयोग समय-समय पर विनियोजन प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से/में लाभ स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।”

(डी) (i) प्रतिधारित आय

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	1,054.74	514.39
इस साल का मुनाफा	251.73	540.35
अंतरिम लाभांश	-	-
अंतिम लाभांश	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	1,306.47	1,054.74

(डी) (ii) अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं

किया जाएगा (i)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

कुल (घ) {(i) + (ii)}

1,306.47	1,054.74
-----------------	-----------------

(i) परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि) शामिल है (कर के बाद शुद्ध)

(ई) अन्य व्यापक आय जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा

(i) किसी विदेशी मुद्रा के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर मतभेदों का आदान-प्रदान

संचालन

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

(ii) संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा, जिसका लेखा इक्विटी पद्धति (कर के बाद शुद्ध) का उपयोग करके किया गया हो

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
-----------------------------	---	---

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-
कुल [(i)+(ii)]	-	-

नोट - 7.3: गैर-नियंत्रित ब्याज

	(₹ लाख में)	
	31.03.2024	31.03.2023
	तक	तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के लिए लाभ का हिस्सा	-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय का हिस्सा	-	-
ब्याज के अधिग्रहण/निपटान एवं अन्य समायोजनों से उत्पन्न अतिरिक्त गैर-नियंत्रित ब्याज	-	-
गैर-नियंत्रित ब्याज को दिया गया लाभांश	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

नोट - 8.1: उधार

	(₹ लाख में)	
	31.03.2024	31.03.2023
	तक	तक
गैर चालू		
सावधि ऋण*		
बैंकों से		
सुरक्षित	47,838.44	12,512.00
असुरक्षित	-	-
दूसरों से		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
	47,838.44	12,512.00
चालू		
बैंकों से		
सुरक्षित		
अधिकोष अधिविकर्ष	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

बैंकों से अन्य ऋण	-	-
दूसरों से		
सुरक्षित		
असुरक्षित	-	-
दीर्घकालिक उधार की चालू परिपक्वता 8.1.1	-	2.96
	-	2.96

8.1.1 निदेशकों एवं अन्य द्वारा गारंटीकृत ऋण:

ऋण का विवरण	राशि ₹ लाख में	गारंटी की प्रकृति
उपलब्ध नहीं	शून्य	उपलब्ध नहीं

नोट: कंपनी के सदस्यों ने असाधारण आम बैठक में कंपनी की शिवपुर कठौतिया रेल लाइन परियोजना के लिए 125975.00 लाख रुपये की सावधि ऋण सुविधा प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके बाद कंपनी ने 05.05.2022 को नई दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से सावधि ऋण प्राप्त करने के संबंध में वित्तपोषण दस्तावेज़ निष्पादित किया है। कंपनी ने 6M PNB MCLR+ %0.80 की ब्याज दर पर सावधि ऋण प्राप्त किया है। सामान्य ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार, राशि 11 महीने की स्थगन अवधि के बाद 15 वर्षों में 60 किशतों में चुकाई जानी है।

31.03.2024 तक कुल उधारी 47,838.44 लाख रुपये है (वित्त वर्ष 2022-23 में कुल उधारी 12,512.00 लाख रुपये थी)।

सामान्य ऋण समझौते (अनुच्छेद 10) की शर्तों के अनुसार, सुरक्षा से संबंधित प्रमुख शर्तें नीचे संक्षेप में दी गई हैं:

ए. बकाया राशि, रियायत समझौते के तहत अनुमत सीमा तक, निम्नलिखित द्वारा सुरक्षित की जाएगी:

- परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर, उधारकर्ता की सभी अचल संपत्तियों, वर्तमान और भविष्य दोनों पर प्रथम प्रभार;»
- उधारकर्ता की सभी मूर्त चल परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार, जिसमें चल संयंत्र और मशीनरी, मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, फर्नीचर, फिक्सचर, वाहन और सभी अन्य चल परिसंपत्तियां, वर्तमान और भविष्य दोनों, परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर शामिल हैं;»
- ऋणी की सभी प्राप्तियों, चालू परिसंपत्तियों और खातों पर प्रथम प्रभार, जिसमें एस्करो खाता और उसके उप-खाते (या उसके स्थान पर कोई खाता) शामिल हैं, जो इस अनुबंध और पूरक एस्करो अनुबंध, या परियोजना से संबंधित किसी अन्य

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

परियोजना दस्तावेज या अनुबंध के अनुसार खोले जा सकते हैं, और समय-समय पर उनमें जमा सभी निधियां, और सभी प्राप्तियां और अनुमत निवेश या अन्य प्रतिभूतियां;”

(घ) उधारकर्ता की सभी अमूर्त परिसंपत्तियों पर पहला प्रभार, जिसमें परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर, ऋणदाता की सद्भावना, अधिकार, उपक्रम और वर्तमान तथा भविष्य की अप्रयुक्त पूंजी शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है, बशर्ते कि, उनसे उत्पन्न होने वाली सभी प्राप्तियां एस्करो खाते में जमा की जाएंगी तथा उस पर प्रभार रियायत समझौते के अनुच्छेद 25 तथा एस्करो समझौते के अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट प्राथमिकता के अनुसार अनुमेय सीमा तक लागू होगा। इसके अलावा, अप्रयुक्त पूंजी पर प्रभार, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, रियायत समझौते के प्रावधानों के अधीन होगा;”

(ड.) सुरक्षा के रूप में असाइनमेंट / प्रभार -

- (i) रियायत समझौते और/या परियोजना के संबंध में या सुरक्षा ट्रस्टी के पक्ष में उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, दायित्व, लाभ, दावे और मांगों, जो भी हों।”
- (ii) किसी सरकारी प्राधिकरण से प्राप्त किए जाने वाले सभी अनुमोदनों में, उनके लिए या उनके अधीन उधारकर्ता के सभी अधिकार, हक और हित।
- (iii) परियोजना दस्तावेजों में किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान किए गए किसी भी ऋण पत्र, गारंटी, जिसमें ठेकेदार गारंटी और परिसमाप्त क्षति और प्रदर्शन बांड शामिल हैं, में उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगों, जो भी हों; और”
- (iv) सभी बीमा अनुबंधों में या उनके अंतर्गत उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगों।”

बशर्ते कि, अनुच्छेद 10.1.1 (सी) और (डी) (सुरक्षा) के अनुसार बनाए गए प्रभार के अनुसार समय-समय पर प्राप्त कोई भी और सभी निधियां, रियायत समझौते के अनुच्छेद 25 और एस्करो समझौते के अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट भुगतान की प्राथमिकता के वाटरफॉल की सीमा तक लागू की जाएंगी और उससे आगे नहीं, और प्राप्य पर प्रभार उधारदाताओं द्वारा, या उनकी ओर से, केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया जा सकेगा कि प्राप्य को एस्करो खाते में जमा किया जाए, ताकि इसे रियायत समझौते के अनुच्छेद 25 और एस्करो समझौते के अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट भुगतान की प्राथमिकता के वाटरफॉल की सीमा तक लागू किया जा सके और उससे आगे नहीं बशर्ते कि उपरोक्त अनुच्छेद 10.1.1 (ई) के अनुसार बनाया गया ऐसा असाइनमेंट/प्रभार उधारदाताओं द्वारा लागू किया जा सकेगा: (i) प्रतिस्थापन समझौते में निर्दिष्ट तरीके से, ताकि नामित कंपनी (जैसा कि रियायत समझौते के तहत परिभाषित किया गया है) प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार उधारकर्ता को इसके संबंध में प्रतिस्थापित करने में सक्षम हो सके; और

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

(ii) कि प्रभार की ऐसी प्रवर्तनीयता (जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है) केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रबल होगी कि सभी प्राप्तियां रियायत समझौते के अनुच्छेद 25 और एस्करो समझौते के अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट प्राथमिकता के क्रम में लागू होने के उद्देश्य से एस्करो खाते में जमा की जाती हैं और उससे आगे नहीं।

बी. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि अनुच्छेद 10.1 (सुरक्षा) के प्रयोजनों के लिए, अनुच्छेद 10.1.1(ए) से अनुच्छेद 10.1.1(ई) में निर्धारित सुरक्षा हित में परियोजना परिसंपत्तियां शामिल नहीं होंगी।

सी. ऋणदाताओं को इस समझौते और अन्य वित्तपोषण दस्तावेजों में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए, प्रायोजक निम्नलिखित प्रदान करेंगे :

(क) अंतिम निपटान तिथि तक उधारकर्ता की मतदान और इक्विटी शेयर पूंजी के 51% (इक्यावन प्रतिशत) के संबंध में एक गैर-निपटान उपक्रम; और

(ख) अनुच्छेद 13.26 (प्रायोजकों का समर्थन समझौता) के अनुसार, ऋणदाताओं के लाभ के लिए एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त वचनबद्धता।”

प्रतिभूति उधारदाताओं के पक्ष में उधारदाता को स्वीकार्य रूप, पदार्थ और तरीके से बनाई और पूर्ण की जाएगी।

नोट - 8.2: पट्टा देयताएं

(₹ लाख में)

गैर - चालू	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	-	-
पट्टा देयताओं का भुगतान	-	-
वर्ष के समापन पर शेष राशि	-	-
चालू		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	-	-
पट्टा देयताओं का भुगतान	-	-
वर्ष के समापन पर शेष राशि	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

नोट - 8.3: व्यापार देयताएं

(₹ लाख में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
चालू		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	131.69	-
कुल	131.69	-

8.3.1 व्यापार देयताएं आयु निर्धारण अनुसूची

31.03.2024 तक

विवरण	लेन-देन की तारीख से आगामी वर्षों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई					
ii) अन्य	131.69	-	-	-	131.69
iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
v) बिल न किए गए बकाया	-	-	-	-	-
कुल	131.69	-	-	-	131.69

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

31.03.2023 तक

विवरण	लेन-देन की तारीख से आगामी वर्षों के लिए बकाया				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई					
ii) अन्य	-	-	-	-	-
iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-
iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-
v) बिल न किए गए बकाया	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

नोट - 8.4: अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर चालू		
सुरक्षा जमा राशि	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
चालू खाता		
अधिकार वाली कंपनी	-	-
आईआईसीएम	-	-
अवैतनिक लाभांश	-	-
सुरक्षा जमा	0.66	0.20
अग्रिम धन	-	-
पूंजीगत व्यय के लिए देय	5.81	28.07
कर्मचारी लाभ के लिए दायित्व	10.99	9.71
अन्य	2.95	1.07
कुल	20.41	39.05

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

नोट - 9.1: प्रावधान

(₹ लाख में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर चालू		
कर्मचारी लाभ		
उपदान	-	-
नकदीकरण अवकाश	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
	-	-
अन्य प्रावधान		
साइट बहाली/खदान बंद करना	-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
कर्मचारी लाभ		
उपदान	-	-
नकदीकरण अवकाश	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	-
अनुग्रहपूर्वक	-	-
प्रदर्शन से संबंधित भुगतान	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
	-	-
साइट बहाली/ खदान बंद करना	-	-
अन्य प्रावधान		
अन्य	-	-
कुल	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

9.1.1 प्रावधानों में परिवर्तन का विवरण (चालू और गैर- चालू)

भारतीय लेखा मानक-37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और संचलन, सिवाय कर्मचारी लाभ से संबंधित प्रावधानों के जो एक्चुरियल मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं।

	वर्ष की शुरुआत में संतुलन	वर्ष के दौरान प्रभारित	वर्ष के दौरान उपयोग किया गया	वर्ष के अंत में शेष राशि
अनुग्रहपूर्वक	-	-	-	-
प्रदर्शन से संबंधित भुगतान	-	-	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-

नोट - 10.1: अन्य गैर- चालू देयताएं

(₹ लाख में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि	-	-
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-

नोट - 10.2: अन्य चालू देयताएँ

(₹ लाख में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वैधानिक बकाया	67.43	66.70
ग्राहकों / अन्य लोगों से अग्रिम राशि	-	-
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	-	-
अन्य देयताएं	-	-
कुल	67.43	66.70

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

नोट - 11.1: कर संपत्ति/देयताएं

(₹ लाख में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
आयकर संपत्ति		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	22.78	(20.29)
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त	47.04	43.07
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन/वापसी	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	69.82	22.78
आयकर देयताएं		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
वर्ष के दौरान उत्क्रमण/समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-
वर्ष के अंत में शुद्ध आयकर परिसंपत्ति/(देयताएं)	69.82	22.78
इस प्रकार खुलासा किया गया:		
चालू		
आयकर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	69.82	22.78
आयकर देयताएं (शुद्ध)	-	-
	69.82	22.78

नोट - 11.2: आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताएं

	01.04.2023 तक शेष राशि	वर्ष के दौरान लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त/(उलट)	31.03.2024 तक शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां:			
संदिग्ध अग्रिम, दावे और ऋण के लिए प्रावधान	-	-	-
कर्मचारी लाभ	-	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

अन्य	-	-	-
कुल (ए)			
विलम्बित कर देयता:			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त संपत्ति से संबंधित	(0.83)	0.80	(0.03)
अन्य	-	-	-
कुल (बी)	(0.83)	0.80	(0.03)
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (आस्थगित कर देयता) (सी=एबी)	(0.83)	0.80	(0.03)
डी. परिभाषित लाभ योजना डीटीएल (+)/डीटीए (-) का पुनर्मूल्यांकन	-	-	-
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति (ई=सी+डी)	(0.83)	0.80	(0.03)

नोट - 12.1: परिचालन से राजस्व

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
		(₹ लाख में)
बिक्री	-	-
घटाएँ: वैधानिक शुल्क	-	-
बिक्री (शुद्ध) (ए)	-	-
अन्य परिचालन राजस्व		
लोडिंग और परिवहन शुल्क	-	-
घटाएँ: वैधानिक शुल्क	-	-
	-	-
अन्य परिचालन राजस्व (शुद्ध) (बी)	-	-
परिचालन से राजस्व (ए+बी)	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

नोट - 12.2: अन्य आय

(₹ लाख में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय 12.2.1	375.69	826.22
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय से सीधे संबंधित व्यय को घटाकर)		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	-	-
पट्टा किराया	-	-
प्रावधान वापस लिखा गया	-	-
देयताएं वापस लिखी गईं	-	-
उचित मूल्य में परिवर्तन (शुद्ध)	-	-
विविध आय	-	-
कुल	375.69	826.22

12.2.1 आयकर वापसी पर ब्याज शामिल है ₹ NIL करोड़ (PY ₹ NIL)

नोट - 13.1: प्रयुक्त सामग्री की लागत

(₹ लाख में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
उपभोज्य भंडार और पुर्जे	-	-
कुल	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

नोट - 13.2: तैयार माल, प्रगतिरत कार्य और व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन

(₹ लाख में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
इन्वेंट्री में बदलाव		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	-	-
प्रारंभिक स्टॉक को राजस्व में लाया गया	-	-
वर्ष के समापन पर स्टॉक	-	-
	-	-
	-	-
कुल	-	-

नोट - 13.3: कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	-	-
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	-	-
कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
कुल	-	-

नोट - 13.4: वित्तीय लागत

(₹ लाख में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
छूट समाप्त करना	-	-
उचित मूल्य परिवर्तन (शुद्ध)	-	-
अन्य उधार लागत	-	-
कुल	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

नोट - 13.5: मूल्यहास/परिशोधन/हानि

(₹ लाख में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल्यहास/परिशोधन/हानि		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1)	2.70	1.92
प्रगति पर पूंजीगत कार्य (नोट 3.2)	-	-
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (नोट 3.3)	-	-
अमूर्त संपत्तियाँ (नोट 3.4)	0.18	0.14
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ (नोट 3.5)	-	-
कुल	2.88	2.06

नोट - 13.6: स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन

(₹ लाख में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
एडवांस स्ट्रिपिंग (नेट)	-	-
अनुपात विचरण आरक्षित	-	-
कुल	-	-

नोट - 13.7: संविदागत व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
यातायात भुगतान	-	-
संयंत्र और उपकरणों को किराये पर लेना	-	-
अन्य संविदात्मक कार्य	-	-
कुल	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

नोट - 13.8: अन्य व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
बिजली व्यय	-	-
मरम्मत और रखरखाव		
-इमारत	-	2.34
-संयंत्र उपकरण	-	-
-अन्य	-	0.24
यात्रा खर्च	0.16	0.54
प्रशिक्षण व्यय	-	-
टेलीफोन और इंटरनेट	0.52	0.42
विज्ञापन और प्रचार	1.89	-
कानूनी विस्तार	-	-
परामर्श शुल्क	0.99	0.27
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक और व्यय		
ऑडिट फीस के लिए	1.00	0.60
कराधान मामलों के लिए	-	-
अन्य सेवाओं के लिए	0.49	0.36
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	-	-
आंतरिक एवं अन्य लेखापरीक्षा व्यय	1.17	0.75
पट्टा किराया और किराये का शुल्क	2.87	3.08
दरें और कर	1.05	1.14
बीमा	-	-
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय 13.8.1	9.19	-
प्रावधानों	-	-
बड़े खाते में डालना (पूर्व में मान्य प्रावधानों को वापस लिखने के बाद)	-	-
विविध व्यय	5.82	1.89
कुल	25.16	11.63

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

3.8.1 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय का अनुलग्नक

A. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार ब्यौरा (अतिरिक्त व्यय सहित):

(₹ लाख में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	-	-
विशेष शिक्षा और रोजगार सहित व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना	9.19	-
पर्यावरणीय स्थिरता	-	-
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	-	-
सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों को लाभ	-	-
ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालम्पिक खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	-	-
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित कोष में योगदान	-	-
इनक्यूबेटर या अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में योगदान	-	-
विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में योगदान	-	-
ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	-	-
स्लम क्षेत्र विकास	-	-
आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं	-	-
पेय जल	-	-
स्वास्थ्य देखभाल	-	-
स्वच्छता	-	-
दिव्यांगों का कल्याण	-	-
वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण	-	-
अन्य	-	-
कुल	9.19	-
जोड़ें: - पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च की गई अतिरिक्त राशि वर्तमान अवधि में उपयोग की गई	-	-
कुल योग	9.19	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

गतिविधिवार व्यय किए गए सीएसआर व्यय के विवरण के साथ मान्यता प्राप्त सीएसआर व्यय का मिलान (₹ लाख में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
गतिविधिवार सीएसआर व्यय राशि	9.19	-
घटाएँ: अतिरिक्त CSR व्यय	-	-
जोड़ें: चालू परियोजना के अलावा अन्य पर खर्च न की गई सीएसआर राशि	-	-
जोड़ें: चालू परियोजना पर खर्च न की गई सीएसआर राशि	-	-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त सीएसआर व्यय	9.19	-

B. सीएसआर व्यय विवरण (₹ लाख में)

	नकद में	अभी तक नकद भुगतान नहीं किया गया	कुल
(क) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	8.88	-	8.88
(ख) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	9.19	-	9.19
(ग) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	-	-	-
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य से	9.19	-	9.19
कुल	9.19	-	9.19

C. चल रही परियोजना के अलावा अन्य अप्रयुक्त राशि [धारा 135(5)] (₹ लाख में)

	प्रारंभिक जमा	अनुसूची VII के निर्दिष्ट कोष में 6 माह के भीतर जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	जमा शेष
चल रही परियोजना के अलावा अन्य अप्रयुक्त राशि	-	-	-	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

D. अधिक व्यय की गई राशि [धारा 135(5)]

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	जमा शेष
2022-23	-	-	-	-
2023-24	-	-	-	-

E. चालू परियोजना [धारा 135(6)]

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक जमा		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		जमा शेष	
	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अप्रयुक्त खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	पृथक सीआरएस अप्रयुक्त ए/सी से	कंपनी के साथ	पृथक सीएसआर अप्रयुक्त खाते में
2022-23	-	-	-	-	-	-	-
2023-24	-	-	-	-	-	-	-

F. सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान

(₹ लाख में)

	प्रारंभिक जमा	अवधि के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान समायोजन	जमा शेष
सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान (अन्य वित्तीय देयता चालू (अन्य) में शामिल)	-	-	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

नोट - 14.1: कर व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष	96.72	271.25
पहले के वर्ष	-	-
कुल चालू कर	96.72	271.25
आस्थगित कर	(0.80)	0.93
एमएटी क्रेडिट पात्रता	-	-
कुल	95.92	272.18

14.1.1 कर व्यय का समाधान:

कर से पहले लाभ/(हानि)

आयकर दर 27.82% (31.03.2023: 33.384%) पर	96.72	271.25
घटाएँ: छूट प्राप्त आय पर कर	-	-
जोड़ें: गैर-कटौती योग्य व्यय पर कर/ (कर उद्देश्य के लिए अतिरिक्त व्यय की अनुमति)	-	-
एमएटी प्रावधानों के तहत कर के लिए समायोजन	-	-
पिछले वर्ष के कर के लिए समायोजन	-	-
लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय	96.72	271.25
प्रभावी आयकर दर:	27.82%	33.38%

14.1.2 आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देनदारियों) के घटक के लिए नोट 11.2 देखें

नोट - 15.1: अन्य व्यापक आय

(₹ लाख में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	-
	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं
किया जाएगा

परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन

-

-

-

-

वे वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा

संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा

-

-

“विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर”

-

-

-

-

उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत
किया जाएगा

संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा

-

-

-

-

कुल

-

-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

नोट: 16ए- 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट्स

1. (ए) आकस्मिक देयताएं

1. कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

(₹ लाख में)

विवरण	केंद्रीय सरकारी विभाग/ एजेंसियां	राज्य सरकार विभाग/एजेंसियां और अन्य स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	अन्य	कुल
01.04.2023 को खुलने की तिथि	77.72	-	-	-	77.72
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे	-	-	-	-	-
एका प्रारंभिक शेष राशि से	-	-	-	-	-
बी। वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-	-	-	-
सी। वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल दावे (ए+बी)	-	-	-	-	-
31.03.24 को समापन	77.72	-	-	-	77.72

कंपनी ने उपरोक्त सारणीबद्ध मामले के संबंध में सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है।

विवरण	केंद्रीय सरकारी विभाग/ एजेंसियां	राज्य सरकार विभाग/ एजेंसियां और अन्य स्थानीय प्राधिकरण	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	अन्य	कुल
01.04.2022 को खुलने की तिथि	77.72	-	-	-	77.72
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे	-	-	-	-	-
एका प्रारंभिक शेष राशि से	-	-	-	-	-
बी। वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-	-	-	-
सी। वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल दावे (ए+बी)	-	-	-	-	-
31.03.2023 को समापन	77.72	-	-	-	77.72

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

नोट: 16ए- 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट्स

बी) प्रतिबद्धताएँ

पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष और प्रावधानित नहीं किए गए अनुबंधों का अनुमानित मूल्य: 31.03.2024 तक ₹ 42,759/- लाख (पिछले वर्ष ₹ 63,197/- लाख) है।

अन्य प्रतिबद्धता: शून्य (PY NIL)।

2. 31.03.2024 तक कंपनी के भीतर संबंधित पार्टी लेनदेन

a. समूह जानकारी

नाम	मुख्य गतिविधियाँ	इसके निगमन का देश	% इक्विटी ब्याज	
			31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	कोयले का खनन एवं उत्पादन	भारत	64.00%	64.00%
इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड.	रेलवे अवसंरचना का विकास	भारत	26.00%	26.00%
झारखंड सरकार	सरकारी	-	10.00%	10.00%

एमओयू के अनुसार, प्रमोटरों से प्राप्त ब्याज मुक्त ऋण, जो परियोजना के समापन या रियायत अवधि के अंत में, जो भी बाद में हो, पर चुकाया जाना है, को भारतीय लेखा मानक 32 [पैरा 16] के अनुसार इक्विटी की प्रकृति में वित्तीय साधन के रूप में माना गया है और वित्तीय विवरणों में तदनुसार इसका खुलासा किया गया है।

स्वीकृत डीपीआर के अनुसार जेसीआरएल की अनुमानित परियोजना लागत 1799.64 करोड़ रुपये है, जिसमें प्रस्तावित निधि व्यवस्था इक्विटी और ऋण के बीच 30:70 के अनुपात में है। 30% इक्विटी के लिए योगदान 539.89 करोड़ रुपये है और 70% के लिए ऋण का योगदान 1259.75 करोड़ रुपये है। ऋण के माध्यम से परियोजना के वित्तपोषण के लिए निधि की व्यवस्था के लिए कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंकों के संघ से ऋण सुविधा का लाभ उठाया है।

प्रमोटर के योगदान और ऋण सुविधा से संवितरण का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

प्रमोटर का योगदान			ऋण सुविधा से संवितरण	
प्रमोटर	इक्विटी योगदान	ब्याज मुक्त ऋण	किनारा	अदायगी
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	6,463.13	28,089.96	पंजाब नेशनल बैंक	15,813.00
इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड.	2,625.64	11,411.40	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	15,235.73
झारखंड सरकार	1009.86	4,350.00	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9,162.78

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

नोट: 16ए- 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट्स

			यूको बैंक	7626.93
कुल	10,098.63	43,851.36	कुल	47,838.44

b. संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन

(₹ लाख में)

कंपनी का नाम	रिश्ते की प्रकृति	वर्ष के दौरान लेनदेन की राशि		कुल	31.03.2024 तक प्रगतिशील
		निर्माण एवं परामर्श शुल्क	अन्य		
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	अधिकार वाली कंपनी	-	किराया-2.86 इक्विटी- शून्य ब्याज मुक्त ऋण- शून्य	2.86	किराया- शून्य इक्विटी-6,463.13 ब्याज मुक्त ऋण - 28,089.96
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	सहयोगी कंपनी	39,375.42	वेतन-34.81 इक्विटी- शून्य ब्याज मुक्त ऋण - शून्य	39,410.23	अग्रिम- 2,265.17 वेतन (लाभांश)- 7.86 इक्विटी-2625.64 ब्याज मुक्त ऋण - 11,411.40
झारखंड सरकार	इक्विटी धारक	-	इक्विटी- शून्य ब्याज मुक्त ऋण - 500/-	500.00	इक्विटी- 1009.86 ब्याज मुक्त ऋण - 4,350.00

c. 31.03.2024 तक जेसीआरएल के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

निदेशक/केएमपी का नाम	पद का नाम	अपॉइंटमेंट की तिथि
पवन कुमार मिश्रा	अध्यक्ष, जेसीआरएल	19.12.2022
शशांक शेखर झा	निदेशक	15.06.2018
हरीश वीर सिंह दुहन	निदेशक	14.03.2024
प्रिया रंजन परही	निदेशक	09.05.2022
प्रवीण कुमार प्रकाश	निदेशक	18.03.2024
पराग वर्मा	निदेशक	11.10.2022
रागिनी आडवाणी	निदेशक	01.06.2022
आर.के. मिश्रा	सीईओ	29.01.2022
प्रदीप कुमार सिंह	सीएफओ	29.01.2022
श्रेया	कंपनी सचिव	29.04.2022

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

नोट: 16ए- 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट्स

- इस कार्यालय से श्री आर.के. मिश्रा के इस्तीफे के बाद 05.04.2024 से श्री ए.सी. मोहराणा को सीईओ जेसीआरएल के रूप में नियुक्त किया गया है।

d. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

केएमपी	ब्यौरा	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी सचिव	सकल वेतन	5.08	4.52
	ईपीएफ में योगदान	0.22	0.22
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सकल वेतन	14.38	14.38
	ईपीएफ में योगदान	-	-
कुल		19.68	19.12

e. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ बकाया संतुलन

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
i)	देय राशि	1.63	1.60
ii)	प्राप्य राशि	-	-

कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां उन फर्मों या निजी कंपनियों से बकाया हैं जिनमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है। इसके अलावा संबंधित पक्षों (निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य) को कोई ऋण नहीं है।

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में
आर. के. गरोडिया और कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 002004C)

निर्देशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह/-
सीए दीपक गरोडिया
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 409246

ह/-
[पवन कुमार मिश्रा]
अध्यक्ष
डीआईएन - 09665365

ह/-
[एस एस झा]
निदेशक
डीआईएन-08172395

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

नोट: 16ए- 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट्स

ह/-
[श्रेया]
कंपनी सचिव
एम. नं. A54047

ह/-
[प्रदीप कुमार सिंह]
सीएफओ

ह/-
[ए.सी. मोहराणा]
सीईओ

स्थान : रांची

दिनांक : 18.04.2024

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

नोट:16बी: 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट्स

3. उचित मूल्य माप

(a) श्रेणी के अनुसार वित्तीय उपकरण

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2024		31 मार्च 2023	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
निवेश:	-	-	-	-
प्रक्रिया के कर्ता - धर्ता	-	-	-	-
-इक्विटी घटक				
-ऋण घटक				
म्यूचुअल फंड/आईसीडी	-	-	-	-
अन्य निवेश	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-
जमा एवं प्राप्य	-	5,900.62	-	5,675.61
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	-	-
नकद और नकद समतुल्य	-	7,013.46	-	12,980.67
अन्य बैंक बैलेंस	-	195.00	-	-
वित्तीय देनदारियाँ				
उधारी	-	47,838.44	-	12,514.96
व्यापार देनदारियाँ	-	131.69	-	-
सुरक्षा जमा और बयाना राशि	-	0.66	-	0.20
अन्य देनदारियाँ	-	19.75	-	38.85

(b) उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जिन्हें (ए) उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है और मापा जाता है और (बी) परिशोधित लागत पर मापा जाता है और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में संकेत देने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

नोट:16बी: 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट्स

(₹ लाख में)

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	31 मार्च 2024		31 मार्च 2023	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश:	-	-	-	-
म्यूचुअल फंड/आईसीडी	-	-	-	-
वित्तीय देनदारियों				
यदि कोई वस्तु	-	-	-	-

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ जिनके उचित मूल्य 30 सितंबर 2023 को प्रकट किए गए हैं	31 मार्च 2024		31 मार्च 2023	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
वित्तीय पूंजी				
निवेश:	-	-	-	-
प्रक्रिया के कर्ता - धर्ता	-	-	-	-
-इक्विटी घटक				
-ऋण घटक				
अन्य निवेश	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-
जमा एवं प्राप्य	-	5,900.62	-	5,675.61
व्यापार प्राप्तियां	-	-	-	-
नकद और नकद समतुल्य	-	7,013.46	-	12,980.67
अन्य बैंक बैलेंस	-	195.00	-	-
वित्तीय देनदारियों				
उधारी	-	47,838.44	-	12,514.96
व्यापार देनदारियां	-	131.69	-	-
सुरक्षा जमा और बयाना राशि	-	0.66	-	0.20
अन्य देनदारियां	-	19.75	-	38.85

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1 : स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं। इसमें म्यूचुअल फंड शामिल है जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि पर समापन नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का उपयोग करके किया जाता है।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139

झारखंड, पिन - 834029

मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

नोट:16बी: 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट्स

स्तर 2 : सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकनीय बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करते हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करते हैं। यदि किसी साधन के उचित मूल्य निर्धारण के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय हैं, तो साधन को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3 : यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, वरीयता शेयर उधार, सुरक्षा जमा और अन्य देयताओं के मामले में है जिन्हें स्तर 3 में शामिल किया गया है।

(c) उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में साधनों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(d) महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप उपलब्ध नहीं है।

(e) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

- व्यापार प्राप्त, अल्पावधि जमा, नकदी और नकदी समकक्ष, व्यापार देयताओं की अग्रणीत राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।
- कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखना आवश्यक है। प्रत्येक मील के पत्थर के भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकना कंपनी के हितों की रक्षा करने के लिए है, ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल होने से। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के रूप में माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान : वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जिनका कारोबार नहीं किया जाता है सक्रिय बाजार का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। कंपनी एक विधि का चयन करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणाएँ बनाती है।

4. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देयताएं शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन को समर्थन देने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

नोट:16बी: 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट्स

परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय जोखिमों और कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम शासन ढांचे पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उनसे सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह नोट उन जोखिम स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे इकाई को सामना करना पड़ता है, तथा यह बताता है कि इकाई किस प्रकार जोखिम का प्रबंधन करती है, तथा वित्तीय विवरणों में हेज अकाउंटिंग का क्या प्रभाव होता है।

जोखिम	इससे उत्पन्न जोखिम	माप	प्रबंध
ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य वित्तीय परिसंपत्ति परिशोधित लागत पर मापी जाती है	आयु विश्लेषण/ क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम- विदेशी मुद्रा	भावी वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जो भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित नहीं हैं	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।
बाजार जोखिम- ब्याज दर	नकदी और नकदी समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

कंपनी का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है, साथ ही अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियां भी प्रदान करता है।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

नोट:16बी: 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट्स

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर बताए गए वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और हानि गणना के लिए इनपुट चुनने में विवेक का उपयोग करती है, जो कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के अनुमानों पर आधारित है।

A. तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता बनाए रखना है। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी का राजकोष प्रतिबद्ध ऋण लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखकर धन में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित के आधार पर कंपनी की तरलता स्थिति (अनियंत्रित उधार सुविधाओं सहित) और नकदी और नकदी समकक्ष के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है।

नकदी प्रवाह। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

नीचे दी गई तालिका संविदागत अछूते भुगतानों के आधार पर कंपनी की वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का सारांश प्रस्तुत करती है।

(₹ लाख में)

	31 मार्च 2024			31 मार्च 2023		
	एक वर्ष से कम	एक से पांच वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	एक वर्ष से कम	एक से पांच वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं	-	-	-	-	-	-
ब्याज दायित्वों सहित उधार	-	-	47,838.44	2.96*	-	12,512.00
व्यापार देनदारियां	131.69	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	20.41	-	-	39.05	-	-

* ब्याज दायित्व

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

नोट:16बी: 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट्स

B. बाजार जोखिम

a) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमाराशियों से उत्पन्न होता है, ब्याज दर में परिवर्तन से कंपनी को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम का सामना करना पड़ता है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमाराशियों को निश्चित दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों, बैंक जमा क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

पूंजी प्रबंधन

चूंकि यह कंपनी एक सरकारी इकाई है, इसलिए यह अपनी पूंजी का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार करती है।

5. अन्य सूचना

i. जेसीआरएल बोर्ड की बैठक (24.10.2019 को आयोजित 24वीं) में, यह अवगत कराया गया कि इरकॉन के संबंध में, अन्य कंपनी में निवेश के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 186 के अनुसार सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। जेवी पार्टनर मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की बाधाओं के आधार पर, क्योंकि डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य कंपनियों में इक्विटी निवेश की उनकी सीमाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं और मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सुझावों के अनुरूप, इक्विटी आधार लगभग 100 करोड़ रुपये (झारखंड सरकार के पहले से जमा इक्विटी शेयर के आधार पर) रखने का निर्णय लिया गया। 11.12.2020 को आयोजित कोयला सचिव की बैठक में इक्विटी आधार 100 करोड़ रुपये रखने का निर्णय लिया गया। शेष राशि का भुगतान इसके शेयरधारकों द्वारा ब्याज मुक्त ऋण के रूप में किया जाना है।

इस संबंध में सीसीएल द्वारा विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के बाद, जेसीआरएल बोर्ड ने ब्याज मुक्त ऋण के रूप में जेसीआरएल में निवेश के संबंध में इरकॉन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। झारखंड सरकार (जीओजे) ने भी 01.02.2021 को आयोजित जेसीआरएल की बोर्ड बैठक के दौरान इसे स्वीकार कर लिया है।

उपरोक्त वर्णित तौर-तरीकों के संबंध में अब तक प्राप्त प्रमोटरों के अंशदान का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

ब्याज मुक्त ऋण के लिए प्रमोटर का योगदान	
प्रमोटर	राशि [लाखों रुपये में]
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	28,089.96
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड.	11,411.40
झारखंड सरकार	4,350.00
कुल	43,851.36

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

नोट:16बी: 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट्स

प्रमोटर्स से प्राप्त ब्याज मुक्त ऋण की उपरोक्त राशि, जो परियोजना के समापन पर या रियायत अवधि के अंत में जो भी बाद में हो, पर चुकाने योग्य है, को भारतीय लेखा मानक 32 [पैरा 16] के अनुसार इक्विटी की प्रकृति में वित्तीय साधन के रूप में माना गया है और वित्तीय विवरणों में तदनुसार इसका खुलासा किया गया है।

- ii. रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार, इलेक्ट्रिक रेल लाइन के निर्माण से संबंधित कार्य का निष्पादन वित्तीय समापन की तिथि यानी चालू वित्त वर्ष के मई 2022 के बाद शुरू किया गया है। रेलवे साइडिंग के निर्माण पर वर्ष के दौरान किए गए व्यय का जीएसटी हिस्सा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में दर्ज किया गया है, जैसा कि वित्तीय विवरण के नोट 11 में दर्शाया गया है। परियोजना की अपेक्षित सीओडी मई 2025 है।
- iii. कंपनी द्वारा ब्याज आय संबंधित बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्याज प्रमाणपत्रों के आधार पर दर्ज की गई है।
- iv. झारखंड सरकार (GoJ) ने जनवरी 2021 में GMJJ भूमि के संबंध में NoC जारी करने के लिए 216.55 करोड़ रुपये की मांग की है। अंडर-रेफरेंस मांग की गणना करते समय, संबंधित अधिकारियों ने ग्रामीण कृषि दर के बजाय वाणिज्यिक दर पर विचार किया है।

इस मुद्दे को उचित सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा गया था। 13.11.2021 को माननीय कोयला मंत्री और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक में भी इसे रखा गया था। बैठक के दौरान, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार ने बताया कि ग्रामीण कृषि भूमि की दर के अनुसार मांग की जाएगी। 11.01.2023 को कोयला मंत्रालय के सचिव और झारखंड सरकार के मुख्य सचिव के बीच हुई नवीनतम बैठक में, अंतिम समाधान के लिए फिर से यही मुद्दा उठाया गया, जिसमें जिला कलेक्टर, चतरा को इस संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन लेने का निर्देश दिया गया।

अनुपात

अनुपात	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	उतार-चढ़ाव	कारण
चालू अनुपात	72.57	146.35	-50.41%	चालू अनुपात में कमी मुख्य रूप से वित्तीय देनदारियों, वित्त वर्ष 2014 की तुलना में देय व्यापार में वृद्धि के कारण है।
ऋण इक्विटी अनुपात	0.87	0.23	278.26%	यह अंतर वित्तीय देनदारियों-उधारों में 125.12 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष) से बढ़कर 478.38 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष) होने के कारण है।
ऋण सेवा कवरेज अनुपात				
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	-	-	-	-
प्राप्य टर्नओवर अनुपात	-	-	-	-
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	-	-	-	-
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	-	-	-	-
शुद्ध लाभ अनुपात	-	-	-	-

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची ,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjcr1@gmail.com

नोट:16बी: 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट्स

नियोजित पूंजी पर रिटर्न	-0.03%	-0.02%	-50%	वर्तमान में, कंपनी के पास एक परियोजना है जो निर्माणाधीन है। परिचालन से कोई आय नहीं है जबकि P&L पर लगाए गए व्यय में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप नकारात्मक EBIT हुआ है, क्योंकि परियोजना निर्माणाधीन है इसलिए नियोजित पूंजी प्रगति के साथ बढ़ी है। इन कारकों के परिणामस्वरूप भिन्नता हुई है।
इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)	0.46%	1.09%	-57.80%	कंपनी की परियोजना निर्माणाधीन है। परियोजना में निधि के निवेश के कारण बैंक में जमा राशि से ब्याज आय में स्थिरता कम हो गई है। इस प्रकार, ROE में कमी आई है।
निवेश पर प्रतिफल (आरओआई)				
ए. इक्विटी निवेश पर आरओआई	-	-	-	-
सूचीबद्ध सहायक कंपनियों में	-	-	-	-
बी. म्यूचुअल फंड पर आरओआई	-	-	-	-
सी. जमा पर आरओआई (बैंकों, आईसीडी सहित एफआई के साथ)	6%	7%	-14.29%	यह परिवर्तन निर्माणाधीन परियोजना में निधि के निवेश के कारण बैंक में जमा राशि में कमी के कारण है।

चालू अनुपात :

चालू अनुपात एक तरलता अनुपात है जो अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए मौजूदा संसाधनों को मापता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की जाती है

ऋण इक्विटी अनुपात:

विभाग से इक्विटी अनुपात कंपनी के कुल विभाग की तुलना शेयरधारक इक्विटी से करता है। विभाग इक्विटी अनुपात की गणना कुल विभाग को शेयरधारक इक्विटी से विभाजित करके की जाती है।

ऋण सेवा कवरेज अनुपात:

ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की वर्तमान ब्याज और किश्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। विभाग सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है। विभाग सेवा के लिए आय = कर के बाद शुद्ध लाभ + मूल्यहास और अन्य परिशोधन जैसे गैर-नकद परिचालन व्यय + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान आदि। विभाग सेवा = ब्याज और लीज भुगतान + मूलधन का पुनर्भुगतान।

इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात :

इन्वेंटरी टर्नओवर एक वित्तीय अनुपात है जो दर्शाता है कि किसी निश्चित अवधि के दौरान कितनी बार इन्वेंटरी बेची गई है। इन्वेंटरी टर्नओवर की गणना बेची गई वस्तुओं की विभाजित लागत/इन्वेंट्री के औसत मूल्य से की जाती है। जहाँ, बेची गई वस्तुओं की लागत =

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

नोट:16बी: 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट्स

(कुल व्यय - वित्त लागत - राइट ऑफ - प्रावधान - कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यय - स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन)।

प्राप्य टर्नओवर अनुपात :

प्राप्य टर्नओवर अनुपात एक लेखा माप है जिसका उपयोग किसी कंपनी की अपने प्राप्य खातों या ग्राहकों द्वारा बकाया राशि को इकट्ठा करने में प्रभावशीलता को मापने के लिए किया जाता है। प्राप्य खातों का टर्नओवर = सकल क्रेडिट बिक्री/औसत व्यापार प्राप्य।

व्यापार देय टर्नओवर अनुपात :

व्यापार देय टर्नओवर से पता चलता है कि एक कंपनी एक अवधि के दौरान कितनी बार अपने देय खातों का भुगतान करती है। व्यापार देय टर्नओवर अनुपात = कुल खरीद / औसत व्यापार देय।

शुद्ध पूंजी कारोबार :

शुद्ध पूंजी कारोबार वह माप है जो व्यवसाय में नियोजित पूंजी के उपयोग के संबंध में संगठन की दक्षता को इंगित करता है और इसकी गणना कुल वार्षिक कारोबार को स्टॉकहोल्डर की इक्विटी (शेयर पूंजी + अन्य इक्विटी) की कुल राशि से विभाजित करके की जाती है।

शुद्ध लाभ अनुपात :

शुद्ध बिक्री के प्रतिशत के रूप में शुद्ध लाभ।

नियोजित पूंजी पर रिटर्न :

ब्याज और कर से पूर्व आय (ईबीआईटी) / नियोजित पूंजी जहां नियोजित पूंजी परिसंपत्तियों - वर्तमान देनदारियों का योग है।

इक्विटी पर रिटर्न अनुपात :

इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है जिसकी गणना शुद्ध आय को औसत शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित करके की जाती है। जहाँ शुद्ध आय अवधि के लिए कर के बाद का लाभ है, औसत शेयरधारक की इक्विटी = (प्रारंभिक इक्विटी + समापन इक्विटी)/2.

निवेश पर प्रतिफल :

निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा अपनी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, अर्जित लाभ उतना ही अधिक होगा।

- I. गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश पर ROI: लाभांश / सब्सिडियरी की इक्विटी में औसत निवेश।
- II. म्यूचुअल फंड पर ROI = लाभांश + पूंजीगत लाभ + उचित मूल्य लाभ (हानि) / औसत निवेश।

झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

(सीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रांची,
झारखंड, पिन - 834029

सीआईएन: U45201JH2015GOI003139
मेल आईडी: cosecyjrl@gmail.com

नोट:16बी: 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट्स

- III. जमा पर ROI (बैंक, FDs सहित ICDs) = ब्याज आय / औसत निवेश।
- IV. पिछले वर्ष/अवधि के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक समझा गया है, पुनः प्रस्तुत, पुनर्समूहित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
- V. नोट - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट 3 से 11.1 31 मार्च, 2024 तक बैलेंस शीट का हिस्सा बनते हैं और 12.1 से 15.1 उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा बनते हैं। नोट - 16A और 16B वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में
आर. के. गरोडिया और कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 002004C)

बोर्ड की ओर से

ह/-
सीए दीपक गरोडिया
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 409246

ह/-
[पवन कुमार मिश्रा]
अध्यक्ष
डीआईएन - 09665365

ह/-
[एस एस झा]
निदेशक
डीआईएन-08172395

ह/-
[श्रेया]
कंपनी सचिव
एम. नं. A54047

ह/-
[प्रदीप कुमार सिंह]
सीएफओ

ह/-
[ए.सी. मोहराणा]
सीईओ

स्थान : रांची

दिनांक : 18.04.2024



झारखण्ड सेन्ट्रल रेलवे लिमिटेड

सीसीएल, इरकॉन और जीओजे की एक संयुक्त उद्यम कंपनी

CIN: U45201JH2015G01003139

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाऊस,
राँची-834029